खण्ड-270, अंक-5
मंगलवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(6 दिसम्बर, 1966 ई0)

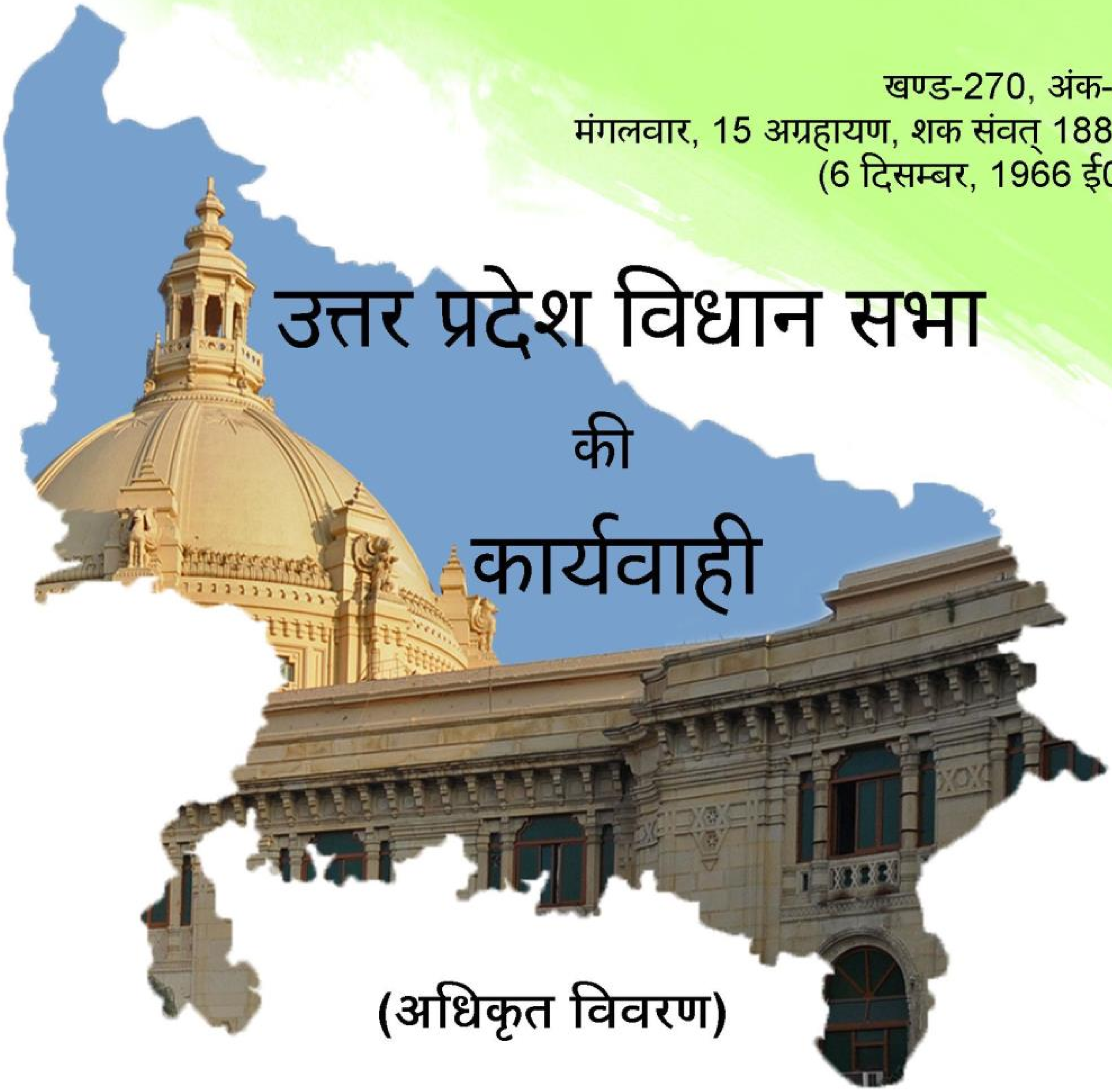

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२९

अभ ेवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
हब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्या प्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवर प्रसाद, श्री

गुप्तार सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदा सिंह ,श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीश शरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
ज० पी० मिश्र , श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टण्डनेश्वरप्रसाद श्री,
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन श्री
देवदत्त मिश्र श्री
देशराज सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह,श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री

बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेहराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री
ब्रह्मदत्त माथुर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

रामसमझावन, श्री
राम सिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्र प्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजपाल सिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

टांडा विकास क्षेत्र में बी० डी० ओ० न होना

**१—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के टांडा विकास क्षेत्र में कितने समय से कोई बी० डी० ओ० नहीं है? यदि हां, तो क्या कारण है?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

टाण्डा विकास क्षेत्र, फैजाबाद में १८-५-६६ से कोई क्षेत्र विकास अधिकारी नहीं है। १४-७-६६ तक विकास क्षेत्र के विघटन के प्रस्तावों के कारण संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद द्वारा इस विकास क्षेत्र में किसी विकास क्षेत्र अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकी। इसके उपरान्त श्री राम कीरत सिंह, स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारी, सोहावल का स्थानान्तरण टाण्डा विकास क्षेत्र को संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद के आदेश दिनांक १४-७-६६ द्वारा किया गया परन्तु उन्होंने २२-७-६६ को सोहावल से कार्य मुक्त होते ही निजी कार्य हेतु ५५ दिन का २३-७-६६ से छुट्टी का प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने १९-९-६६ से चिकित्सीय प्रमाण-पत्र दिया तब श्री महारुद्र सिंह, क्षेत्र विकास अधिकारी, अमेठी, सल्तानपुर का स्थानान्तरण संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद द्वारा १९-१०-६६ को कर दिया गया। परन्तु वह आदेश जन हित में निरस्त कर दिया गया। संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद को १-१२-६६ को तार द्वारा कहा है कि वह टाण्डा विकास क्षेत्र में बाराबंकी जिले से किसी क्षेत्र विकास अधिकारी को स्थानान्तरित कर दें।

श्रीमती रामरती—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में जो ४ विकास खंड तोड़े गये हैं उनके विकास अधिकारी कहां नियक्त किये गये हैं?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

पहली जुलाई, १९६६ को सरकारी गजट में १९७, १९८ ब्लाक तोड़ने का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद हाई कोर्ट से रिट होकर स्टे हो गया। अभी तक सब रुका हुआ है। इस समय कोई अधिकारी फालतू नहीं है।

श्री रामरती—

क्या मन्त्री जी को पता है कि फैजाबाद जिले के बीटी ब्लाक में इस समय २ बी० डी० ओज० कार्य कर रहे हैं?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

देख कर बताया जा सकता है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

एक ब्लाक विशेष में इस समय २ बी० डी० ओज० काम कर रहे हैं। क्या मन्त्री जी जांच करावेंगे कि उनके गुट के एक माननीय सदस्य के कारण ऐसा हो रहा है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसे देखना होगा। माननीय सदस्य हम से मिलकर बता दें तो मालूम कर के उन्हें बता दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

सूखे की स्थिति को देखते हुए क्या मंत्री जी पुनः ब्लाकों को जीवित रहने देंगे ताकि कुछ काम हो सके?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

हाई कोर्ट के स्टे के बाद ब्लाक आफीसर बदस्तूर काम कर रहे हैं। ड्राइंग और डिसबर्समेन्ट की अथारिटी भी उन्हें वापस कर दी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या टांडा ब्लाक में जहां से मंत्री जी के गुट विशेष के एक माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनकी मर्जी के अनुसार वहां विकास अधिकारी रखे जाते हैं और जो फालतू विकास अधिकारी हैं उन्हें दूसरी जगह लगाने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

गुट विशेष के संबंध में तो मुझे जानकारी उन से ज्यादा ही होगी, लेकिन उन बी० डी० ओज० के लिये आदेश हैं कि वे बाराबंकी जल्दी चले जावें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मेरे यहां बड़गांव ब्लाक में कोई विकास अधिकारी नहीं है और बजट सरेंडर करा लिया गया है। तो क्या सरकार वहां बी० डी० ओ० भेजेगी और बजट देगी?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

१५ दिन ही पहले सरकार ने विकास आयुक्त को आदेश दिये हैं और उन्होंने वायरलेस कर दिया है कि टूटे हुए ब्लाकों में माइनर इर्रीगेशन के और विकास के कामों में ढीलापन नहीं आना चाहिये। इसलिये एग्रीकल्चर और पंचायत के लोग भी बी० डी० ओ० का काम करेंगे।

आगरा जिले में १८ व्यक्तियों का अपहरण

**२—सर्वश्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), ऊदल, ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में इरावतनगर थाने के अन्तर्गत पुसैंता तथा अन्य ग्रामों से दिनांक २८ नवम्बर, १९६६ को डाकू दल १८ व्यक्तियों को पकड़ कर ले गये? यदि हां, तो पकड़े हुये व्यक्तियों को छुड़ाने के लिये पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

गृह उप-मन्त्री (श्री शिव प्रसाद गुप्त)—

दिनांक २७-११-१९६६ को थाना इरावत नगर के अन्तर्गत पुसैंता तथा गजरपुरा ग्रामों से चम्बल घाटी के डकैतों के गिरोह द्वारा १८ व्यक्तियों का अपहरण किया गया। सूचना प्राप्त होने के समय से ही पी० ए० सी० व पुलिस द्वारा निरन्तर डकैतों को पकड़ने व अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की पुलिस से सम्पर्क स्थापित कर के उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दो डकैतों को पकड़ भी लिया गया है। अभी तक कोई अपहृत व्यक्ति छुड़ाया नहीं जा सका है।

अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर को पढ़ने के बाद इतना मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह इत्तला भी मिली है कि एक आदमी उनमें से छूट आया है। यह सूचना नहीं है कि किस तरह से आया है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

जहां से इन आदमियों को डकैत ले गये वहां से पी० ए० सी० का कैम्प कितनी दूरी पर था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कैम्प करीब ४ फर्लांग पर था।

श्री बालोजी अग्रवाल—

वे वहां क्यों नहीं आये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

न डकैतों ने और न गांव वालों ने कोई गोली चलाई जिसकी आवाज से वे आते। रामस्वरूप नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें बाद में खबर दी लेकिन उसने दिशा गलत बताई जब कि डकैत गये दूसरे रास्ते से थे। पी० ए० सी० तब उधर गई।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि ५ आदमी एक जगह से पकड़े और १२ दूसरी जगह से, और लोगों की रजाइयां छीनी और उन्हें मारा-पीटा और हल्ला मचा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पुलिस कप्तान का कहना है कि वह ३,४ बार उस जगह हो आये लेकिन उन्हें पता चला कि कोई लूटा नहीं गया। पुसैन्ता से और गूजरपुरा से उन्होंने लोगों को पकड़ा और ले गये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

१८ पकड़े हुये लोगों के नाम क्या हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ये लोग रुपये के लिये लोगों को पकड़ते हैं। एक आदमी पहले नजर का छूट कर आ गया है। मारना होता है तो वहीं मौके पर मार देते हैं। १८ आदमियों के नाम ये हैं :

श्री आदम सिंह, श्री चन्द्रभान, श्री लालकिशन, श्री सूरजभान, अमरसिंह, पूरन, पुत्र हर प्रसाद, पूरन, पुत्र सोभाराम, बंगाली, तेजसिंह, गौतम, रमेश, बाबू त्यागी, हीरासिंह, लालकिशन, शिवचरन, रामसहाय, सरवन, तुलाराम।

श्री ऊदल—

जो २ डकैत पकड़े गये उन से क्या इस बात का पता चला कि १८ व्यक्तियों को डकैतों ने कहां रखा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वे माधोसिंह के भाई भैरोंसिंह और नाहरसिंह हैं जो उस से कम नहीं हैं। वे बताने वाले नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है कि किसी आदमी के द्वारा ये डाकू आमंत्रित किये गये और कैसे उनकी योजना बनी ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी जांच हो रही है।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

जो एक आदमी वापिस आया उसे छुड़ाने के लिये कौन आदमी बीच में पड़ा जिसने रुपया देकर उसे छुड़वाया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नोटिस चाहिये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डाकुओं ने पहले ६ व्यक्तियों को पकड़ा, फिर चार फर्लांग की दूरी पर वे दूसरे गांव में गये और इस बीच में रामसूरत सिंह ने पी० ए० सी० को इत्तला कर दी कि डाकू पैदल गये हैं, पुलिस की वर्दी में हैं । पी० ए० सी० के पास तो जीप आदि भी थीं, लेकिन फिर उसने उनको चारों ओर घेरा डाल कर क्यों नहीं पकड़ा ? और क्या ये १८ व्यक्ति केवल एक गुट विशेष के थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

किस एक गुट के थे यह तो सूचना नहीं है, लेकिन इनमें ६ जाटव थे और १२ त्यागी थे। यह सही है कि डाकू पैदल गये लेकिन वहां से राजस्थान का बार्डर भी ४ फर्लांग ही है। पहले राम सूरत सिंह की इत्तला पर पी० ए० सी० के आदमी बरतरा गांव गये। वहां से प्रभु से पता चला कि वह दूसरी तरफ गये हैं और राजस्थान की पुलिस उधर घेरा डाले पड़ी है। पुलिस उधर गयी लेकिन डाकू दूसरी तरफ चले गये थे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस के जवान अध्यापकों, छात्र नेताओं, विधान सभा के सदस्यों को तो बड़ी तेजी से पकड़ लेते हैं, लेकिन डाकुओं को पकड़ने में क्यों ढिलाई करते हैं ?

(मंत्री को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १८ व्यक्तियों का अपहरण जिन डाकुओं के द्वारा हुआ है उन डाकुओं के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई इनाम है या नहीं ? यदि है, तो क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का इनाम मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के इनाम से हमेशा कम रहता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माधो सिंह पर इनाम है, और किसी डाकू पर इनाम है या नहीं इसकी सूचना नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी के पास इस किस्म की सूचना आयी है कि अपहरण कांड में जानबूझ कर पुलिस ने डाकुओं की ओर रुख नहीं किया और वह भी धन के वसूल करने में शामिल थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

शिकायत तो नहीं है लेकिन जांच में इसका भी खयाल रखा जायगा ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माधोसिंह पर उनका कितना इनाम है और एम० पी० और राजस्थान सरकारों का कितना है ? आपका इनाम कम क्यों रहता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माधोसिंह पर इनाम है लेकिन कितना है इस समय उसकी सूचना मुझे नहीं है । दूसरे प्रदेशों का कितना है, ज्यादा क्यों है और हमारा कम क्यों है, इसके बारे में हमें जो मुनासिब लगता है वह रखते हैं और उन्हें जो मुनासिब लगता है, वह रखते हैं । हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

आगरे की यह एक स्थायी समस्या है, अभी कुछ दिन पहले एक बारात में से १० बालकों को डाकू ले गये थे और अब यह १८ को ले गये और जिले में जनजीवन बहुत असुरक्षित हो गया है इस डकैत समस्या के कारण, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिस से उस क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं माननीय सदस्य से बिलकुल सहमत हूं कि डकैतों के द्वारा लोगों को पकड़ने की कार्यवाही इस चम्बल घाटी के किनारे काफी होती है और यह एक बड़ी जटिल समस्या सरकार के सामने है । वहां पी० ए० सी० तैनात की जाती है, वायरलेस सेट्स का भी इन्तजाम किया है और एक प्लेटून भी भेजा है और जहां पर एस० पी० मुनासिब समझते हैं पुलिस ज्यादा लगाते हैं । लेकिन यह समस्या जरूर है । मध्यप्रदेश और राजस्थान का बोर्डर लगा हुआ है, डाकू आते हैं और चले जाते हैं, हर गांव में तो सशस्त्र पुलिस रखना मुमकिन नहीं है, अगर इतनी ज्यादा पुलिस होती तो हम जरूर लगा देते ।

पंचायत मन्त्रियों का वेतन

**३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पंचायत राज सेक्रेटेरीज को केवल ५६ रु० ४ आने प्रतिमास दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार महंगाई को देखते हुये वेतन बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं । पंचायत मंत्रियों का वेतनक्रम ५०–२–६० ई० बी०–३–७५ है । वेतन के अलावा पंचायत मंत्रियों को साढ़े बारह रुपये प्रतिमास महंगाई-भत्ते के रूप में दिये जाते हैं । इसके अलावा एक पंचायत मंत्री को औसतन २० रु० प्रतिमाह यात्रा भत्ता के रूप में प्राप्त हो जाता है । हर ग्राम सभा उनको २ रु० प्रतिमास यह भत्ता देती है । इस प्रकार एक पंचायत मंत्री को कुल मिलाकर लगभग साढ़े बयासी रुपया (रु० ८२.५० पै०) प्रतिमास शुरू में ही मिलता है । अर्जित वार्षिक वृद्धियां इसके अतिरिक्त हैं । प्रदेश में औसतन १ पंचायत मंत्री को १०० रु० के लगभग प्रतिमास मिल जाता है ।

पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं । सरकार द्वारा उनके वेतन बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ५०-२-६०-३-७५ का जो वेतनक्रम है यह रुपया कौन देता है और यह वेतन क्रम किस ने निर्धारित किया है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जितनी स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं, वह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अन्तर्गत उन के सर्विस रूल्स का फाइनलाइजेशन राज्य सरकार इस सदन के द्वारा अधिकारों की प्राप्ति के अन्तर्गत करती है, आशा यह की जाती है कि यह गांव पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हो कर ऐक्ट के अन्तर्गत पंचायत के नौकर हैं लेकिन चूंकि आरम्भ में पंचायतों के पास धन नहीं था, अपने पैसे से वह वेतन नहीं दे सकते थे इसलिये सन् ६१ से और पहले से यह सरकार ८०-८५ लाख रुपया हर साल ग्रान्ट-इन-एड दे देती है और उसी से वह वेतन देते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह ५०-२-६० का तो सीधा रहा कि ग्रान्ट देते हैं और यह निश्चित हो गया कि इतना पैसा मिलेगा लेकिन यह साढ़े १२ रुपया जो मंहगाई भत्ते का है उसका आधा सरकार देती है और आधा पंचायतें देती हैं, सवा ६ रुपया पंचायतों को देना चाहिये और उन के लिये वह वहीं तहसील में गांव पंचायतों के कोष में जमा करते हैं इसलिये उन को यह सवा ६ रुपया ही मिलता है और दूसरे सवा ६ नहीं मिल पाते।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है। कुछ जगहों पर हो सकता है कि उनको ६ १/४ रुपया न मिला हो। ६ १/४ रुपया तो खुद गांव पंचायत देती है और इस प्रकार उन्हें १२ १/२ रुपया मिलता है। इसके अलावा २० रुपया यात्रा भत्ता भी उन्हें मिलता है। उस २० रुपये में से ५ रुपये सरकार एडिशनल ग्रान्ट देती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार ग्राम पंचायत राज सेक्रेटेरीज के मसले पर विचार करेगी, जिनमें आधे से अधिक राजनीतिक पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने हमारे साथ राजनीतिक आन्दोलनों में हिस्सा लिया है परन्तु अपने शैक्षिक योग्यता के अभाव में पंचायत मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्राम सेवक ग्रामों में काम करते हैं, क्या सरकार इनको भी उनके कैडर में विलीन करने का कष्ट करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जी नहीं, पंचायत सेक्रेटरीज पंचायत के सरवेन्ट्स हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

जब कि पंचायत सेक्रेटरीज की नियुक्ति, तबादला और उनका डिस्मिसल सरकारी आदेश से होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको सरकारी कर्मचारी मानने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का उद्देश्य यह है कि इन सेक्रेटरीज का वेतन-क्रम है। उस पर आप जवाब दीजिये, प्रमुख चीज यह है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

यदि उन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया जायगा तो सारा मामला तय हो जायगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचायत सेक्रेटेरीज पंचायतों के सरवेन्ट्स हैं, तो जब उनके एप्वाइन्टमेन्ट्स,

डिस्मिसल, तबादला सरकार के आदेशों के अनुसार होता है तो उन्हें सरकारी कर्मचारी मानने में आपको क्या एतराज है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

श्रीमन्, यह गलत है कि सरकार के आदेशों से नियुक्ति होती है । जिला परिषद् उनकी एप्वाइंटिंग अथौरिटी है, वे ही ट्रान्सफर कर सकते हैं । एक ब्लाक के अन्तर्गत ब्लाक वाले और जिले के अन्तर्गत जिला परिषद् के लोग तबादला करते हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले यहां पर प्रदेश के पंचायत मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें माननीय मंत्री जी ने एक भाषण दिया था, तो क्या उन्होंने उन मंत्रियों को इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया था कि हम उनकी वेतन दर को बढ़ायेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत मंत्रियों का राज्य स्तर पर कोई संगठन नहीं है । कोई गोंडे से रजिस्ट्रेशन कराये हैं, कोई बुलन्दशहर से और कोई अन्य जगहों से । उस में भी ५-७ तरीके के लोग हैं । इसके संबंध में मैं जब कल अपना स्टेटमेंट दूंगा तो इसको साफ कर दूं । उनमें आपस में काफी मतभेद हैं । सरकार ने जो किया है उसके अतिरिक्त और कन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अभी माननीय मंत्री जी ने जितनी उपलब्धियां गिनवायीं हैं क्या उनके अतिरिक्त उनको कम से कम २० रुपया महंगाई-भत्ता बढ़ाने के आदेश, जैसा कि वे अन्य निकायों को देते हैं, भेजेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

श्रीमन्, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया हूं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

इस बात को देखते हुये कि जैसे और इकाइयों में आदेश देते हैं इन इकाइयों को भी आप आदेश देंगे कि कम से कम २० रु० महंगाई-भत्ता इन लोगों का बढ़ावें क्योंकि २० रु० यान्त्रिक भत्ता के रूप में इन को मिलता ही है ।

श्री अध्यक्ष--

आप का मतलब है कि ४० रु० कर दें ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

पंचायती राज रिसोर्सेज कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और उस में ये सारी बातें रिकमेन्डेशन में हैं और वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । उसके बाद ही तय किया जायगा ।

बौझिया ग्राम में पुलिस की कथित ज्यादती

**४--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बतायेगी कि बहराइच जिले में ग्राम बोझिया, मिल्कियत महराजगंज तथा दूसरी जगहों में बड़े-बड़े फारमरों के कहने पर पुलिस द्वारा सैकड़ों खेत मजदूरों और गरीब किसानों को गत १९ नवम्बर से पी० ए० सी० व स्थानीय पुलिस द्वारा जबरदस्ती उजाड़ा जा रहा है और लगभग ५०० झोपड़ियों को जला कर फूंक दिया गया है व बहुत से खेत मजदूर व गरीब किसान गिरफ्तार किये गये हैं और क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जिला बहराइच के ग्राम बौझिया, मिल्कियत महराजगंज तथा दूसरी जगहों में पी० ए० सी० या पुलिस द्वारा मजदूरों व गरीब किसानों के खेतों को उजाड़े जाने या झोपड़ियों को जलाने की कोई भी घटना गत १९ नवम्बर से नहीं हुई है। वास्तविकता यह है कि ग्राम बोझिया थाना मोतीपुर के अन्तर्गत लोहिया फार्म तथा थाना सुजौली के अन्तर्गत कठवतिया फार्म की भूमि हड़पने के लिये कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवैधानिक ढंग से स्थानीय तथा सीतापुर जिले के लोगों का जन समूह बनाकर उक्त फार्मों पर बलपूर्वक मड़हे वगैरह छा लिये थे तथा भूमि को गोड़वा रहे थे। इसकी सूचना उक्त फार्मों के प्रोपाइटर्स की ओर से दिनांक २३-११-६६ तथा २४-११-६६ को संबंधित थानों पर दी गई और नामजद रिपोर्ट की गई। जिस पर स्थानीय थानों द्वारा कार्यवाही की गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, शान्ति भंग होने की संभावना होने के कारण एक सशस्त्र पुलिस गार्ड थाना मोतीपुर व दूसरा थाना सुजौली के संबंधित क्षेत्रों में तैनात किया गया। पुलिस के उक्त दोनों क्षेत्रों पर पहुंचने पर अपराधियों के हटने के बाद फार्म के मालिकों ने अधिकृत झोपड़ों को हटाकर व फूंस को जलाकर जमीन पर जोताई गोड़ाई शुरू की। इस संबंध में एक फार्म के मालिक तथा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता श्री रामहर्ष विद्रोही के तार शासन को तथा अधिकारियों को प्राप्त हुये थे। इस संबंध में की गई जांच से उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में मेरे सवाल का जवाब पहले तो यह दिया है कि वहां पर पी० ए० सी० द्वारा झोपड़ियां नहीं गिराई गयीं। लेकिन बाद में कहते हैं कि जब पुलिस पहुंची तो मालिकों ने अपने हाथों से उनकी झोपड़ियां गिरा दीं, फूंस जला दिया। तो यह आदेश वहां के मालिकों को किसने दिया था कि उनकी झोपड़ी गिरा दी जायं और उस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इस में आदेश की क्या आवश्यकता है। उनका कहना है कि हमारे फार्म हैं, गलत तरीके से इन लोगों ने कब्जा कर लिया था इसलिये मालिक ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सब कुछ पुलिस के सहारे इसलिये किया गया है कि बहराइच के जो राजस्व मंत्री हैं उनके रिश्तेदारों के ये फार्म हैं और उन्होंने जबरदस्ती उन गरीब मजदूरों को वहां से निकाल कर पी० ए० सी० और मंत्री के सहारे जबरदस्ती उन की झोपड़ियां गिरा कर अपने फार्मों में उस जमीन को दाखिल कर लिया ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री पूरे केस की जांच करेंगी कि वह जमीन उन काश्तकारों की है या उन फार्मर्स की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

न तो किसी मंत्री के रिश्तेदार का सवाल आता है न मेरी ऐसी सूचना है। यह तो सीधा सवाल है। मालिकों ने कहा कि उन के फार्मों पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, छपाकर नोटिस बांटे गये, मीटिंग की गई कि कब्जा कर लो। आदमियों को गुमराह किया गया कि हम तो भारत सरकार से अधिकार प्राप्त कर लाये हैं किये जमीनें भूमिहीनों को मिलेंगी। गरीब आदमियों को भड़का कर उन पर कब्जा करवा लिया।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

जब इस जमीन के ऊपर स्वामित्व का झगड़ा है कि यह जमीन उन दो फार्मर्स की है या उस पर बसे हुए गरीब किसानों की है तो पुलिस ने अपना बल प्रयोग क्यों किया ? कोर्ट से तय करने के लिये क्यों नहीं कहा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, इसमें हक का सवाल तो था ही नहीं। वह काबिज थे, दूसरे आदमियों ने आ कर बेदखल करना चाहा तो पुलिस ने उनको भगा दिया। अब यह कि किसका फार्म है, किसका नहीं है यह तो सिविल कोर्ट में तय होगा।

श्री बीरसेन (जिला मेरठ)---

जब झोपड़ियां वहां पर बन चुकी थीं और वे लोग उन पर काबिज थे तो यह कैसे सही हो सकता है कि वे कब्जा करने के लिये आ रहे थे? दूसरे मंत्री जी कृपा करके यह बतायें कि अगर डिस्प्यूट कब्जे के बारे में था तो दफा १४५ पुलिस ने क्यों नहीं चलाई?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

डिस्प्यूट कब्जे के बारे में कहां था? वह तो गलत तरीके से पहुंच गये थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां पर झोपड़ी डाले हुये थे और झोपड़ी डालने के वक्त कोई झगड़ा नहीं हुआ तो क्या प्रमाण है पुलिस के पास कि उन्होंने नाजायज कब्जा किया था? जो लोग कहते हैं कि जमीन हमारी है उनको दीवानी में जाना चाहिये था न कि उन लोगों को जिनका कब्जा था।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसमें मैंने यह निवेदन किया कि इसका कहां सवाल है कि पुलिस यह तय कर रही है कि मालिक कौन है। यहां तो यह सवाल था कि जिसका फार्म है वह पीसफुल पजेशन में रहे, पुलिस ने यह तय कर दिया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

सवाल तो यह है कि बहुत से लोगों ने वहां झोपड़ी डाल रखी थी। अब इनका कहना यह है कि वह नाजायज डाल रखी थी। तो पुलिस के पास कौन सा अधिकार था, वह कैसे जानती थी कि नाजायज डाल रखी है? श्रीमन्, सही बात यह है कि माननीय राजस्व मंत्री के वे लोग संबंधी हैं और इनके डर के मारे पुलिस के लोगों ने एक प्रकार से ज्यादाती की उनके साथ और मैं आपके जरिये माननीया मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री के रिश्तेदार होने की वहज से यह हुआ है कि कुछ लोग जबरदस्ती अपने कब्जे से हटा दिये गये। मैं उनसे कहूंगा कि वह इसमें हस्तक्षेप करके इसकी जानकारी हासिल करें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री झारखंडे राय---

श्रीमन, इसमें मूल सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया है कि वहां कुछ लोगों ने चाहे वे सीतापुर के हों या कहीं के हों, अनअथोराइज्ड तरीके से अपनी झोपड़ियां बना ली थीं। मंत्री जी ने यह बात कहीं नहीं कही कि झोपड़ी बनाते वक्त वहां कोई अड़चन की गयी। झोपड़ियां पहले ही बन चुकी थीं, यह तो जब वे लोग जमीन जोत रहे थे तब यह कार्यवाही हुई है। तो मैं यह जानना चाहता कि अगर उनका अनअथोराइज्ड आक्यूपेशन था तो उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया। असलियत यह है कि उनका वहां कब्जा था, वहां वे लोग जोत बो रहे थे। उनको गलत तरीके से दो फार्मस के कहने पर पलिस के जरिये हटाया गया है। ५०० झोपड़ियां फूंकी गयी हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस संबंध में कोई जांच पड़ताल करने की कृपा करेंगे? इसमें राजस्व मंत्री के रिश्तेदारों का संबंध है इसलिये मुख्य मंत्री इस गंभीर परिस्थिति की कृपा करके जांच पड़ताल करायें ताकि हम लोगों को संतोष हो जाय।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, मैं स्थिति जरा साफ कर दूं। एक पर्चा वहां बंटा। वहां पर सीतापुर और बहराइच से २००/२५० कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गये और उन्होंने कहा कि कानून बन गया है कि किसी के पास ४० एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रह सकती है। ४० एकड़ से ज्यादा जिनके पास भूमि है वह उन लोगों को दी जायेगी। इसलिये तुम लोग चलकर कब्जा कर लो। उन लोगों ने कई फार्मों पर कब्जा कर लिया, फूस काटकर छप्पर बना लिये और खेत जोतने लगे। फार्मों के मालिकों ने पुलिस में रिपोर्ट की कि हमारी जमीन पर इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उनको वहां से हटा दिया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

श्रीमन्, मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूं। इसलिये कि इस तरीके से हमेशा सवाल उठते हैं। कभी उन पर मुख्य मंत्री परदा डाल देती हैं और कभी गृह मंत्री डाल देते हैं। इसके पहले गिरधारीलाल जी के ऊपर चार्ज लगाया गया था और वह साबित भी हो गया था। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। पता नहीं इलेक्शन के बाद करेंगी या सेन्टर में जाने के बाद करेंगी। इसकी जांच होनी चाहिये क्योंकि इसमें हजारों आदमी उजाड़े गये हैं और यह देखा जाय कि ठाकुर साहब के वे रिश्तेदार हैं या नहीं और उन काश्तकारों के नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री जी यह बता दें कि क्या माननीय हुकुम सिंह जी का इस ट्रांजेक्शन से कोई संबंध था ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

जी नहीं, उनका कोई संबंध नहीं था।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छप्पर मजदूरों, द्वारा बनाये गये हैं और उनमें आग लगाना अपराध है तो क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आग लगाई कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री, क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान) प्रश्न यह है कि जिन्होंने छप्पर में आग लगा दी। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, जब वे लोग पकड़ लिये गये और वहां से लोग भाग गये तो जो फार्म मालिक थे, उन्होंने उन छप्परों को हटाकर तथा जलाकर अपनी जमीन पर कब्जा किया।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है कि सीतापुर और बहराइच से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आकर पर्चा बांटा तो मैं जानना चाहता हूं कि यह पर्चा कब बंटा और कितने दिन के बाद कब्जा हुआ और कब छप्पर जलाये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, परचा छपा हुआ है। उसमें तारीख नहीं है। लेकिन उसमें यह लिखा है कि २८ तारीख को घंटाघर के मैदान में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं के भाषण होंगे और उसमें सब नेताओं के दस्तखत हैं। यदि आप आज्ञा दें .....

(जगदम्बा प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

कुंवर औपालसिंह (जिला जौनपुर)—

पर्चा तो पढ़ने दीजिये ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

यदि आप आज्ञा दें तो इस पर्चे की दो लाइन पढ़ दूं । उससे माननीय सदस्यों को साफ हो जायगा । इसका हेडिंग है "बहराइच चलो, बहराइच चलो"। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा । हदबन्दी कानून लागू करो । बहराइच जिलाधीश के द्वारा लखनऊ तथा दिल्ली सरकारों को नोटिस 'भाइयों और बहनों क्या आप जानते हैं कि बहराइच जिले में ७५ प्रतिशत जनता के पास कुल जोत की जमीन का केवल २५ प्रतिशत जमीन है और २५ प्रतिशत बड़े भूस्वामियों के पास कुल जोत जमीन का ७५ प्रतिशत है ? क्या आप जानते हैं कि मैकेनाइज्ड तथा गन्ना फार्म के नाम पर ५०० एकड़ से ज्यादा जैसे लोहिया फार्म २५०० एकड़ (कलकत्ता)," और वह कहते हैं कि हुकुमसिंह के संबंध में हैं। "श्री ओंकार नाथ पुलिस डी० आई० जी० (बाहरी जिला) २००० एकड़, लौकाही फार्म घिरऊ खां (आजमगढ़) १००० एकड़, भगड़िया फार्म १२०० एकड़ देवराजसिंह (आरा जि०) क्या आप जानते हैं कि राजा राम सिंह एम० पी०, राजा बसुनहा तथा तमाम पुराने राजाओं एवं नवाबों के लम्बे लम्बे फार्म हैं ? क्या आप जानते हैं कि बहराइच जिले में जितने भी अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त हुए और नजदीक के जनपदों के उच्चाधिकारियों ने इस जनपद के जोत की जमीन का बीसों हजार एकड़ जमीन का फरजी पट्टा करा रखा है तथा दसयों हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है ? क्या आप जानते हैं कि जनता के गुस्से से डर कर चोर दरवाजे से गद्दी पर चिपके रहने वाले वानप्रस्थी उम्र के राजस्व मंत्री, श्री हुकुम सिंह ने उत्तर प्रदेश में ४० एकड़ से ऊपर के जोत की जमीन का हदबन्दी (सीलिंग) कानून बना रखा है जिसके हिसाब से ५ लाख एकड़ जमीन निकाल कर एक लाख भूमिहीन परिवारों में बांटी जा सकती है ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री ने बताया है....

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है । आपने मेरा नाम पुकारा था । जब वह पर्चा पढ़ने लगे तो मैं बैठ गया । अब आपने दूसरे माननीय सदस्य को कह दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । पूछ लीजियेगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय मंत्री ने मान लिया है कि काश्तकारों के मकान पहले बने हुये थे, उनका कब्जा था, और वह जमीन जोत रहे थे । पुलिस की मौजूदगी में जमींदारों ने उनकी झोपड़ियां जला दीं । क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

मैं जानना चाहता हूं कि रेकार्ड में उस जमीन का प्रोप्राइटर कौन दर्ज है और कब से वह जमीन उसके कब्जे में थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मालिक फार्म यह हैं कठवतिया फार्म, गोरखनाथ तिवारी बोझिया फार्म के मालिक हैं ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करवायेंगे कि जिस जमीन का झगड़ा है वह पहले वन विभाग की जमीन थी और विभाग ने छोड़ दी और वह ग्राम समाज के कब्जे में आ गयी और जमीन पर अनअथराइज्ड तरीके से फार्म वाले कब्जा कर रहे हैं ?

वहां पर किसान उसको जोतना बोना चाहते हैं, लेकिन जमींदारों ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ऐसा साबित हो जाये तब तो जांच का प्रश्न आयेगा । मैं निवेदन कर रहा था कि दूसरों के फार्म हैं, और वे लोग उसको जबरदस्ती जोतना बोना चाहते थे और उस पर कब्जा करना चाहते थे ।

नगवा बांध के पानी का प्रयोग

**५--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस साल नगवा बांध, परगना विजयगढ़, जिला मिर्जापुर में कितने कुट पानी जमा हुआ और उस पानी को कहां खर्च किया गया ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

परगना विजयगढ़, जिला मिर्जापुर में स्थित नगवा बांध में इस वर्ष में १२८० मिलियन घनफुट पानी जमा हुआ जिससे २७ दिन घनरौल बांध को पानी दिया और ३६ दिन कूड़ा रजबहा चलाने में शेष एकत्रित पानी का प्रयोग किया गया ।

**६--श्री रियासत हुसैन--

क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि उस बांध के पानी से हर साल परगना विजयगढ़ की ६० ग्राम सभाओं को सिंचाई के लिये पानी मिलता था, किन्तु इस साल वह पानी उनको नहीं दिया गया और दूसरी तरफ को निकाल दिया गया ? यदि हां, तो यह कार्यवाही क्यों की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, उल्लिखित ६० ग्राम सभाओं को भी हर साल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है और इससे घनरौला जलाशय को भी हर साल पानी दिया जाता है जिसके लिये नगवां बांध निर्माण किया गया है । इस वर्ष भी ६० ग्राम सभाओं को सिंचाई हेतु कूड़ा रजबहा द्वारा पानी दिया गया तथा कर्मनाशा कट से घनरौल जलाशय को भी अन्य वर्षों की भांति पानी दिया गया क्योंकि नगवां बांध का निर्माण घनरौल की पूर्ति के उद्देश्य से ही किया गया है ।

**७--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री जी को यह मालूम है कि अफसरान के इस अनुचित कार्य से ६० ग्राम सभाओं में लगभग एक लाख मन गल्ले की पैदावार मारी गयी और दूसरी फसल भी नहीं बोई जा सकी, इसमें मन्त्री जी फौरन जांच कराने के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

जी नहीं, कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है । इस वर्ष देव प्रकोप से दिनांक २९ अगस्त, १९६६ के पश्चात् नगवां बांध के क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण इस बांध में पानी नहीं आया,

फिर भी बांध में २९ अगस्त, १९६६ तक एकत्रित किये गये पानी से कूड़ा रजबहा जिस पर ये ६० ग्राम सभायें स्थिति हैं को ३६ दिन अर्थात् सितम्बर १०, १९६६ तक चलाया गया। जो कुछ भी फसल को क्षति हुई है दैव प्रकोप के कारण हुई न कूड़ा राजबहा ही और चलाया जा सका और न धनरौला को ही और पानी दिया जा सका।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जितना पानी नगवा बांध में था उसको दो तरफा दे दिया गया--धनरौल और कूढ़ा कैनाल में। जिसका नतीजा यह हुआ कि वह पानी दोनों जगह के लिये अपर्याप्त था, वाटर सप्लाई इनसफीशिएन्ट थी और उसके कारण दोनों जगहों की फसलें सूख गयीं? अगर यह पानी एक ही तरफ दे दिया जाता तो एक तरफ की फसल अवश्य पक जाती और एक ओर की फसल को ही हानि होती। तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि दोनों तरफ पानी देने के कारण दोनों स्थानों की फसलों की जो हानि हुई उसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदारी हैं? और क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी? क्योंकि उन सात ग्राम सभाओं के काश्तकारों और जनता ने अधिकारियों से यह दरख्वास्त भी की थी कि चूंकि पानी बहुत कम है, यह पानी हमें कूढ़ा कैनाल में दे दिया जाए, तो हमारी फसलें पक जायेंगी, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा

जी नहीं, अधिकारी इस बात के लिये जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जलाशय बनाया गया उसमें यह था कि धनरौल को उससे पानी दिया जाय और उसके बाद ग्राम सभाओं को भी पानी दिया जाय। १५ सितम्बर तक धनरौल रिजरवायर को ही पानी दिया करते थे, लेकिन उसके बाद दोनों में पानी का बंटवारा बराबर-बराबर कर दिया गया। यहां तो लोगों को उल्टे शिकायत है ग्राम सभाओं को पानी ज्यादा दिया गया।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)--

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जो अधिकारी हैं वे बांध का पानी वहां के किसानों को न देकर उसके पानी को १००-१५० मील दूर के दूसरे जिलों को ले जाते हैं वहां के लोगों को पानी इसीलिये नहीं मिला कि वहां के अधिकारी निश्चित रूप से पानी को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं? क्या यह सही है कि और यदि नहीं है, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करायेगी कि वे ऐसी मनमानी न करें?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैं अर्ज कर चुका हूं कि यह बांध दो परपज के लिये बनाया गया था। एक तो यह कि रजबहों को पानी दें और दूसरे धनरौल रिजरवायर को पानी दें ताकि वह नहरों में पानी दे सकें। इस साल पानी कम था तो धनरौल वालों की शिकायत हुई कि पानी उनको नहीं दिया जा रहा है। पानी का बंटवारा दोनों को सही रूप से दिया जाता है। इस वजह से पानी कम मिलने से उनको शिकायत है।

श्री रामनाथ पाठक--

यह व्यवस्था तो हर साल होती है, लेकिन इस साल मछली मारने की गर्ज से पानी बहा दिया गया औ फिर मछली मारने का काम किया। इस वजह से पानी कम हो गया। यही कार्यवाही नगवा बांध और अहरोरा बांध में भी हुई जिसकी वजह से वहां के काश्तकार सब परेशान हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हमारे यहां नियम है कि उस नियम के अनुसार उन बांधों से पानी दिया जाता है। १५ सितम्बर तक पानी दिया जाता है लेकिन इस साल २९ अगस्त तक ही दिया जा सका क्योंकि इस साल पानी कम था तो इस वजह से यह शिकायत आई।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इसमें किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया था कि मछली मारे या किसी ने मछली मारी पानी बहने के बाद ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मछली मारने की सूचना तो मेरे पास नहीं है क्योंकि यह सब जानते ह कि इस साल पानी कम पड़ा इस वजह से जो धनरौल ताल है, उसमें पानी कम भरा गया ।

श्री अध्यक्ष--

वह यह जानना चाहते हैं कि मछली मारने की वजह से ही यह परिणाम हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मछली मारने की वजह से यह परिणाम नहीं हुआ ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नलकूप विभाग से हटाये गये ओवरसियर

*१--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मई, जून, १९६६ में कितने ओवरसियर नलकूप विभाग से हटाये गये तथा क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

मई, जून, १९६६ में (सिंचाई विभागानुगत) नलकूप मंडलों से २६ ओवरसियर हटाये गये क्योंकि ओवरसियरों के कार्यभार का मापदंड (yardsticpiss) बढ़ा दिया गया था तथा विभाग का कार्यभार कम हो गया थजिसके फलस्व रूप उनकी स्वीकृत संख्या कम हो गई ।

*२--श्री बसन्तसिंह (अनुपस्थित)--

क्या मई, जून, १९६६ में नलकूप विभाग से हटाये गये सभी ओवरसियरों की पुनः नियुक्ति माइनर इर्रीगेशन में कर दी गई ? यदि नहीं, तो कितनों की तथा शेष की क्यों नहीं की गई ?

श्री गिरधारीलाल--

इनमें से (१) २० ओवरसियरों की पुनः नियुक्त माइनर इरीगैशन में (२) ४ की स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग (३) १ की कृषि विभाग तथा (४) १ की चीफ इन्जीनियर, टाउन प्लानिंग के यहां की गई ।

*३--श्री बसन्तसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनकी पुनः नियुक्ति कर दी गई, उनका आधार क्या है ?

श्री गिरधारी लाल--

ओवरसियरों की कनिष्ठता (juniority) के हिसाब से लिस्ट बनाकर विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार पुनः नियुक्ति के वास्ते भेज दी गई है और जिन-जिन ओवरसियरों के नियुक्ति पत्र संबंधित विभागों से आते गये उनको इस विभाग के कार्य-भार से मुक्त किया जाता रहा ।

*४--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया।]

सलेमपुर तहसील में घाघरा का कटाव

*५---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के तप्पा कसरवार, ग्राम परिसियाकूर में, घाघरा नदी का इस प्रकार भीषण कटाव हो रहा है कि जुलाई, १९६६ के प्रथम सप्ताह के अन्दर १० मकान नदी की धारा में विलीन हो गये और १०-१५ दिनों के अन्दर यदि कटाव रोकने की व्यवस्था न होगी तो उक्त ग्राम के लगभग २५० मकान नदी की धारा में बह जावेंगे और लगभग २ हजार जनता का सारा जीवन संकटमय हो जावेगा ? यदि हां, तो उस ग्राम के बीच बचाव एवं जनता के बसने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

मैंने २-८-६६ को सरकार के पास यह सवाल भेजा तो जरा आप डांटिये कि ४ महीने तक सूचना न आने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

असल में मेरे पास इसकी सूचना आ गई है। १० मकान उसके पहले नष्ट हुये थे। बाकी मकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह सूचना हमारे पास है कि नदी के किनारे पर जो गांव बसे हुये हैं वह धीरे धीरे कटते रहते हैं। और कोई नुकसान नहीं हुआ है, यही सूचना हमारे पास है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एक वर्ष पहले उस नदी से १० मकानों को नुकसान हुआ था और धीरे धीरे १० मकान और किसानों के कट गये हैं और वह गांव अब पूरा का पूरा कटने की दशा में है इसलिये वहां के किसानों द्वारा बार-बार मांग की गयी कि उनको कटाव को देखते हुए दूसरी जगह ले जाकर बसाया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इस काम को सिंचाई विभाग नहीं करता।

श्री अध्यक्ष---

उनका सवाल तो पूरी सरकार से है।

श्री उग्रसेन---

क्या जैसे दूसरी जगह लकड़ी वगैरह के ठोकर बनाकर कटाव को रोकने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही यहां भी किया जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

जहां यह सम्भव होता है किया जाता है। लेकिन जहां गांव नदी के पेटे में बसा हुआ है वहां क्या किया जाय।

श्री झारखण्डेराय---

घाघरा का कटाव यहीं नहीं होता, दूसरी जगहों में भी जैसे दोहरीघाट है वहां भी होता है। तो उस कटाव की रोकथाम जाड़े में क्यों नहीं की जाती, बंडाल की व्यवस्था इस समय क्यों नहीं की जाती, जब कटाव होने लगता है वर्षा में तब यह सब काम होता है और लाखों रुपया बरबाद हो जाता है। तो क्या सरकार इसके लिये अभी से प्रयत्न करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

न तो हमने यहां ही इन गांवों के लिये कोई व्यवस्था की है और न ऐसा कोई इरादा है। यह सिंचाई विभाग का काम भी नहीं है।

बलिया जिले में घाघरा का कटाव

*६--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत तहसील बांसडीह, ग्राम डूहाबिहरा, जो घाघरा नदी के किनारे स्थित है, वहां का बांध घाघरा नदी के कटाव से कट गया है और इस समय कटाव के सामने के करीब १२ गांव घाघरा की बाढ़ से संकट में घिरे हुये हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, कटाव हुआ है किन्तु किसी आबादी, जान माल या फसल की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है।

*७--श्री जगन्नाथ चौधरी--

क्या यह सत्य है कि उक्त गांव डूहाबिहरा के कटे हुए बांध के बगल में या बांध बनाने के लिये सरकार द्वारा जमीन एक्वायर कर ली गई है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं।

*८--श्री जगन्नाथ चौधरी--

यदि हां, तो शीघ्र बांध बनाने का कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा है ? और कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर पावर हाउस की मशीन टूट जाना

*९--श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा), श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा), श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर), श्री रामचरण शाह (जिला खीरी) तथा श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर सरकारी पावर हाउस का टरबाइन ८ जुलाई, १९६६ को अथवा उसके आस-पास टूट गया ? यदि हां, तो उस मशीन के टूटने से कितनी आर्थिक हानि हुई ?

श्री गिरधारी लाल --

बलरामपुर वाष्प विद्युत गृह में ८ जुलाई, १९६६ को २००० किलोवाट क्षमता की टरबाइन का रोटर (rotter) टूट गया था और वह इस मशीन की बिरिंग (bearing) इत्यादि में भी क्षति हुई थी। कुल क्षति का अनुमान लगभग २ लाख रुपये का है।

*१०--श्री गिरवरप्रसाद, श्री सुखदेवप्रसाद, श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री रामचरण शाह तथा श्री शिवेन्द्र प्रताप--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित मशीन के टूट जाने की जिम्मेदारी किसकी है तथा उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नोट--तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल—

उपरोक्त लिखित मशीन में क्षति होने के कारणों को जानने के लिए एक समिति बैठाई गई थी। इस समिति की रिपोर्ट मिल गई है और इस पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है।

*११—श्री शिवरप्रसाद, श्री सुखदेवप्रसाद, श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री रामचरण शाह तथा श्री शिवेन्द्रप्रताप—

हमारी इस सूचना को सत्य मानकर कि जब से बलरामपुर पावर हाउस सरकार के नियन्त्रण में आया है तब से वहां बड़ी अव्यवस्था तथा अधिकारियों की असावधानी व्याप्त है जिससे कि बिजली भी नहीं ठीक वितरित होती तथा मशीनें टूट रही है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है बलरामपुर पावर हाउस की मशीन में क्षति के कारणों को जानने के लिये एक जांच समिति बैठाई गई थी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

हाईडिल आफिस, शाहजहांपुर से कनेक्शन

*१—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के सुनासर ऐग्रीकल्चरल एरिया के कितने काश्तकारों ने अप्रैल व मई, १९६६ में हाइडिल आफिस, शाहजहांपुर में बिजली के कनेक्शन के लिये पच्चीस रुपये फी कनेक्शन के हिसाब से रुपये जमा किये ?

श्री गिरधारीलाल—

शाहजहांपुर जिले के सुनासर ऐग्रीकल्चरल एरिया के ११ व्यक्तियों ने अप्रैल व मई, १९६६ में हाईडिल आफिस, शाहजहांपुर में बिजली के कनेक्शनों के लिये पच्चीस रुपये फी कनेक्शन के हिसाब से रुपया जमा किया है।

*२—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कब तक उन लोगों को पावर दे देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

शीघ्र ही कनेक्शन देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

मुरादाबाद डिवीजन से नलकूप चालकों के तबादले

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली अक्तूबर, १९६५ से २८ फरवरी, १९६६ तक कितने ट्यूबवेल आपरेटरों को तबादला करके मुरादाबाद डिवीजन से दूसरे जिलों को भेजा गया और किस-किस आपरेटर को किस-किस जिले में ?

*४—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आपरेटरों के खिलाफ क्या-क्या प्रमुख शिकायतें थीं और किन कारणों से उनका तबादला दूसरे जिलों को किया गया ?

*५—क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि ट्यूबवेल्स आपरेटर को सर्विस कोड इस बात की आज्ञा नहीं देती है कि उनको दूसरे जिले में भेजा जाय ?

श्री गिरधारी लाल—

सूचना संलग्न है ।

इन सभी आपरेटरों के विरुद्ध नलकूपों से गैरहाजिर रहने तथा राजस्व की हानि पहुंचाने की प्रमुख शिकायतें थीं ।

जी नहीं, ऐसा कोई प्राविजन (Provision) ट्यूबवेल आपरेटर की सेवा नियम में नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६८ पर)

गोरखपुर जिले में नलकूपों को बिजली

*६—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गगहा और बड़हलगंज ब्लाक, जिला गोरखपुर के किन-किन गावों में निजी नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन देने के आवेदन-पत्र सन् १९६५ और सन १९६६ में दिये गये हैं, और कब कब तथा इनमें से किसको-किसको और कब-कब कनेक्शन दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

सन् ६५ और ६६ में गगहा और बडहलगज ब्लाक, जिला गोरखपुर के ग्रामों के ११ व्यक्तियों से निजी नलकूपों के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं । जिनमें से दो व्यक्तियों को कनेक्शन दिये जा चुके है।

बड़हलगंज स्टेशन बस के लिए भूमि

*७—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार बड़हलगंज बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि अर्जित करने की कार्यवाही कर रही है, जो गोरखपुर रीजन का एक खास बस स्टेशन है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इमारत बनाने का काम कब तक शुरू हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी हां । जो भूमि बस स्टेशन के लिये चुनी गई है उसके अर्जन के लिये कार्यवाही चल रही है । भूमि प्राप्त हो जाने पर इमारत का निर्माण शुरू हो सकेगा ।

मुफ्तीगंज बाजार बस दुर्घटना

*८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जौनपुर,तहसील केराकत, बाजार मुफ्तीगंज के निकट गत मई माह मे कार दुर्घटना से दो –तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ? क्या सरकार इस दुर्घटना की पूर्ण जानकारी कराने तथा अभी तक अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, स्पष्ट करने का कष्ट करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२२ मई, १९६६ को सुबह ८ बजे कार संख्या डब्लू बी० डी० ७१४० से दुर्घटना हुई । ड्राइवर की रिपोर्ट के अनुसार यह गाड़ी जौनपुर से गाजीपुर जा रही थी । दुर्घटना से एक लड़का मौके पर ही मर गया, दो लड़के घायल हो गये । ड्राइवर ने स्वयं सवा दस बजे सुबह थाने पर रिपोर्ट लिखाई । मृतक के पिता ने भी सुबह ११ बज कर १० मिनट पर रिपोर्ट लिखाई ।

ड्राइवर का पुलिस द्वारा चालान कर दिया गया है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

*९—श्री जगन्नाथ राव—

उपरोक्त कांड में वह कार किस व्यक्ति की थी तथा ड्राइवर कौन था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कार के मालिक श्री गुरुनाथ सिंह, सेक्रेटरी जिला परिषद जौनपुर हैं ?

घटना के दिन उस समय इस कार को ड्राइवर, श्री लाडले अभियुक्त अपनी रिपोर्ट के अनुसार स्वयं चला रहा था।

[६ दिसम्बर, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद डिवीजन में नलकूपों के लिए खरीदा गया सामान

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल डिवीजन, मुरादाबाद में कौन-कौन सुपरवाइजर और स्टोरकीपर ऐसे हैं जिनको १० साल से ज्यादा वहीं काम करते हो गया है ? और क्या सही है कि उनके तबादले कई बार हुये, परन्तु उनको कैंसिल कर दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री गिरधारीलाल—

ट्यूबवेल डिवीजन मुरादाबाद में कोई भी सुपरवाइजर ऐसा नहीं है जिसको वहीं काम करते १० वर्ष हो गये हों। स्टोरकीपर का पद इस खंड में मंजूर नहीं है। अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६५-६६ में कुल कितने रुपये का सामान ट्यूबवेल डिवीजन, मुरादाबाद में ट्यूबवेल की मरम्मत के लिये खरीदा गया और किस किस कर्म से खरीदा गया ?

श्री गिरधारीलाल—

ट्यूबवेल डिवीजन मुरादाबाद में सन् १९६५-६६ में कुल ४,२३,५०५.१६ ० का सामान नलकूपों की मरम्मत के लिये खरीदा गया। फर्मों के नाम संलग्न तालिकाओं में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६९-६७२ पर)

गनगरी नाला

*३—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि गनगरी नाले की खुदाई के लिये गोरखपुर जिले में १९६५ या ६६ में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है तथा यह सर्वेक्षण कितनी दूरी का हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—यह सर्वेक्षण बड़हलगंज जाने वाली पक्की सड़क के मील २१-२२ के मध्य मथियां ग्राम के निकट जहां गनगरी नाला सड़क को पार करता है, के पास से शुरू गनगरी नाले

के तरैना नदी के संगम तक किया गया। इसके अतिरिक्त तरैना नदी के राप्ती नदी के संगम तक भी सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण की जांच करने पर यह पता चला कि तकनीकी दृष्टिकोण से कोई उपयुक्त योजना नहीं बनाई जा सकती है। अतः अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि गनगरी नाला, जिला गोरखपुर में अभी पहली ही बरसात में किनारे के तमाम खेतों को डुबो दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त सर्वेक्षण के आधार पर प्राक्कलन बना कर काम शुरू कर देगी जिससे किसानों को रबी की फसल की सुविधा मिल सके? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इस वर्ष जुलाई के आखिरी दिनों में कुछ दिनों के लिये पानी का फैलाव नाले के किनारे पर हो गया परन्तु पानी जल्द ही नाले के पेटे के अन्दर आ जाने के कारण समीप के खेतों की फसल को कोई हानि नहीं पहुंची।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

बस डिपो, प्रयाग में फोरमैन की आवश्यकता

*५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राजकीय परिवहन के सब डिपो प्रयाग में गाड़ियों की संख्या १७ से अधिक है, तो क्या सरकार वहां पर एक फोरमैन नियुक्त करने की कृपा करेंगी?

श्री मुजफ्फर हसन —

प्रशासकीय आवश्यकतानुसार इसकी जरूरत नहीं है।

*६—श्री झारखंडेराय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया]

रजबहा सहार की पटरी टूट जाना

*७—श्री लक्खीसिंह—

क्य सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २६–२७ जून, सन् १९६४ की रात रजबहा सहार मील १९ फर्लांग ३–४ पर ग्राम बगैरा, जिला मथुरा अपर डिवीजन, आगरा की पटरी टूट गई थी? यदि हां, तो यह पटरी किस तारीख को विभागीय अधिकारियों ने बन्द कराई थी और इसके फलस्वरूप कपास, गन्ना, चरी आदि की कितनी एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा?

श्री गिरधारीलाल —

तारीख २६–३७ जून, सन् १९६४ के बीच की रात को रजबहा सहार मील १९ फ० ३–४ पर ग्राम बझेड़ा जिला मथुरा अपर डिवीजन आगरा नहर की पटरी स्वयं नहीं टूटी वरन काश्तकारों द्वारा नाजायज आबपाशी के लिये काटी गई। कटिंग २८ तारीख को बन्द कर दी गई। गन्ना, कपास और चरी आदि किसी भी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ।

*८—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह पटरी टूटी उसी दिन निरीक्षण भवन नहर अकबरपुर तार घर से अधिशासी अभियन्ता अपर डिवीजन नहर, आगरा, मथुरा को किसानों ने तार भेजा था? यदि हां, तो इन गरीब किसानों पर २,८०० रुपये तावान पानी के नुकसान का हरजाना लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

जिस दिन कटिंग की गई उस दिन अकबरपुर तार घर से अधिशासी अभियन्ता के नाम कोई तार दिया जाना नहीं प्रतीत होता है। पटरी काटने पर नाजाइज आबपाशी पर ८०६.७० न० पै० तावानव १९८८.१६ न० पै० आबजाया कर लगाया गया।

मथुरा जिले में परिवहन विभाग सम्बन्धी मुकदमें

*९—श्री लखीसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में अ० आर० टी० ओ० साहब ने सन् १९६५ दिसम्बर से २० जून, १९६६ तक कितने ट्रैफिक बस, कार की अनियमितताओं पर चालान कर केस आगरा अदालत में भेजे और इनमें से कितने न्यायाधीश ने निराधार साबित होने पर खारिज किये?

श्री मुजफ्फर हसन—

५२६ केस जिनमें से ३ अक्तूबर, १९६६ तक एक मुकदमा न्यायाधीश ने खारिज किया।

बलिया जिले में बाढ़ सुरक्षा कार्य

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, बलिया द्वारा दिनांक १६ फरवरी, सन् १९६६ को बरोहा, कुवरपुरवा, गाजियापुर, चौहानपुर ग्राम सभाओं के प्रधानों के पास आदेश-पत्र भेजा गया है कि बाढ़ आने के पूर्व गांव खाली कर के किसी सुरक्षित स्थान पर ग्रामीणों सहित चले जायं? यदि हां, तो सरकार की ओर से ऐसा करने के लिये कौन-कौन सहायता दी जा चुकी है? यदि नहीं, तो इस प्रकार का आदेश क्यों कर दिया गया?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। ऐसे आदेश दिये गये थे मगर गांव वालों को अपने गांव खाली नहीं करने पड़े। अतः उन्हें सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

*११—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

[७वें बुधवार के लिये प्र० सं० ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नहर विभाग के विरुद्ध शिकायती पत्र

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ जनवरी, १९६६ के प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित दो पत्र उन्हें मिले हैं, जिनके साथ ७ प्रार्थना-पत्र नत्थी थे जिसमें ठेकेदारों को भुगतान न करने, गांव की आबादी के बीच में नहर निकालने आदि तरह-तरह की शिकायतें हैं? यदि हां, तो उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच करने वाले अधिकारी ने प्रार्थियों से भी साक्ष्य तथा बयान आदि लिये कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७३–६७४ पर)

हाथरस तहसील में नलकूप

*१३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरसाना ब्लाक और हाथरस ब्लाक में अब तक कितने नलकूप लग चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

अब तक मुरसान ब्लाक में ३ नलकूप तथा हाथरस ब्लाक में २ नलकूप लग चुके हैं।

*१४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरसाना ब्लाक में कितने नलकूप इस चतुर्थ योजना में लगाये जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा अभी तैयार नहीं हुई है इसलिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि चतुर्थ योजना में मुरसान ब्लाक में और नलकूप लगाये जायेंगे या नहीं।

धनसिंहपुर नाला

*१५—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २३ जून, १९६६ को मैंने जो पत्र मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस हेतु भेजा कि धनसिंहपुर नाला, विकास खंड, गंजडुंडवारा, जिला एटा की खुदाई तुरन्त रोक कर उसके मार्ग पर पुनः विचार करके पुराने मार्ग को ही स्वीकृत कर लिया जाय, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारी लाल—

२३ जून, १९६६ का पत्र मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मांट को बिजली न मिलना

*१६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला की मांट तहसील–हेड क्वार्टर पर बिजली अभी तक किन कारणों से नहीं पहुंची है ? और कब तक पहुंच जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—

मथुरा जिले के मांट तहसील हेडक्वार्टर के विद्युतीकरण के लिये ११ किलोमीटर लम्बी ११ के० वी० लाईन का निर्माण करना पड़ेगा। धन के आभाव के कारण तथा इस स्थान पर उप भोक्ताओं की पर्याप्त संख्या न होने के कारण १५ प्रतिशत निकासी नहीं मिल सकेगी। इसलिये इस स्थान का विद्युतीकरण इस समय सम्भव नहीं है।

सादात विकास खण्ड में सिंचाई

*१७—श्री राजनार्थासिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गाजीपुर जनपद सादात विकास खंड के अन्तर्गत लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरीके कमांड में कितने एकड़ भूमि सम्मिलित है ? कितने एकड़ भूमि की अब तक सिंचाई हो सकी है ?

श्री गिरधारी लाल—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७५ पर)

*१८—श्री राजनार्थासिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ८ वर्ष से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण होने पर आज तक एक एकड़ भूमि की सिंचाई भी न हो सकी और सिंचाई के अभाव में किसानों को हजारों मन अन्न की क्षति हुई है ? क्या सरकार इस डिस्ट्रीब्यूटरी को असफल घोषित कर उस क्षेत्र में ट्यूबवेल की व्यवस्था कर सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस रजवहे से अक्तूबर १९६१ (रबी १३६९ फसली) से सिंचाई होनी शुरू हुई है और १३७२ फसली में २,९९७ एकड़ तथा १३७३ फसली में ३,२९८ एकड़ सिंचाई की गई। अतएव यह कहना कि इस रजबहे से एक भी एकड़ सिंचाई नहीं हुई उचित नहीं है। यह सत्य है कि सादात ब्लौक गाजीपुर में, जो इस राजबहे के अन्तिम छोर पर स्थित है बहुत कम सिंचाई हुई है। इस क्षेत्र में राजकीय सिंचाई साधनों के अभाव से किसानों के अन्नोत्पादन में हुई हानि के विषय में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

इस ब्लाक में इस रजबहे को असफल घोषित करके इसकी जगह नलकूप लगाने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि खेरी ब्रांच को चौड़ा करके इसमें अधिक मात्रा में पानी पहुंचाया जाय ।

*१९—श्री राजनार्थासिंह—

सरकार द्वारा गत वर्ष पानी न देने की असमर्थता भी प्रकट की गई थी किन्तु अब तक उस क्षेत्र के लिये ट्यूबवैल के संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया जब कि सर्वेक्षण द्वारा ट्यूबवेल प्रस्तावित भी हुये थे ?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रश्न पर प्रश्न १८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है। नहरी कमांड में राजकीय नलकूप लगाने की योजना पर तभी विचार किया जायेगा जब ऊपर कहा गया प्रयत्न भी असफल हो जायेगा। राजकीय नलकूप ऐसे स्थानों पर लगाये जा रहे हैं जहां पानी का अन्य राजकीय साधन उपलब्ध नहीं है ।

जिला जजी, बांदा

*२०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

१५ मार्च, १९६६ के तारांकित प्रश्न २१ के उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में जिला जजी बांदा की मुस्तकली के लिये हाईकोर्ट ने स्वयं अपनी सिफारिशी रिपोर्ट कब भेजी और सरकार ने कब सम्पूर्ण विवरण मांगा तथा विवरण का अन्तिम रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

हाई कोर्ट ने १९६५–६६ की नई मांगों की सूची में सम्मिलित करने के लिये अपनी सिफारिशी रिपोर्ट २४ नवम्बर, १९६४ को भेजी थी। लेकिन देर से आने के कारण वह उक्त सूची में सम्मिलित न हो सकी। तत्पश्चात् १६ अगस्त, १९६५ को उन्हें सूचित किया गया कि वे इस मद को १९६६–६७ की नई मांगों की सूची में सम्मिलित करने के हेतु अपनी सिफारिशी रिपोर्ट सम्पूर्ण विवरण के सहित, यथा समय सरकार को भेजें। वह रिपोर्ट १ नवम्बर, १९६५ को सरकार को प्राप्त हुई।

*२१—श्री रघुवीर सहाय कंथवार—

उक्त दिनांक १५ मार्च, १९६६ के प्रश्न २२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किन–किन वर्षों के प्रस्ताव व सिफारिशें कब से सरकार के सामने हैं और क्या उन प्रस्तावों व सिफारिशों में सरकार द्वारा कोई आर्थिक भार न उठाने का विवरण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

बांदा जजी का स्थायीकरण का प्रस्ताव हाई कोर्ट से नई मांगों की सूची द्वारा १९६१–६२ से लगातार सरकार के समक्ष विचाराधीन आता रहा है। उन सिफारिशों में यह तो जरूर कहा गया है कि सरकार को कोई आर्थिक-भार न उठाना पड़ेगा, परन्तु यह सही नहीं है कि जजी के स्थायीकरण पर उसका अंतिम आवर्तक व्यय वर्तमान व्यय से ज्यादा हो ही जाता है।

हैदरगढ़ बस स्टैन्ड

*२२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि हैदरगढ़ सुलतानपुर रोड के इन्होंना जगदीशपुर जैसी छोटी-छोटी जगहों पर बस स्टैंड का भवन बन गया है, किन्तु तहसील केन्द्र हैदरगढ़ में अभी तक बस स्टैन्ड नहीं बना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। हैदरगढ़ में अभी तक भूमि नहीं प्राप्त हो सकी है।

*२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिला के हैदरगढ़ तहसील कार्यालय भवन तथा निरीक्षण भवन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच में जो भूमि सरकारी बेकार पड़ी है इस पर बस स्टैन्ड बनाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वह जमीन इस काम के लिये उपलब्ध नहीं है।

*२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि को बस स्टैन्ड के लिये एक्वायर करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो बस स्टेन्ड के लिये कब तक भूमि की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों की मांगें

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद में दिनांक ६ जुलाई, १९६६ को इलाहाबाद के रोडवेज के कार्यालय के मैनेजर के समक्ष रोडवेज कर्मचारियों ने कार्यालय में प्रदर्शन कर मैनेजर को मांग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उनकी कौन-कौन सी मांगें थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । मांगों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६७६ पर ।)

*२६—श्री वेदराम (जिला एटा)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

शोहरतगढ़ को बिजली देने की मांग

*२७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बस्ती के कस्बा शोहरतगढ़ में एक डिग्री कालेज है और नैपाल सीमा के निकट होने के कारण यह महत्वपूर्ण घना बसा हुआ है, परन्तु इसमें बिजली नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उस स्थान में बिजली लाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नौगढ़ जिला बस्ती में ३३/११ के० वी० सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इसके पूर्ण होने पर शोहरतगढ़ का विद्युतीकरण संभव होगा। इसके अतिरिक्त इस ग्राम से विद्युतीकरण की कुल लागत का कम से कम १५ प्रतिशत रिटर्न प्राप्त होना भी आवश्यक है ।

बांसगांव तहसील में राप्ती का कटाव

*२८—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम नवलपुर, सेमरा, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर को राप्ती के कटाई से खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो उसे रोकने का क्या प्रयास हो रहा है ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग :— नदी से कटाव हुआ परन्तु नवलपुर सेमरा ग्राम पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा ।

द्वितीय भाग :— प्रश्न नहीं उठता ।

*२९—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

देवरिया जिले में सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य

*३०—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप नम्बर १०५ देवरिया ग्रुप (देवरिया) के सर्विस रोड के लिये विभाग द्वारा जमीन धारा १७ के अन्तर्गत हस्तगत की गई थी ? और मई, १९६५ में उस भूमि पर अधिकार भी प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो इस तड़ातड़ी के बावजूद भी उक्त सर्विस रोड अभी तक पूरी की पूरी क्यों नहीं बनाई गई तथा कब तक निर्माण सम्भव है ?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूप संख्या १०५ देवरिया ग्रुप (देवरिया) की सर्विस रोड के लिये धारा १७ के अन्तर्गत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। इसका निर्माण कार्य जुलाई, १९६५ में आरम्भ किया गया, परन्तु इसे बनवाने के लिये कृषकों ने मिट्टी देने से इन्कार किया जिससे कार्य न पूरा हो सका। सर्विस रोड बनवाने के लिये, मिट्टी लेने के लिये, अस्थाई भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। अस्थाई भूमि प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही कार्य सम्पन्न किया जावेगा।

*३१—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त नलकूप की पक्की गूल निर्माण हेतु तथा बनी को ऊंचा करने के लिये उक्त नलकूप से संबंधित किसानों द्वारा कितने प्रार्थना-पत्र, तार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड प्रथम, देवरिया अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई कार्यमंडल, गोरखपुर एवं, निदेशक, नलकूप, उत्तर प्रदेश को दिनांक १ मई से २० मई के बीच में मिले हैं? और ईंटों के लगभग डेढ़ साल से पड़े रहने पर भी पक्की नाली के न बनाने तथा बनी को ऊंचा न करने का क्या कारण हैं?

श्री गिरधारीलाल—

१ मई से २० मई, १९६६ के बीच नलकूप संख्या १०५ देवरिया ग्रुप की पक्की गूल के निर्माण हेतु वहां के लोगों द्वारा एक पत्र अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड प्रथम, देवरिया तथा एक पत्र अधीक्षक अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर को मिला। कोई तार नहीं प्राप्त हुआ है। कच्ची गूल को पक्की करने के पहले कच्ची गूल को मिट्टी से मजबूत करना और ऊंचा करना आवश्यक है। जिससे पानी पक्की गूल बनने के पहले ठीक तरह से चल सके। काश्तकारों के विरोध के कारण पास से मिट्टी न ली जा सकी। जिसके फलस्वरूप कच्ची गूल पक्की और ऊंची न की जा सकी।

उमगरा ड्रेन पर पुलिया की आवश्यकता

*३२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरवा माइनर, जिला फर्रुखाबाद तथा लोअर गंगा कैनाल, कानपुर को मिलाने वाले सर्विस रोड ग्राम दन्नपुरवा, मौजा फखरपुर बेरवा के पास उमगरा ड्रेन की पुलिया बरसाती पानी निकालने में अपर्याप्त होने के कारण टूट जाती है और जिससे जनता को आने जाने में कठिनाई होने के साथ-साथ सरकार को प्रतिवर्ष उसे बनवाने में हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थान पर एक और नवीन पुलिया बनवाने पर विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग— जी नहीं।

द्वितीय भाग—पैदल चलने वाले यात्री इस नाले से आसानी से निकल सकते हैं। पुलिया की मरम्मत पर सरकार का कोई व्यय नहीं होता है।

तृतीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

हाहा नाला के निकट गांवों की सुरक्षा

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी के भीषण कटाव के कारण हाहा नाला बांध के समीप बसने वाले ग्राम बरोहा, गजियासुर, कुंवरपुरवा और मोलनापुर के कट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो सरकार की ओर से उक्त ग्रामों को बचाने के लिये कौन-कौन उपाय चालू वित्तीय वर्ष में किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—]

जी हां। कटाव से सुरक्षा के लिये तारों की जाली के बक्सों में झांवां और रेत से भरी बोरिया नदी के किनारे जहां कटाव हुआ है डाली गई हैं। इसके अतिरिक्त पहले से बनी ठोकरों को मजबूत किया गया है और गजियापुर ग्राम के सामने कटाव को रोकने के लिये बल्लियों के तीन स्पर बनाये जा रहे हैं।

नलकूप मानीपुर से सिंचाई

*३४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या नलकूप नम्बर ३ (मानीपुर), मौजा कड़ा, जिला इलाहाबाद की बाबत सेक्रेटरी, सिंचाई को दिनांक १४ फरवरी, १९६२ को रजिस्टरी नोटिस मिला है? यदि हां, तो उसके मिलने के बाद से अब तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, सेक्रेटरी, सिंचाई को सम्बोधित मौजा कड़ा, जिला इलाहाबाद का दिनांक १४-२-६२ का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३५—श्री उग्रसेन, श्री रियासत हुसैन तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नलकूप नम्बर ३ (मानीपुर) से उन लोगों को भी आपरेटर ने पानी नहीं दिया जिनकी बाबत प्रधान ने पर्ची जारी कर दी थी और जो हर साल सरकार को करीब ५००-७०० रु० आबपाशी का देते हैं? यदि हां, तो किस वजह से जब कि नलकूप बराबर चलता रहा? क्या सरकार ने उसकी कोई जांच कराई और यह जांच रिपोर्ट क्या है? यदि जांच अभी नहीं कराई तो क्या सरकार अब जांच करा कर सदन में रक्खेगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। नलकूप मानीपुर का कोई काश्तकार ५००-७०० रु० आबपाशी कर नहीं देता है। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहजहांपुर जिले में नलकूप

*३६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले की सदर तहसील के किन-किन गांवों में सरकार मौजूदा माली साल में ट्यूबवेल लगाने का इरादा रखती है या निश्चय कर चुकी है?

श्री गिरधारीलाल—

केवल ग्राम जैनउद्दीन नगर में नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।

मुरादाबाद में पावर कनेक्शन्स की स्वीकृति

*३७—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि शहर मुरादाबाद में कितने पावर के लाइसेंस, दिनांक १ जनवरी, १९६६ से अब तक पेंडिंग पड़े हैं? और उनके डिस्पोज आफ न होने के क्या कारण हैं?

श्री गिरधारी लाल—

सम्भवतः माननीय सदस्य का "पावर लाइसेन्स" से पावर कनेक्शन का अभिप्राय है।

१-१-६६ से १६-११-६६ तक शहर मुरादाबाद में ११६ स्वीकृत पावर कनेक्शन पेंडिंग हैं। उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूरी न की जाने के कारण उन्हें यह पावर कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं ?

मोटर गाड़ी कर

*३८--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) को वापस लेने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं ।

क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक धन पूरा नहीं हो पायेगा।

लखनऊ जिले में बगौली माइनर से सिंचाई

*३९--श्री ख्याली राम (जिला लखनऊ)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ जिले की बगौली माइनर की टेल पर स्थित हस्नापुर ग्राम में गत रबी व खरीफ की संपूर्ण फसल बिना सिंचाई के चौपट हो गई है और क्या सिंचाई मंत्री तथा उक्त विभाग के अधिकारियों के पास उक्त ग्राम के कृषकों द्वारा इस संबंध में शिकायत, अक्तूबर, १९६५ में लिखित रूप में आई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--ग्राम हसनापुर में खरीफ तथा रबी १३७३ फसलों में नहर द्वारा सींची गई फसलों में कोई नुकसान नहीं हुआ। शेष फसलों में भी इतना नुकसान नहीं हुआ कि मालगुजारी में छूट दी जाती ।

द्वितीय भाग--जी हां। उक्त पत्र में वर्णित मांगों पर पूर्ण कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये--

(१) बघौली माइनर को रोस्टर के अनुसार चलाया गया ।
(२) मुकुन्द खेड़ा ग्राम के समीप की झाल की मरम्मत करा दी गई ।
(३) नहर की पूरी लम्बाई में सफाई कराई गई तथा टेल तक पानी पहुंचाया गया।
(४) नाजायज सिंचाई करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

अभियन्ता, विद्युत् विभाग, अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र

*४०--श्री वेदराम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्ता, विद्युत् विभाग, अलीगढ़ को २४ अगस्त, १९६५ से रामलाल, पुत्र राम गोपाल, ग्राम बहादुर नगर, डा० सोरों, जिला एटा तथा वेदराम, किशनलाल सोरों, जिला एटा द्वारा कितने पत्र ३१ जनवरी, सन् १९६६ तक प्राप्त हुये तथा किन-किन बातों का उल्लेख उन पत्रों में था और उस आधार पर तथा विद्युत् (ख) विभाग द्वारा लिखित २८ सितम्बर, १९६५ का पत्र जो वेदराम, सदस्य, विधान सभा के संबंध में लिखा था, मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--

श्री राम लाल पुत्र रामगोपाल, ग्राम बहादुर नगर डा० सोरों जिला एटा का कोई पत्र २४-८-६५ से ३१-१-६६ तक प्राप्त नहीं हुआ। दो पत्र इस अवधि में सर्वश्री वेदराम, किशन लाल, डा० सोरों जिला एटा से अपने ट्यूबवेल को शीघ्र बिजली दिये जाने के संबंध में प्राप्त हुये। शासकीय आदेश दिनांक २८ सितम्बर, १९६५ अधिशासी अभियन्ता (विद्युत्) अलीगढ़ को प्राप्त हुआ था जिसमें सर्वश्री वेदराम किशन लाल को शीघ्र बिजली देने को कहा गया था। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने २९ सितम्बर, ६५ तथा अक्तूबर १, ६५ को अग्रिम धन जमा किया था। क्रमानुसार उन्हें अनुबन्ध करने के लिये अग्रिम धन जमा करने की तारीख के अनुसार प्राथमिकता पर लिखा जावेगा।

ऊनों झील

*४१--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद विकास खंड सरसवां के अन्तर्गत झील ऊनों तथा झील निखौया में हजारों बीघा डूबी जो उत्तम कृषि योग्य भूमि है उसको पानी से निकालने की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो वह क्या है?

*४२--क्या यह भी सही है कि झील ऊनों की पुरानी नाली झील की तराई से नीची हो जाने के कारण पानी निकलने में अधिक समय लग जाता है?

श्री गिरधारी लाल--

सूचना एकत्र की जा रही है।

फतेहपुर जिले में शारदा नहर सम्बन्धी योजना

*४३--सर्वश्री रक्षपाल सिंह तथा नाथूराम शिक्षक--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद तथा फतेहपुर जिले के संधि स्थान पर जमुना नदी में पम्प द्वारा पानी उठाकर शारदा नहर में लोन सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उक्त योजना कब से चालू होकर कब पूर्ण हो जायगी?

श्री गिरधारी लाल--

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है। अतः उसकी रूपरेखा अथवा बनने का प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर पावर हाउस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ शिकायतें

*४४--श्री सुकदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलरामपुर पावर हाउस, जिला गोंडा, के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध जनता, यूनियन, विधायकों तथा कर्मचारियों द्वारा जनवरी, १९६५ से जून, १९६६ तक कितनी शिकायतें सम्बंधित अधिकारियों को मिली हैं? और उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारी लाल--

छः शिकायतें मिली थीं। इनकी जांच की गई।

*४५---श्री सुकदेव प्रसाद---

क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी पर पाक युद्ध के अवसर पर साधारणतया साम्प्रादायिकता का व्यवहार करने का विशेष आरोप है जिससे तमाम कर्मचारी भिन्न स्थानों पर स्थानान्तरित किये जा रहे हैं तथा कनेक्शन देने में भी किसी उद्योग में पक्षपात किया जा रहा है ? तो इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल--

इस प्रकार का गुमनाम शिकायती पत्र मिला था। जांच की गई थी।

*४६---श्री लखपतराम शर्मा--

[७वें बुधवार के लिये प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पिपरइया---लेहनी ताल ड्रेन

*४७---श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र हाटा, जिला देवरिया के पिपरइया-लेहनी ताल से जो ड्रेन निकाली गई है उसमें कितना काम हो गया है और कितना काम बाकी है ? अगर बाकी है तो कितने दिनों में पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल---

विधान सभा क्षेत्र हाटा जिला देवरिया के पिपरइया लेहानी ताल से २ मील ३ फर्लांग की लम्बाई में नाले का निर्माण किया गया है और अब कोई कार्य करने के लिये शेष नहीं रह गया है।

वाराणसी तहसील में नलकूप

*४८---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री २ अगस्त, १९६६ के अतारांकित प्रश्न सं० ३ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गांव बैकुण्ठपुर, करमी के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र तथा गांव मंगारी के रेल के लाइन के पश्चिम के क्षेत्र की सिंचाई उक्त जगदीशपुर ट्यूबवेल द्वारा नहीं हो सकती ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र का जो प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुआ था उसका क्या फल रहा और व्यापक सर्वेक्षण कब कराया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल---

उक्त क्षेत्र की सिंचाई जगदीशपुर नलकूप द्वारा हो सकती है प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार ग्राम करमी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित करके एक नया नलकूप प्रस्तावित किया गया है जिसमें ग्राम मंगारी के रेलवे लाइन के पश्चिम का २२ एकड़ क्षेत्रभी सम्मिलित है। इस नलकूप का विस्तृत सर्वेक्षण चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्राक्कलन की स्वीकृति व धन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

*४९---श्री ऊदल---

गांव गंगापुर के पूर्वी तथा मंगारी के उत्तरी क्षेत्र नेवता का पश्चिमी क्षेत्र ब्लाक सेंटर (पिंडरा) मंगारी का सर्वेक्षण प्रारम्भिक कब कराया गया और क्या फल रहा तथा व्यापक सर्वेक्षण कब होगा और ट्यबवेल कब तक लग जायगा ?

श्री गिरधारी लाल---

उक्त क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण १५-८-६६ को करवाया गया था जिसके अनुसार एक नलकूप प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण चतुर्थ योजना के प्राक्कलन की स्वीकृति व धन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

लोअर गंगा नहर ब्रांच, फतेहपुर की पटरी कट जाना

*५०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोअर गंगा नहर, ब्रांच फतेहपुर के मील नं० ३२ पटरी दाईं पर १२ जनवरी, १९६६ को पर्याप्त चौड़ाई से कट गई जो १५ जनवरी को साधारण ढंग से बंध सकी किन्तु उसी स्थान पर उसी दिन फिर कट गई जो किसी प्रकार १६ जनवरी को बांधी जा सकी, जिससे १५ से भी अधिक ग्राम पूर्णतया जलमग्न हो गये और खेतों में खड़ी ७०० एकड़ से भी अधिक रबी की फसल बुरी तरह सड़ कर बर्बाद हो गई और कुछ कच्चे मकान ध्वस्त हो गये तथा पकाने के लिये तैयार २ १।२ लाख ईंटें घुल गई और एकत्रित कोयला बह गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, लोअर गंगा नहर ब्रांच फतेहपुर के मील ३२–१– पटरी बाईं पर दिनांक जनवरी १२, १९६६ को कट गई थी जो दिनांक जनवरी १५, १९६६ तक कन्ट्रोल में आ सकी। यह सत्य नहीं है कि उक्त नहर उसी जगह पर दिनांक १५ जनवरी को फिर कट गई और किसी प्रकार १६ जनवरी, १९६६ बांधी जा सकी ।

नहर के कट जाने से १५ गांवों के ६६५ एकड़ भूमि में पानी फैल गया जिससे रबी की फसल को अवश्य नुकसान हुआ गांव में कच्चे मकान ध्वस्त नहीं हुये और न कोयला ही बहा, परन्तु १,१७,००० ईंटों का नुकसान हुआ न कि २ १।२ लाख ईंटों का नुकसान हुआ ।

*५१—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री प्रभावित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखते हुये यह बतायेंगे कि प्रत्येक ग्राम में किस जिन्स की कितनी फसल और अन्य चीजें पानी से प्रभावित हुईं और उसमें किस प्रकार की जिन्स पर किस ढंग से कितना मुआवजा निश्चित किया गया तथा पटरी बन्द करने में विभाग को कितना धन वहन करना पड़ा ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रभावित ग्रामों की सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक ग्राम में जो फसल की चीजें तथा अन्य चीजें पानी से प्रभावित हुईं और जितना मुआवजा वितरण किया गया उस का उल्लेख किया गया है । इस खांदी के बन्द करने में विभाग को ७,५०० रु० व्यय करना पड़ा ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६७७ पर)

*५२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सत्य है कि कई जिन्सों की क्षति पूर्ति कृषकों को अब तक नहीं की गई और क्षतिपूर्ति बहुत कम लगाई जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, उन किसानों को जो कि मौजूद थे नुकसान हुई जिन्सों का तथा अन्य चीजों का मुआवजा वितरण कर दिया गया है तथा शेष किसानों के मिलने पर मुआवजा वितरण कर दिया जावेगा । मुआवजे की सूची मौका मुआइना पर ग्राम प्रधान की उपस्थिति में तैयार की गई थी अतएव प्रभावित कृषकों को क्षति से कम मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, झांसी में छटनी

*५३—श्री मदनपाल सिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ सर्किल, सिंचाई विभाग, झांसी के कितने कर्मचारी हाल ही में छटनी में निकाले गये तथा छटनी किस आधार पर की गई ?

श्री गिरधारी लाल—

चतुर्थ सर्किल सिंचाई विभाग, झांसी में हाल ही में छटनी से १०७ कर्मचारी निकाले गये। यह छंटनी "जो बाद में आया वह पहले जाये" के सिद्धांत के आधार पर हरिजनों को छोड़कर की गई, सिवाय ३ कर्मचारियों के जिनके मामले की जांच अपील प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।

*५४—श्री मदनपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ सर्किल, सिंचाई विभाग, झांसी को किस तिथि से इलाहाबाद सर्किल में शामिल कर लिया गया तथा इलाहाबाद सर्किल सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी छटनी में निकाले गये ?

श्री गिरधारी लाल—

चतुर्थ सर्किल सिंचाई विभाग, झांसी को इलाहाबाद सर्किल में शामिल नहीं किया गया। चतुर्थ सर्किल से इरीगेशन डिवीजन महोबा, इलाहाबाद सर्किल में १६-५-६६ को स्थानान्तरित किया गया तथा इस सर्किल में ५२ कर्मचारियों की छटनी की गई।

कासिमपुर पावर हाउस

*५५—श्री बेदराम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कासिमपुर, जिला अलीगढ़, पावर हाउस में किन-किन अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण ५ वर्ष समाप्त होने के बाद भी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

वहां पर कोई भी अधिशासी अभियन्ता नहीं है जिसको ५ वर्ष से अधिक हो गया हो।

*५६—श्री बेदराम—

क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि जो स्थानान्तरण आदेश जून, १९६६ में हुये, वे उनको अब तक अमल में न लाने के कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—

किसी भी अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश जून, १९६६ में नहीं हुये।

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में वर्दी

*५७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग के सहायक यातायात निरीक्षकों को व रोडवेज के चपरासियों को जो गर्म वर्दियां दी गई हैं उनका प्रति मीटर मूल्य क्या है ? क्या दोनों ही पदों को एक सा कपड़ा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोनों ही पदों का स्तर सरकार की दृष्टि में एक सा ही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यू० पी० मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स रूल्स के अधीन गर्म वर्दी हर तीसरे वर्ष दी जाती है। सन् १९६४ में वर्दी दी जा चुकी है। अतः १९६५ में देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५८—श्री दयाराम शाक्य—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि रोडवेज के कानपुर रीजन के फर्रुखाबाद डिपो के सहायक यातायात निरीक्षकों को १९६५ के किस माह में कपड़ा दिया गया और उसकी सिलाई दी गई है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक दी जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सहायक यातायात निरीक्षकों को ८ रुपया प्रति मीटर मूल्य का कपड़ा दिया गया तथा चपरासियों को ७ रुपया ८५ पैसे व ८ रुपया ५८ पैसे प्रति मीटर मूल्य का कपड़ा दिया गया।

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले में बिजली

*५९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिलान्तर्गत टाउन एरिया छाता तथा बरसाना एवं नन्दगांव ग्राम की आबादी अलग अलग क्या है और उक्त स्थानों में बिजली अब तक न लगाने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—

मथुरा जिले के ग्राम छाता, बरसाना तथा नन्दगांव की आबादी क्रमशः ७,५१४; ३,७९१ तथा ४,३७४ है।

धन की कमी के कारण इन ग्रामों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा सका।

मनवर नदी का कटाव

*६०—श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खमरिया, परगना नगर पूर्व, जिला बस्ती के कई ग्रामवासियों तथा ग्राम प्रधानों ने इस आशय का प्रार्थना पत्र अक्तूबर, १९६६ में सरकार को दिया कि मनवर नदी से जमीन कटकर एक बड़ा ताल बैलाछ बन गया है जिसमें उक्त नदी का तथा बरसाती पानी जमा होकर इस ताल से संबंधित लगभग बत्तीस गांव जलमग्न हो जाते हैं और हजारों एकड़ जमीन बिना फसल बोये ही रह जाती है ?

*६१—क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों की परेशानी तथा फसल की क्षति को देखते हुये मनवर नदी पर जहां ताल बना है, एक बांध बनाने तथा बैलाछ ताल के पानी की निकासी का शीघ्र प्रबन्ध करेगी ताकि हजारों एकड़ बेकार हो गई भूमि खेती योग्य हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

छिबरामऊ तहसील में ग्राम सभाओं के वकील के विरुद्ध शिकायतें

*६२—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ की ग्राम सभाओं के सरकारी वकील कौन हैं इनकी नियुक्ति कब और कितने समय के लिये हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—

जिला फर्रुखाबाद तहसील छिबरामऊ की ग्राम सभाओं के सरकारी वकील श्री घनश्याम दास सक्सेना हैं। इनकी नियुक्ति जिला अधिकारी द्वारा १ जुलाई, १९६२ से की गई और इनका मौजदा कार्यकाल ३० जून, १९६९ को समाप्त होगा।

*६३—श्री नत्थाराम रावत—

क्या यह सत्य है कि उनके विरुद्ध रिश्वतें लेने की अनेकानेक शिकायतें हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां। जिला अधिकारी फर्रुखाबाद से मालूम हुआ है कि उन्हें श्री सक्सेना के विरुद्ध १० शिकायतें मिलीं जो कि एस० डी० ओ० छिबरामऊ को जांच के लिए भेजी गई। इनमें से ४ शिकायतों के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, और वे निराधार पाई गई हैं। बाकी छः शिकायतों पर जांच की जा रही है। उपरोक्त ४ शिकायतों में एक शिकायत वह भी शामिल है जो सरकार के न्याय विभाग में आई थीं और वह जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

आजमगढ़ जिले में नलकूप

*६४—श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले के लिये अगस्त, सन् १९६५ में ८० नलकूप प्रस्तावित थे जिसमें ५५ नलकूप पटेल आयोग के अन्तर्गत थे ? यदि हां, तो सरकार ने कितने नलकूप स्वीकार किये और उनके बनने का आदेश कब दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

अगस्त सन् १९६५ में तीसरी पंच वर्षीय योजना चल रही थी न कि चौथी। पटेल आयोग की शिफारिश के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६४–६५ से ३५ नलकूप आजमगढ़ जिले में बनने थे। उसी वर्ष इन पर कार्य आरम्भ हुआ और सभी ३५ नलकूप बन चुके हैं।

विद्युत् परिषद् में इंजीनियरों को छुट्टी

*६५—सर्व श्री रामसिंह शाक्य तथा गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में इन्जीनियरों को पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा के लिये उनको छुट्टी दी जाती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

नियमानुसार छुट्टी दी जाती है।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरे ४६ वें प्रश्न को देखने की कृपा करें। यह प्रश्न कई महीने पहले से सरकार को दिया हुआ है लेकिन उसके बारे में क्या किया गया है मुझे पता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे लिख कर भेज दीजियेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

लिख कर भेजने आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

हम पूछ लेंगे।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

मैं दो तीन जानकारी प्रश्नों के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। आज करीब २५ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आये जिनका उत्तर सरकार के पास से आया है कि वह उनका उत्तर नहीं देना चाहती। प्रश्न स्वीकृत है। एक तो यह था कि बलिया जिले में पंडित कमलापति त्रिपाठी के दौरे का प्रोग्राम वहां के जिलाधीश ने वैसे ही प्रसारित किया था अपने दस्तखत से जैसे कि मंत्रियों के प्रोग्राम को प्रसारित किया जाता है। यह प्रश्न मैंने किया था। इसका उत्तर है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती। तो मैं आपसे अपने प्रश्न करने के अधिकार को मांगना चाहता हूं कि जब प्रश्न स्वीकृत हुआ है तो उसका उत्तर दिया जाय। नम्बर १। दूसरा यह है कि जब परिवहन मंत्री के खिलाफ हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था तो आपने कहा था कि मेरे माध्यम से पूछिये, तब मैं जांच करके सरकार से रिपोर्ट मागूंगा। अब आपका और मेरा भी समय समाप्त होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि परिवहन मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में क्या निर्णय हुआ, क्या रिपोर्ट आयी, इस संबंध में चूंकि आपके माध्यम से पूछा है, इसलिये आप इसकी जानकारी सदन को करायें, यह मेरा निवेदन आप से है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय परिवहन मंत्री। (व्यवधान)

माननीय गया प्रसाद जी, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं लेकिन जब औपचारिक बातें खत्म हो जायं तब करें।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, १९६६†

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २९९४—टी ३०—ख—४८-सी—६२, दिनांक २२ सितम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, १९६६, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली १९६६†

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४३२—टी ३०—ख—५—पी—६२ (२), दिनांक १५ अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयिल) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०१३९/११—ए—११२ (१)—६६, दिनांक १० अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०-टी-५३११/१०—९००(८)-६५, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विभिन्न विज्ञप्तियां †

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या (क) एस० टी०- ४६७५/१०—९०० (५९)-६६, दिनांक १ नवम्बर, १९६६; (ख) एस० टी०-५६२१/१०—९०० (५४)-६५, दिनांक १ नवम्बर, १९६६, तथा (ग) एस० टी०-५६२१-ए/१०—९०० (५४)-६५, दिनांक १ नवम्बर, १९६६, को उत्तर धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन*

आश्वासन समिति के सभापति (श्री केशरी प्रसाद पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

यह प्रतिवेदन उन ५३ आश्वासनों से सम्बंधित है, जो २१ अक्तूबर, १९५५ से ६ मार्च, १९६२ के बीच सदन में दिये थे और जो समिति के २७ वें प्रतिवेदन में अपूर्ण थे। विचारोपरान्त समिति ने पूर्ण आश्वासनों के अतिरिक्त नीति सम्बन्धी तथा व्यक्ति विशेष से सम्बंधित आश्वासनों को समाप्त करने का निश्चय किया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के वर्ग २ में जनहित से संबंधित उन आश्वासनों का वर्गीकरण किया गया है जो अभी अपूर्ण हैं। इस प्रकार के आश्वासनों की तो यथासम्भव पूर्ति होनी चाहिये थी, समिति को खेद है कि १० वर्ष तक का समय बीत जाने पर भी यह आश्वासन पूर्ण नहीं हो सके हैं। उदाहरणार्थ २३ अगस्त, १९५७ को ऋषिकेश, गंगोत्री, जमनोत्री यात्रा मार्गों पर प्याऊ लगाने तथा २८ फरवरी, १९५८ को इन मार्गों पर ही पक्के शौचालय बनवाने के आश्वासन दिये गये थे। यह आश्वासन जब पूर्ण न हो सके तो समिति ने दो अवसरों पर विभागीय सचिव को बुला कर उनसे स्थिति स्पष्ट कराई और अन्त में समिति ने नवम्बर, १९६५ में मौके पर जा कर स्थानीय अधिकारियों का साक्ष्य लिया। समिति ने मौके पर भी देखा कि उक्त मार्गों पर प्याऊ एवं पक्के शौचालयों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इन यात्रा मार्गों पर प्रति वर्ष लाखों यात्री जाते हैं, समिति को खेद है कि इतना समय बीतने पर भी जन-साधारण से सम्बंधित इस आश्वासन की पूर्ति नहीं हो सकी है। इस प्रकार के आश्वासनों के बारे में समिति ने यद्यपि अब आगे कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया है, परन्तु वह इन्हें सदन के विवेक पर छोड़ती है। सदन इनके बारे में जो भी उचित समझे कार्यवाही करे।

---

†छापी नहीं गयी।

*छापा नहीं गया।

३---आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने यह भी देखा है कि किन्हीं-किन्हीं मामलों में समिति को एक-एक वर्ष तक कोई सूचना नहीं दी गई है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध है कि वह इस ओर आवश्यक पग उठायें।

४---प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके सहायता, सहयोग एवं कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

५---इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, जैसा कि माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने कहा, आश्वासन समिति द्वारा बार-बार हिदायतें देने पर भी सरकार ध्यान नहीं देती मैं चाहूंगा कि २-४ घंटे की इस पर सदन में आप बहस करा दें।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)---

आश्वासन समिति के सभापति ने जो रिपोर्ट, श्रीमन्, यहां पेश की है उससे ऐसा लगता है कि बहुत से आश्वासन जो दिये गये वे पूरे नहीं हुये और बहुतों के बारे में सरकार द्वारा जवाब ही नहीं दिया गया, तो माननीया मुख्य मंत्री से मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि विभिन्न विभागों द्वारा सूचना कई-कई बार मांगने पर भी नहीं भेजी जाती है और साल साल भर तक उत्तर नहीं आता है। तो क्या वे कृपया इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगी ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

यह आपत्ति पहले भी उठाई गयी है और अपनी तरफ से मैंने काफी प्रयास किया कि जवाब समय से दिया जाय। मुझे खेद है कि हमारे सारे विभागों में इतनी एलर्टनेस अभी नहीं है। लेकिन अगर कोई खास केस मुझे बताया जायेगा तो मैं जवाब दे दूंगी..... (व्यवधान)

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति---(क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

हमारे दो अल्पसूचित प्रश्न मंजूर हुये थे और कल लगने वाले थे, पर सिंचाई विभाग ने अभी तक उसका जवाब ही नहीं दिया है....

श्री काशीनाथ मिश्र---

बलिया के बारे में हमने भी अल्पसूचित प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष---

अल्पसूचित प्रश्नों के बारे में जो बात यहां उठाई गयी है, उस बारे में मैं कुछ पत्रावली देख कर ही बता सकूंगा कि क्या स्थिति है अगर आप कृपा करके आ जायं तो मैं पत्रावली मंगा लूंगा।

गृह मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार का प्रश्न है जो माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, नेता विरोधी दल, माननीय यादवेन्द्रदत्त और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने माननीय शिव प्रसाद गुप्त, उप गृह मंत्री के विरुद्ध उठाया है इसका जवाब कल आ जायेगा और वह आदरणीय सदन के समक्ष कल रख दिया जायेगा ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)--

जिस प्रिविलेज मोशन को अध्यक्ष महोदय, अभी आपने स्वीकार किया है उसके विषय में सदन को भी जानकारी हो जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण आने दीजिये, मैं दोनों को रख दूंगा ।

कतिपय विषय

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कानपुर में बहुत-सी जमीन मजदूरों के क्वार्टर्स के लिये सस्ते दामों पर उद्योग-पतियों को दी गई है । यह विषय कमेटी में भी आया और उसमें कारपोरेशन के अधिकारी भी बुलाये गये । मकान आदि कुछ नहीं बने हैं । इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

यह लिखकर दे दीजिये ।

अध्यापकों की मागों तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हमारा एक कामरोको प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कामरोको प्रस्ताव ही ले रहा हूं । बहुत से प्रस्ताव कामरोको और नियम ५२ के अन्तर्गत जो वर्तमान स्थिति अध्यापकों के सम्बन्ध में चल रही है, आये हैं....

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो उनकी मांगें हैं उन सबके बारे में हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । मैं निवेदन कर दूं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके सम्बन्ध में माननीय झारखंडे राय, माननीय नेता विरोधीदल और माननीय गया प्रसाद और माननीय काशीनाथ मिश्र जी के प्रस्ताव हैं । गिरफ्तारियां जो हुई हैं, वे ठीक हैं लेकिन मैं उन्हें कामरोको प्रस्ताव की सूरत में इसलिये नहीं ले रहा हूं कि.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

गिरफ्तारियां जो हुई हैं क्या आप उन्हें ठीक कहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरा मतलब यह था कि यह विषय महत्वपूर्ण है, गिरफ्तारी और अध्यापकों की मांगें जो इस समय उनके द्वारा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आदेश जारी हो चका है दफा १४४ के सम्बन्ध में और उसी के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

दफा १४४ को अभी दो-तीन महीने तक बराबर लागू रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आगे रहेगा या नहीं रहेगा, यह तो वे लोग जानें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

संविधान के अनुच्छेद के अन्दर अधिकार मिला हुआ है सभा करने का, जलूस निकालने का। अगर कोई हिंसात्मक काम करे, तोड़-फोड़ का काम करे तब तो १४४ लागू करना ठीक है लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जलूस चला और अध्यापकों की ओर से कहा भी गया था कि हमारा जो जलूस निकलेगा वह शान्तिपूर्ण निकललेगा। उस में सरकार द्वारा और उसके अधिकारियों द्वारा रुकावट डालने से यह सिद्ध होता है कि जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उन पर सरकार कुठाराघात करती है और दफा १४४ के अन्तर्गत सरकार उसको खत्म कर देना चाहती है। जलूस निकालने और सभा करने का मौलिक अधिकार है और अपने मौलिक अधिकार की तहत में जब कोई मांग करता है तो सरकार और उसके अधिकारी उस काम में रुकावट डालते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी की गयी है और इसी तरह से प्रदेश के दूसरे बड़े सदन (विधान परिषद्) के ७ सम्मानित सदस्यों को कल गिरफ्तार किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस जलूस का नेतृत्व बड़े सदन के सम्मानित सदस्य करते हों, उनके सम्बन्ध में यह कहना कि वे तोड़-फोड़ का काम करेंगे या और कोई हिन्सात्मक काम करेंगे, इस तरह की भावना तो सरकारी अधिकारियों के मन में आनी ही नहीं चाहिये। तो क्या वे शान्तिपूर्ण जलूस को भी नहीं निकाल सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बहस की बात नहीं है, यह तो मौलिक अधिकार की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण सिंह जी, जब आपके नेता बोल रहेहैं, फिर आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मेरा निवेदन है कि जो हमारा 'कामरोको' प्रस्ताव है उसे आप स्वीकार कर लें और दो घंटे सदन में बहस हो जाय। आखिरकार इस उत्तर प्रदेश के अध्यापक जो डिग्री कालेज से या हायर सेकेंडरी स्कूल्स से सम्बन्धित है उनकी जो मांगें हैं उन पर सरकार इतने वर्षों से क्या कर रही है जबकि उनके जो मौलिक अधिकार है उन पर सरकार द्वारा कुठाराघात किया

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

जा रहा है। इस पर आप विचार करें कि माननीय हरगोविन्द सिंह तो चाहते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाय और यहां का जन-जीवन अपने अधिकारों के लिये मांग पेश न करे, जलूस न निकाले, सभा न करे .....

श्री अध्यक्ष--

यह हो गया, अब आप सुन तो लें।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

१५-१५ और २०-२० की टुकड़ी में ये लोग जा रहे थे।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे कामरोको प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में केवल दो बातें कहनी हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को कल माध्यमिक शिक्षकों के प्रश्न के प्रति या जलूस व सभा के प्रति आदर का भाव रखना चाहिये था। आज हमारे देश और प्रदेश के दूसरे कोने में हुए आन्दोलनों का जो हिंसात्मक रूप जगह-जगह हो रहा है उसके मुकाबले में यह आन्दोलन बहुत शान्तिपूर्ण रहा है। पिछले तीन महीने से ये अध्यापक अपनी मांगों के लिये खण्ड भूख हड़ताल कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये वे सभा कर रहे थे और सभा करके जलूस निकाल रहे थे। आज जो वातावरण है उस वातावरण के मुकाबले में--कल जिस माहौल में उन्होंने मीटिंग की और वे जलूस निकाल रहे थे, उसमें सरकार को कोई ऐसी उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। और खास कर जबकि बड़े सदन के ७ सदस्य उसकी रहनुमाई कर रहे थे और उसमें अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय भी थे। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा काम करके स्वयं उत्तेजना लाती है ताकि लोग ऊब करके, परेशान हो कर के, कोई और रास्ता न देख कर हिंसा की ओर बढ़ें। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि संविधान के अधिकार के नाते--और सरकार को बुद्धिमता लाने के प्रयास के लिये आप कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करें ताकि सरकार अपनी पोजीशन को साफ कर सके।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक कार्यस्थगन प्रस्ताव इस विषय पर दिया है। यह बात सही है कि अगर अशान्ति का अन्देशा हो तो दफा १४४ लगायी जाय लेकिन वहां भी सरकार को अपन विवक को प्रयोग करने का अधिकार होता है। लेकिन जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा कि अध्यापकगण तो शान्तिपूर्ण ढंग से आ रहे थे। उन्होंने यह प्रण भी किया था कि किसी भी प्रकार स भी शांति भंग नहीं की जायगी। झंडे वाले पार्क में उन्होंने सभा की, अपनी मांगों को रखा, फिर वहां खामख्वाह पुलिस क्यों भेजी गयी और उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर पुलिस को इसी प्रकार से छूट दे दी जायगी और दफा १४४ को इस प्रकार टेकनीकली लागू किया जायगा तो शांति किस प्रकार से रह पायेगी? इस दफा १४४ को इस समय लागू करन का सरकार का सिर्फ एक मतलब है कि इलेक्शन के समय में किसी विरोधीपक्ष को अपना प्रचार न करने दिया जाय। किसी भी शक्ल में कुछ कहा जाय, चाहे वह स्पीच की शक्ल में हो अथवा प्रदर्शन की शक्ल में हो, वह कोई कर न पाये। मुख्य मंत्री यह भी भली प्रकार से जान ी हैं कि दफा १४४ के अलावा भारतीय दंड विधान में बहुत से ऐसे

प्रावीजन्स हैं जिनको अशांति भंग करने वाले के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना अशांति की संभावना के इस प्रकार स दफा १४४ का लागू कर देना सचमुच अशान्ति को पैदा करने वाला होगा। शान्ति रहने के बजाय और अशान्ति उससे होगी। इसलिये मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपको स्वीकार करके इस स्थिति पर विचार करने के लिये हमें अवसर देना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, हमने भी एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है इसी दफा १४४ के विरुद्ध। हाउस आफ कामन्स की जब भी सिटिंग होती है तो उसके आस-पास दो मील के अन्दर किसी भी प्रकार का प्रोहीबिटरी आर्डर नहीं हो सकता। लेकिन यहां विधान सभा का सत्र चल रहा है और दफा १४४ लगी हुई है। माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिन अध्यापकों ने पहले से यह ऐलान कर दिया था कि किसी प्रकार की कोई शांति भंग न होगी लेकिन उनको गिरफ्तार करने में इस सरकार की पुलिस बड़ी तेज है। लेकिन आगरा जिले में डाकू लोगों को पकड़ ले गये, ढाई घंटे तक ४ फर्लांग पर गांव में रहे लेकिन पी० ए० सी० ने कुछ नहीं किया और अध्यापकगण जो अपनी रोजी के लिये शांत जलूस निकालना चाहते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और विधान परिषद् के सदस्यों को भी। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर विचार करने के लिये कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें। अगर नहीं करते हैं तो अध्यापक अपने सक्रिय आन्दोलन द्वारा सरकार को मजबूर करेंगे।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आप कानूनवेत्ता हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि दफा १४४ का उल्लेख मात्र काफी नहीं होता। १८८ में जो दंडनीय प्रक्रिया है वह यह है कि जब हिंसा की कार्यवाही हो तब वह लागू होती है परन्तु जब टीचर्स शांतिपूर्ण है जिसको शासक दल भी मानता है और कोई गड़बड़ी उनके द्वारा नहीं होती है तो फिर १४४ दफा में गिरफ्तारी करना कानूनके खिलाफ है। इस चीज पर सदन को विचार करने का हक है और संविधान की धारा १९ के अन्तर्गत उन का सरकार के सामने अपनी मांगें रखना उचित ही हैं....

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप दूसरी बात कह रहे हैं। यह जो आप कह रहे हैं वह क्या आप इन नियमों पर बहस कर रहे हैं या मेरिट पर बहस कर रहे हैं?

श्री दीपनारायण सिंह---

मेरिट पर।

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

यह कार्यस्थगन प्रस्ताव हमारे दल के नेता श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री केशरीप्रसाद पांडेय और श्री रतीपाल आदि ने दिया है। हमारा नाम तो आप भूल गये। मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान दो बातों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मास्टर लोग जो बरसों से अपनी मांगें रख रहे हैं और जिन्होंने पिछली बार अपनी लड़ाई छेड़ी थी लेकिन शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन पर उन्होंने अपन लड़ाई वापस ले ली थी। इस बीच उन्होंने काफी इंतजार किया और फिर २ मास से वह अनशन कर रहे हैं और कल यहां १५ हजार की तादाद में वह जमा हुये और उन्होंने झंडे वाले पार्क से जलूस निकालने की दरख्वास्त भी दी। उनकी केवल एक ही मांग है कि समान अवसर और समान शिक्षा। किसी भी जनतांत्रिक

[श्री उग्रसेन]

सरकार के लिये या समाजवादी सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह समान अवसर और समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे। लेकिन मास्टरों ने जो जलूस कल निकाला उसको पी० ए० सी० के सिपाहियों और घुड़सवार पुलिस ने घेर लिया और उसी वक्त विधान परिषद् के सदस्य, हरिहर पांडेय, राजाराम, देवी प्रसाद मिश्र तथा हृदय नारायण सिंह जैसे लोग गिरफ्तार किय गये। आज शहर में वह आंतक है कि शहर के कोने-कोने में मास्टर टहलने भी नहीं पाते और पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि हम १४४ तोड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं। आपने इशारा किया लेकिन नियम ५२ से काम नहीं चलेगा, इस तरह से पूरी समस्या पर प्रकाश न पड़ सकेगा। अच्छा हो कि कामरोको प्रस्ताव मंजूर किया जाय और ढाई घंटे की बहस कराई जाय। आज लाखों मास्टर भूखे हैं, भूखे लोग प्रदर्शन करते हैं और उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूंसा जाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको मंजूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं निवेदन कर दूं, मैंने अब सुन लिया, बस अब समाप्त....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

हम भी श्रीमन, मास्टर हैं, डाक्टर रघुनाथ जी भी मास्टर हैं, हमारी बात आप अवश्य सुन लें। आज सारे नगर में आतंक है और शहर के कोने-कोने और चौराहों पर पुलिस तैनात है। मास्टर लोग शांतिमय ढंग से जलूस निकालना चाहते थे लेकिन उनको पी० ए० सी० और घुड़सवारों ने घेर लिया। पानी तक उनको नहीं पीने दिया गया। इन को रात को ८ बजे तक जेल नहीं भेजा गया और खाना नहीं दिया गया। श्री हरिहर नाथ पांडेय, विधान, परिषद् सदस्य के नेतृत्व में यह जलूस गया था, आठ आठ के बैच में यह जलूस निकल रहा है और आज भी आंसू-गैस, लाठी- चार्ज और गोली की तैयारी है। इस तरह का अनाचार और अत्याचार सुचेता जी के राज्य में उन पर हो रहा है। सदन में ही मंत्रियों द्वारा जबान काटने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि जेल में बन्द कर देंगे। सुचेता जी ने भी राज्य कर्मचारियों को धमकी दी है, इस तरह से राज नहीं चलने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल, माननीय काशीनाथ जी का है, माननीय राम सुन्दर पांडेय, माननीय राम सुन्दर शास्त्री, माननीय झारखंडे राय और माननीय ऊदल व माननीय गया प्रसाद जी व माननीय उग्रसेन जी का भी है....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय जबकि सेशन चल रहा हो इस विधान सभा के इर्द-गिर्द क्या दफा १४४ लगायी जा सकती है?

श्री अध्यक्ष—

ये प्रस्ताव आये हैं। माननीय बालो जी अग्रवाल का है, माननीय हिम्मत सिंह, माननीय दीप नारायण सिंह जी और माननीय रियासत हुसैन जी की नियम ५२ के अन्तर्गत इसी विषय पर सूचना बाकी है।

माननीय खेर का यह निर्णय है कि अगर मैजिस्ट्रेट कोई आर्डिनरी कोर्स आफ ला में आर्डर देता है तो उस आदेश या कार्य के विषय में कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं उठता। दफा १४४ तो यहां पर २-३ महीने से लगी है। उसमें यह है कि यदि कोई मीटिंग करना चाहे तो उस सम्बन्ध में जिलाधीश को अधिकार होगा कि वे अपने विवेक के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही

करें जो उचित समझें। यदि वह सभा करने, या जलूस की अनुज्ञा नहीं देते तो १४४ के भंग करने वाले को बन्द कर सकते हैं। इसलिए आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि माननीया मुख्य मंत्री इस विशेष परिस्थिति में क्या करें। यह नियम ५२ के अन्तर्गत हो सकता है इसलिए मैं इस सब को माननीय बालोजी अग्रवाल, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय दीप नारायण सिंह और माननीय रियासत हुसैन की सूचनाओं के साथ नियम ५२ में लेता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर कल वक्तव्य दे दें।

गृह मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)--

श्रीमन्, कल तो मुश्किल होगा।

श्री अध्यक्ष--

कल तक की जो घटनायें हुयी हैं, उनके सम्बन्ध में वक्तव्य दे सकते हैं। यह एक गम्भीर मसला है।

श्री हरगोविन्द सिंह--

आपकी दृष्टि में तो गम्भीर है....

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मेरा विशेषाधिकार का सवाल है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन, आप उन्हें आदेश दें कि वे अपने शब्द वापस लें। उन्होंने कहा है कि आपकी दृष्टि में तो यह गम्भीर है लेकिन उनकी (माननीय मंत्री जी की) दृष्टि में वैसा नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह--

श्रीमन्, मेरा मतलब यह है कि इस पर मैं वक्तव्य तो दूंगा लेकिन आप हमें कुछ और समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप यथाशक्ति कल तक दे दें।

श्री हरगोविन्द सिंह--

श्रीमन्, मैं प्रयत्न करूंगा। यदि सूचना प्राप्त हो गयी तो अवश्य कल तक दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

कल शाम को आप ४ १/२ बजे अपना वक्तव्य दे दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, अब मैं २ निवेदन करूंगा। पहला निवेदन तो यह है कि जितनी गिरफ्तारियां हुयी हैं, उन गिरफ्तार व्यक्तियों को आप इस वक्तव्य के पहले छोड़ दें और दफा १४४ सारे प्रदेश से वापस ले लें। जहां पर आपको सम्प्रदायिक झगड़े होने का डर हो वहां पर लागू कर सकते हैं लेकिन यदि राजनीतिक पार्टियां मौन जलूस निकालती हैं या माध्यमिक शिक्षा संघ के लोग कोई शान्त जलूस निकालते हैं तो वहां पर आप दफा १४४ क्यों लगवाते हैं। इस प्रकार की बातों को आप छोड़िये।

शाहजहांपुर जिले के नलकूपों को विजली न मिलने एवं शारदा नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

केवल वक्तव्य के लिये मैंने माननीय रफी खां की शाहजहांपुर के बारे में सूचना तथा श्री राम किशोर त्रिपाठी की सूचना स्वीकार की है। माननीय रफी खां ने कहा है कि शाहजहांपुर में ३० हजार एकड़ में मशीनी खेती की जाती है और अधिकांश किसान गेहूं पैदा करते हैं जो लगभग समूचे जिले की पैदावार के बराबर है। कृषकों ने अपने खर्चे से १०० रु० से ऊपर के नलकूप लगवाये हैं मगर उन को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। यह गम्भीर विषय है।

इसी प्रकार से शारदा कैनाल के सम्बन्ध में माननीय राम किशोर त्रिपाठी का है कि पानी नहीं दिया जा रहा है।

इस पर मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

परसों दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

परसों क्या वक्तव्य देंगे बिजली के मंत्री? सारे कागजात तो हैं, कल वक्तव्य दे दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अभी दे देता हूं, क्या बात है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय बालो जी अग्रवाल, माननीय ब्रह्मदत्त मायर और माननीय विजय पाल सिंह, माननीय रघुनाथ राम, माननीय रियासत हसैन, माननीय लखपत राम शर्मा, माननीय चन्द्रबली सिंह की नियम ५२ की सूचनायें विशेष ध्यान हेतु संबंधित मंत्रियों के पास भेज रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

नियम ५२ का जो मैंने दिया है, एक तरफ तो ये गिरफ्तारियां करते हैं चुनाव के सिलसिले में जो सभायें होती हैं और दूसरी तरफ अपने साथियों को विशेष सुविधायें देते हैं, पुलिस देते हैं अपने संरक्षण के लिये....

श्री अध्यक्ष---

यह कल कह देना।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, आप ने जो विशेष ध्यान के लिये भेजा है तो इतना मंत्री जी से कहला दीजिये ... (व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय मंत्रियों को कार्यवाही के लिये भेजते रहे हैं उस की जानकारी माननीय सदन को नहीं होती है और उस पर क्या कार्यवाही हुई हम को नहीं मालूम होती। आपने कहा कि जिस सदस्य का प्रश्न हो उस को कार्यवाही की सूचना दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप मिल लीजिएगा, मैं इस की व्यवस्था करूंगा। मेरे पास माननीय सदस्य आये हैं जिन्होंने यह कहा कि जो विशेष ध्यान हेतु सूचनाएं भेजी गयी हैं उन के ऊपर कार्यवाही हो रही है। आप ने जो सुझाव दिया है उस के ऊपर मैं अवश्य मंत्रियों से कहूंगा कि जो कार्यवाही हो उस की सूचना अगर दे दें तो अच्छा हो। हालांकि कोई नियम नहीं है और जांच करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, अभी-अभी चराई, कटाई के सिलसिले में आप ने अनुभव किया है कि फैजाबाद में फसलें चोरी से काटी जा रही हैं। इस सिलसिले में दरोगा लोगों की राय है कि दफा ४२६, ४२७ में आई० जी० अगर एक परिपत्र द्वारा आदेश भेज दें कि जिलाधीश से आदेश ले कर जांच करें तो उस में गम्भीरता आ जायेगी। तो कृपा कर परिपत्र जारी करा दीजिये ताकि जब कभी कोई इस सम्बन्ध में रिपोर्ट हो तो दरोगा जिलाधीश से आदेश ले लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रबली सिंह जी, माननीय नेता विरोधी दल से बातचीत कर लीजिये कि क्या सी० आर० पी० सी० में किसी मंत्री या इस सदन को यह अधिकार है कि नान कागनीजेबिल को कागनीजेबिल आफेंस बना दें या और कोई उसमें परिवर्तन कर दें।

श्री चन्द्रबली सिंह--

जिलाधीश से पूछ कर के।

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहस करने लगते हैं।

राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध वारंट तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत उपमंत्री श्री (शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

सरकार को जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार लखनऊ में २९ नवम्बर, १९६६ को चार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६ के अधीन दो चालान दर्ज किये गये, एक हजरतगंज थाने में और दूसरा अमीनाबाद थाने में। इनमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति के बारे में कल सदन में बहस हो चुकी है जब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ पर विचार हो रहा था। सरकारी कर्मचारियों के हितों को सरकार ने हमेशा सर्वोच्च ध्यान दिया है और उनकी दशा सुधारने के लिये हर सम्भव कार्य करना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ यदि जानबूझ कर कोई कानून तोड़ा गया तो उपयुक्त कार्यवाही करनी ही पड़ेगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बयान में जिन दो सरकारी कर्मचारियों के बारे में जिक्र है कि उनके बारे में दो थानों में चालान दर्ज किये गये हैं, तो वह किन दफाओं में और उनके ऊपर क्या चार्ज लगाया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

एक तो एसेन्शल सर्विसेज सेन्टिनेंन्स आर्डिनेन्स के तोड़ने में श्री बी० के० पिल्लये और श्री पी० एन० श्रीवास्तवके खिलाफ चार्ज लगया गया हजरतगंज थाने में अन्डर सेक्शन्स ४ ऐंड ५ ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

पहले यह बता दें कि एलिगेशन्स क्या थे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

श्रीवास्तव और पिल्लई के फिलाफ यह चार्ज हैं कि उन्होंने एक सर्कुलर इश्यु किया था जिसमें लोगों को स्ट्राइक करने के लिये प्रोत्साहित किया ।

श्री झारखंडेराय--

क्या यह सही है कि जिन दो सज्जनों का जिक्र अभी किया गया है इनके अलावा १४ अन्य सरकारी कर्मचारियों के नेताओं के नाम वारंट है और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घूम रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह जनहित में अभी बताना ठीक नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगी कि अमीनाबाद और हजरतगंज थाने में जो रिपोर्ट इन दो कर्मचारियों के विरुद्ध हुई है वह किसकी ओर से की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पुलिस की ओर से हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनकी ओर से या कर्मचारियों की ओर से जो नोटिस स्ट्राइक या प्रदर्शन करने के लिये निकाला गया है उसका प्रभाव और कर्मचारियों पर क्या पड़ा है जिसके कारण इस प्रकार की रिपोर्ट थाने में की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जब आप कहते हैं कि स्ट्राइक करो और स्ट्राइक करने की इजाजत नहीं है, तो यही प्रभाव पड़ा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन और मीटिंग करने के लिये सरकार से आज्ञा मांगी है ? यदि हां, तो सरकार ने आज्ञा क्यों नहीं दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आज्ञा देना उचित नहीं समझती थी इसलिये नहीं दी ।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या यह सही है कि पिछली बार जब हड़ताल हुई थी तो सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिये गये थे उनमें से अनेकों की पूर्ति नहीं की गई है, इसीलिये यह बवाल खड़ा हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी को स्पष्ट सूचना है कि सर्वश्री पी० एन० शुकुल और टी० के० घोष ने कोई परचा नहीं निकाला लेकिन फिर भी उनके विरुद्ध वारंट है और उनके घरों की तलाशियां ली गई हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, उनके खिलाफ यह चार्ज है कि अमीनाबाद में जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने स्पीच दी थी कि हड़ताल करें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि नोटिस के इश्यु होने और गिरफ्तारी के बीच में कोई घटना हुई जिससे कोई असर हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, नोटिस १५ नवम्बर को इश्यु हुआ ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

गिरफ्तारियां कब हुईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

२९ नवम्बर को हुईं ।

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि पिछली हड़ताल के बाद सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कौनसे कदम उठाये और किस हद्द तक कामयाबी मिली और किस हद्द तक लोग संतुष्ट हुए और कौन सी मांगें अधूरी रह गईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन सबके बारे में कल डिटेल्स में डिस्कशन हो गया है । उसके बाद जेल से छोड़ दिये गये थे, उनको महंगाई दी गई और कई बातें की गई हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में लिखा हुआ है कि सरकार अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है और करेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी मांग यह भी है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं वही उनको भी मिलनी चाहिये । इसके देने में उनको क्या दिक्कत है ? अगर धन की दिक्कत है तो भारत सरकार ने लिखा है कि जितनी रकम के बढ़ाने की जरूरत हो उसको बढ़ाये तो फिर उनको क्या दिक्कत है। उनकी मांग क्यों नहीं मान रहीं हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि भारत सरकार ने कहा है कि वह धन को पूरा कर देगी । केवल एकमात्र धन का ही अभाव है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री जी हैंडबिल के उस भाग को पढ़ने की कृपा करेंगी जिसे वे आपत्तिजनक समझती है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पैम्फलेट तो इस समय हमारे सामने नहीं है। लेकिन उन लोगों ने ६ दिसम्बर को स्ट्राइक करने को कहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, उन्होंने कहा है कि १५ तारीख को उनके नाम से हैंडबिल सरक्यूलेट हुआ और २९ तारीख को गिरफ्तारियां हुईं तो इन १४ दिनों में कोई ऐसी घटना घटी जिससे यह समझा जा सके कि धारा ४/५ के अधीन लोगों को उकसाया गया और आपने गिरफ्तारियां कीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

स्ट्राइक के लिये कहना ही पर्याप्त है। काफी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री जी को पता है कि राज्य कर्मचारियों ने डिस्कस किया है कि ७ दिसम्बर से स्ट्राक करेंगे तो किसी प्रकार की मध्यस्थता स्वीकार करेंगी जिससे हड़ताल न होने पाये और राज्य का कार्य का कार्य ठप्प न हो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कर्मचारियों के साथ हर समय शान्तिपूर्वक बात करके जो दिक्कतें हैं उनकी, उनको सुलझाने को तैयार हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

वक्तव्य में बताया गया कि जो नोटिस छपाया उसके आधार पर पिल्ले को गिरफ्तार किया गया। जब वह नोटिस पढ़ने को कहा गया तो मंत्री जी ने कहा कि वह नोटिस नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने यह अविवेकपूर्ण जवाब दे दिया उसी तरह जल्दबाजी में क्या उन्होंने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है और किया है तो क्या वारंट वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

नोटिस फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट में दर्ज है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट पढ़ दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

अभी-अभी कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघ का जो जलसा हुआ उसनें तय किया कि छः दिसम्बर को देश भर में हर राज्य के सभा भवन के सामने प्रदर्शन किया जाय और सरकार अगर नहीं मानती है तो ५ जनवरी को हड़ताल की जाय। यह आन्दोलन सरकारी कर्मचारियों का साल भर से चल रहा है। उन्होंने सभाएं की हैं। प्रश्न भी किये हैं लेकिन अभी कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी सभा या प्रदर्शन में हिंसात्मक कार्यवाही की हो या शान्ति भंग की

हो लेकिन जब ६ तारीख के प्रदर्शन के लिए वह इजाजत मांगते हैं तो चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा कि आप आश्वासन दीजिये कि शान्ति रहेंगे। उस बिना पर कर्मचारियों को तय करना पड़ा कि ६ तारीख को प्रदर्शन करेंगे और ७ तारीख को हड़ताल करेंगे। तो हड़ताल करने के लिये तो चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी पर यह कानून क्यों नहीं लागू किया जाता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

माननीय सदस्य की इन्फार्मेशन में थोड़ी सी गलती है। यह जो हैंडबिल निकला है जिसमें उन्होंने स्ट्राइक करने को कहा है, उसमें ६ तारीख को डिमांस्ट्रेशन करने को कहा है और मिडिल आफ दिसम्बर में स्ट्राइक करने को कहा है।

श्री अध्यक्ष--

नोटिस है आपके पास ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मुख्य मन्त्री ने बताया कि आज ६ दिसम्बर को डिमांस्ट्रेशन मुकर्रर है। अखबारों में भी आ चुका है। यह चीज सामने रखते हुये क्या कर्मचारियों से कोई कम्प्रोमाइज की बातचीत चल रही है या कर्मचारियों का और आप का बिलकुल रिजिड ऐटीट्यूटड हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह कोई दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है जो कम्प्रोमाइज की बातें हों। मैंने कह दिया कि गवर्नमेन्ट हर समय तैयार है अपने गवर्नमेन्ट सर्वेंट्स के साथ बातचीत करके शान्तिमय तरीके से उनकी दिक्कतों को सुलझाने को।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, सवाल यह है कि आज जो शाम को साढ़े पांच बजे डिमान्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है, उसे देखते हुये वक्त की नजाकत को देखते हुये क्या इस वक्त सरकार की तरफ से कम्प्रोमाइज की कोई बात चलरही है ? या सरकार का एटीच्यूड बिलकुल रिजिड है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की हालत की गम्भीरता को देखते हुये क्या मुख्य मन्त्री जी इसके लिये कोई कमम उठाने जा रहीं हैं कि एक शान्तिमय वातावरण कायम हो सके, जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट हैं, वे वापस लिए जाएं और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए तथा सरकार राज्य कर्मचारी नेताओं से बात करने को तैयार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं बहुत विनम्रता से माननीय सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहती हूं कि आप ही लोगों के सुझावों पर कि कम्प्रोमाइज किया जाए, गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जाए ताकि वातावरण सुधरे--हमारी तरफ से एक बार नहीं बार-बार यह प्रयास किया गया। अब मैं यह बात बहुत साफ कहना चाहती हूं और कल भी कहा था कि मैं हर वक्त उनसे बात करने को तैयार हूं, लेकिन यदि कोई कानून तोड़ेगा तो चाहे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हो चाहे अन्य कोई हो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अतः मैं वारन्ट वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सरकार कानून तोड़ें तो क्या होगा ?

(हंसी)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन-सी ऐसी पार्टी है जो कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करती है, जिसके साथ हमारी सरकार बातचीत करे ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कांग्रेस को छोड़ कर बाकी सभी

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो ठीक समझ में नहीं आता है, फिर भी इतना मालूम है कि बहुत-सी पार्टियां उसमें इन्वाल्व्ड हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह भी सही है कि उसमें कांग्रेस गुट के लोग भी शामिल हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन—

अभी माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कई बार समझौते का प्रयास किया और जब कर्मचारी नहीं मानते हैं और जब वे कानून तोड़ते हैं तो उनको जेल भेजना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पशुपति नाथ सुकुल, जो राज्य कर्मचारियों के नेता हैं उनसे १२ दिन की हड़ताल के बाद समझौता हुआ था तो उसमें यह हुआ था कि हम प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेंगे। लेकिन तब से अब तक ४ या ५ हजार आदमी नौकरी से निकाल दिये हैं जिसके कारण यह क्षुब्ध वातावरण है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे ऐसी किसी छटनी का पता नहीं है जिसमें ५ हजार आदमी निकाल दिये गये हों।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नोटिस पढ़वा दीजिये या मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, जिससे आपने लिया है अगर वह चाहेंगे तो पढ़ेंगे।

श्री झारखंडे राय—

माननीय मुख्य मन्त्री ने हम लोगों के सामने स्पष्ट किया कि सरकार हमेशा तैयार रहती है और अब भी तैयार है सरकारी कर्मचारियों से सम्मानपूर्वक समझौता करने के लिये और बातें करके उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिये तैयार है। और उधर सरकारी कर्मचारियों के नेता भी बराबर वक्तव्यों में अखबारों में शाया करते हैं कि वे तैयार हैं लेकिन सरकार नहीं करती तो जब दोनों तैयार हैं बात करने के लिये तो यह जिच कहां है जिससे मामला रुक जाता है और जिसके कारण यह सब दिक्कतें पैदा हो रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप ने गिरफ्तारी के बारे में प्रश्न पूछा था।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

श्री पशुपतिनाथ सुकुल और तुषारकान्ति घोष द्वारा छापी गयी नोटिस जिसकी चर्चा की गयी है उसमें यह लिखा है :—

"प्रिय राज्यकर्मचारी साथियों,

संभवतः आप को यह ज्ञात हो चुका होगा कि मेरे वि द्ध तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के उपाध्यक्ष, श्री तुषारकान्ति घोष के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तारी के बारन्ट जारी कर एक बार फिर अपनी अदूरदर्शिता तथा नीचता का परिचय दिया है। यह भी पता चला है कि सरकार ने न केवल १२ अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के वारन्ट भी जारी कर दिये हैं जिनमें परिषद के अध्यक्ष, श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा भी सम्मिलित हैं वरन उसने यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सरविस असोसियेशन के महामंत्री श्री वी० के० पिल्ले को इलाहाबाद में पिछली रात गिरफ्तार भी कर लिया है।

मित्रो, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा २६ नवम्बर को लखनऊ में ५ जनवरी को काम रोकने का निर्णय लिये जाने और उसी दिन हुई आम सभा में महासंघ के महामंत्री, श्री श्री रामुलु द्वारा उक्त निर्णय की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप ही हमारी नीच एवं पतित सरकार ने हमें पकड़कर अनिश्चित काल के लिये जेल में बन्द रखने की योजना बनाई है ताकि एक ओर तो उसे राज्य कर्मचारियों की न्यायोचित मांगें स्वीकार न करना पड़े और दूसरी ओर फरवरी में होने वाले आम चुनाव सरलता से सम्पन्न हो सकें तथा हमारे ही अन्यायी शासक पुनः गद्दी संभाल सकें। हमारे राष्ट्रीय नेतागण दूसरे दिन शाम तक लखनऊ में रहे परन्तु उन्हें पकड़ने का साहस सरकार को नहीं हुआ और अब वह हमें पकड़ना चाहते हैं।

साथियो! हमें इस बार सरकार को ऐसा पाठ पढ़ाना है कि अपने कर्मचरियों पर अन्याय करने की उसकी प्रवृत्ति सदैव के लिये समाप्त हो सके। यह सुनिश्चित है कि स अपनी अन्यायी तथा बेईमान सरकार को पूर्णतया अजनतांत्रिक एवं दमनकारी नीतियों के वि द्ध आप जो आवाज उठायेंगे उसकी अनुगूंज देश के प्रत्येक प्रदेश में सुनाई देगी। संकट के काल में आपकी एकता में पूर्ण विश्वास रखना है तथा उसे किसी भी दशा में किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने देना है। यदि आप ने अपनी एकता बनाये रखा और साहस तथा दृढ़ता से काम लिया तो एक बार फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और आपको विजय निश्चित है।

राज्य कर्मचारी एकता जिन्दाबाद।

आप का अनन्य,
(ह०) पशुपतिनाथ सुकुल।

तो क्या सरकार बतायेगी कि यह सही है ?"

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय सदस्यों को बहुत गलतफहमी है। पिल्ले और श्रीवास्तव सरकुलर निकालने के लिये गिरफ्तार हुये हैं और सुकुल और घोष भाषण देने के लिये गिरफ्तार हुये हैं, इसके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उग्रसेन—

माननीय मुख्य मन्त्री को मालूम होना चाहिये कि श्री सुकुल और श्री घोष अभी तक गिरफ्तार नहीं हुये है।

श्री झारखंडे राय--

मैं सरकार की इस प्रकार की तानाशाही नीति से सहमत नहीं हो सकता और सके विरोध में थोड़ी देर के लिये वाक आउट करता हूं।

(कम्युनिस्ट दल के सभी सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह सरकार राज्य कर्मचारियों के इस मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। संविधान के अन्दर अपनी मांग रखने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है लेकिन यह सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर के ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे कोई नागरिक अपनी मांग भी सरकार के सामने न रख सके।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह नोटिस निकाली है क्या सरकार उन को कोई सजा देने जा रही है?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

सरकार इस बात को देखे कि जो यह नोटिस राज्य कर्मचारियों की ओर से निकाली गई है वह गिरफ्तार होने के बाद निकाली गई है.....

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त हो गया। नम्बर १३ पर खाद्य मन्त्री महोदय नियम ५२ की सूचना पर अपना वक्तव्य देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने स्पष्ट कहा था कि थाने पर रिपोर्ट हुई थी और उसके मुताबिक ही गिरफ्तारी हुई है। मैं भी अपने दल के सहित सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन, यह प्रश्न बड़े महत्व का प्रश्न है। यह सरकार जन समाज के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है कि हम अपनी नोटिस न छापें, सरकार के सामने अपनी मांग न रख पायें, वैधानिक शान्तिपूर्ण तरीके से कोई अपनी मांग सरकार के सामने न रख सके और न कोई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सरकार के सामने कर पायें और एक दम उनको कैद कर दिया जाय। इसलिये यह सरकार की ऐसी नीति है जिसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं भी अपने दल के साथ ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवान सहाय—

मुझे भी सरकार की इस नीति से विरोध है और उस विरोध को प्रदर्शित करने के लिये मैं और मेरा दल थोड़ी देर के लिये सदन का त्याग करता है।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस सरकार की जो पालिसी है उससे हमारा भी विरोध है और उसके परिणाम स्वरूप हम भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियों के किनारे कारीडोर एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

खाद्यान्नों का तस्कर निर्यात रोकने के उद्देश्य से प्रदेश की सीमा के साथ-साथ ५ मील चौड़ी पट्टी को कारीडार एरिया घोषित कर दिया गया है। यह कारीडार एरिया गेहूं तथा चना के लिए बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सरहद के साथ है। धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के लिये इन तीनों प्रदेशों के अतिरिक्त पंजाब, दिल्ली, हरियाना, तथा हिमाचल प्रदेश की सरहद पर भी कारीडर एरिया घोषित किया गया है। इसके फलस्वरूप यह खाद्यान्न बाहर से कारीडर एरिया में बिना परमिट नहीं ले जाये जा सकते तथा उक्त एरिया के भीतर भी एक स्थान से दूसरे स्थान का उनके आवागमन पर प्रतिबन्ध है। परन्तु करीडार एरिया में रहने वाली जनता को कोई दिक्कत न हो इसके लिये प्राविधान है कि ऐसे लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिये २० किलोग्राम तक गेहूं और चना, ५ मन तक धान और चावल तथा २ क्विन्टल तक ज्वार बाजरा और मक्का कारीडार एरिया में बिना परमिट से ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक तथा उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों को गेहूं, चना, धान तथा चावल कारीडर एरिया में ले जाने के लिये परमिट देने का अधिकार दे दिया गया है। ज्वार, बाजरा, मक्का के लिये भी सभी क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों को ये अधिकार हैं। धान और चावल के लिये सरहद्दी जिलों के सभी जिलाधीशों को इस प्रकार के परमिट देने का अधिकार है। उक्त दूसरे खाद्यान्नों के लिये कुछ विशेष सरहदी जिलों के जिलाधीशों को इस प्रकार के अधिकार देने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

उक्त स्थिति को देखते हुये आशा की जाती है कि कारीडार एरिया में रहने वाली जनता को खाद्यान्नों की प्राप्यता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग बिना परमिट के कारीडर एरिया में व्यापार के लिये खाद्यान्न ले जाते हैं और इस प्रकार कानूनी प्रतिबन्धों को अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी पड़ती है। जहां तक तस्कर व्यापार से सम्बन्धित शिकायत का सवाल है इस बारे में सरकार स्वयं सतर्क है। शासन द्वारा सरहदी जिलों के सारे जिलाधीशों आदि को कई बार लिखा जा चुका है तथा उन्हें पूर्ण रूप से सचेत कर दिया गया है। यदि किसी अधिकारी द्वारा कारीडार एरिया में खाद्यान्न ले जाने के लिये परमिट देने में कुछ ढ़िलाई होती है और इस प्रकार की कोई शिकायत शासन के नोटिस में आती है तो सरकार इस पर उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार है। जहां तक कारीडर एरिया की खेती, रानीगंज, हल्दी तथा रुद्रपुर के बाजारों में खाद्यान्नों के अन्य स्थानों से अधिक दाम पर बिकने का प्रश्न है सरकार

[श्री हरीवत्त कांडपाल]

ने इस सम्बन्ध में जो जांच की है उससे यह कथन निराधार प्रतीत होता है। वास्तव में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार रानीगंज, हल्दी बाजारों में तथा बलिया में चावल का भाव निम्नलिखित है :

			प्रति क्विन्टल रु०
बलिया	.. ..	थोक भाव	१५०.००
		फुटकर भाव	१५२.६२
रानीगंज	.. ..	थोक भाव	१५०.००
		फुटकर भाव	१५२.००
हल्दी	.. ..	थोक भाव	१५१.५४
		फुटकर भाव	१५४.०२

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी जो आपने वक्तव्य दिया....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

१० मिनट पूरे नहीं हुए, ये कैसे आ गये ?

श्री अध्यक्ष—

पहले कह लेने दीजिये फिर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जायगा।

(हंसी)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा प्रश्न आ गया है, यह तो मेरा अधिकार है कि वाकआउट के बीच में आ जाऊं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि बलिया जिले में घाघरा और गंगा के किनारे ५ मील के इलाके को कारिडर एरिया घोषित किया है और बतलाया है कि निजी इस्तेमाल के लिये इतने क्विन्टल ये-ये चीजें ले जा सकते हैं बगैर परमिट के, लेकिन जो छोटे-छोटे दूकानदार हैं वह उस बाजार से उस क्षेत्र में लगता है गल्ला ले जाते हैं और वहां की पुलिस उनको रोकती है। बड़े-बड़े तस्कर व्यापारी छूट पाते हैं तो रेहुती कसबे में बेच सकें ऐसी कोई सुविधा छोटे दूकानदारों को प्रदान की जायगी ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

उस काम को पहले आर० एफ० सी० क्षेत्र नियंत्रण देखा करते थे, अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी उनकी परमिट वहां पर दे सकते हैं जहां कारिडर एरिया में दूकानदार हैं, कि वह इतना माल ले जा सकते हैं। जो ले जाना चाहते हैं वह इतना कर के ले जायं, ताकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पता रहे कि कितना माल ले गये हैं और वह स्मगिल तो नहीं हो रहा दूसरी स्टेट को।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया गया है कि परमिट दें, तो क्या मंत्री जी पता लगायेंगे कि बलिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बार-बार कहा है मीटिंगों में और आपसी बात-चीत में कि हमें कोई अधिकार नहीं है, आर० एफ० सी० को अधिकार है परमिट देने का और २० के० जी० चावल ले जाने की छूट कारिडर एरिया में नहीं

दी जा रही है और पुलिस उनको पकड़ती है और हैरान करती है और इस प्रकार की शिकायतें जिलाधीश के पास हमने प्रस्तुत की हैं और कई लोगों ने प्रस्तुत की हैं, क्या इसकी जांच करके कोई सहूलियत का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यों तो बलिया शहर भी ५ मील की पट्टी के अन्दर आता है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, यह बात सही है, जब तक कोई अधिकार नहीं था ज्वार, बाजरा, चावल आदि के बारे में। अब उन को यह अधिकार हम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ५ मन तक चावल ले जाया जा सकता है। २० किलोग्राम चना और गेहूं का आदेश है । बाकी चीजें तो बहुत बड़ी तादाद में ले जा सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, बिहार से बराबर हमारे यहां चावल आता रहा है। अब को वहां स्केअरसिटी हो गयी है, नहीं आ पा रहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस कारीडोर वाले प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केन्द्रीय सरकार ने पंजाब से हमें लिंक कर रखा है, बिहार का अलग जोन है, और यह केन्द्रीय सरकार ने बनाये हैं । हम उसे कैसे हटा सकते हैं। ५ मील की पट्टी वाला अधिकार हमें है लेकिन हम इसे हटाना नहीं चाहते। यह इसलिये रखी गयी है कि एक जगह वस्तु एकत्रित हो सके और चुपके-चुपके दूसरे प्रदेशों में न जा सके।

जहां तक वहां के लोगों को सुविधायें देने का सवाल है, उसके लिये जितना सम्भव हो सका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इम्पावर किया गया है। बाकी बराबर इस बात पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार स्मगलिंग को रोका जाय और वहां की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें पहुंचायी जा सकें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिट पर हर प्रकार का गल्ला बाजार में जा सके और गांवों में गांव के प्रधानों के परमिट पर गल्ला दिया जाय और कोई रिस्ट्रिक्शन न रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक बाहर ले जाने का सवाल है उसके लिये तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दे रहे हैं। कैरीडार एरिया में इधर से उधर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं इस बात को साफ करदूं । खाद्य मंत्री जी आप भ्रम में हैं। मैंने जी० ओ० का पता लगाया है। उसमें यह है कि कारिडर एरिया में कहीं गल्ले का मूवमेंट एक गांव से बीस किलो से अधिक नहीं हो सकता। केवल एक गांव में ही मूव कर सकता है। जैसे एक किसान गांव में खेती करता है तो वह दूसरे गांव में मूव नहीं कर सकता है। आप इसका पता लगा लीजिये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

मैं बता रहा था कि पांच मन तक ले जाया जा सकता है। मैंने इस बात को अभी भी कहा था। बीस किलो का गेहूं का है और बाकी के लिये पांच पांच मन का है। बाहर ले जाने का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है। अगर कोई आदमी बीमार है तो हम उसे दवा देते हैं चाहे वह मर ही जाय। जहां तक इनका सुझाव है उस पर भी हम विचार करने को तैयार हैं। उस पर सोचेंगे अगर जनता को सहूलियत मिलती हो तो और हम स्मगलिंग नहीं होने देना चाहते हैं तो।

श्री काशीनाथ मिश्र—

बार-बार पूछने पर मंत्री जी कहते हैं कि हो जायेगा। जो चावल बलिया में १० छटांक का है वह हमारे बाजारों में ६ छटांक का होता है। मैं तो कम से कम इस राय का हूं कि बिहार के लिये प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। प्रतिबन्ध आप गंगा और घाघरा के किनारे-किनारे लगाइये। प्रदेश के अन्दर की जो पांच मील की सीमा है उसे आप सूबमेन्ट के लिये प्रतिबन्ध की सीमा रक्खें। क्या आप इस विषय पर आदेश जारी करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कह चुका हूं कि जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो इस पर विचार करूंगा। बस स्मगलिंग नहीं होना चाहिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला—गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि केवल कारिडर एरिया पांच मील का ही नहीं है। यह ६ मील का भी हो गया है। इससे और भी काम्प्लीकेशन्स होते हैं। क्या आज इस पर जांच कराकर के सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नियम तो पांच ही मील का है। नापा थोड़े ही गया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मंत्री जी ने बताया कि जिले में जो एरिया बनाया गया है उससे कान्सर्न नहीं और माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि हम देखेंगे। नवम्बर महीने में एक पत्र इस विषय पर बांदा जिले से श्री सरयूप्रसाद के नाम से आया था उस पर क्या मन्त्री जी ने गौर किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गौर तो रोज करते हैं और साथ-साथ गौर कर ही रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

डिप्टी आर० एम० ओ०, वाराणसी ने रानीगंज मंडी एरिया को कारीडोर एरिया कर दिया है जिसकी दूरी स्टेशन से ज्यादा है। तो क्या आज ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्य-करेंगे जो कानून के खिलाफ जनता की असुविधा को बढ़ाते हैं और स्मगलिंग में जिनका हाथ है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

मैं पहले कह चुका हूं कि जब आपने रेप्रेजन्ट किया कि बलिया शहर में इसकी जगह से दिक्कत है तो उसे कारिडर एरिया से निकाल दिया। अगर कोई ऐसा मामला है कि कोई स्थान ५ मील से ज्यादा दूर है, और उसे छोड़ देना चाहिये तो आप लिख कर दे दें कि फलां-फलां जगह ऐसा है, हम उसकी जांच करा लेंगे है।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, पिछले तीन साल से लगातार हम लोग यह शिकायत करते रहे हैं कि गाजीपुर जिले का जमानिया स्टेशन और बाजार बिहार के किसी भी बोर्डर से ६ मील दूर पड़ता है लेकिन जबरदस्ती मारकेटिंग डिपार्टमेंट ने जमानिया स्टेशन और बाजार को कारिडर एरिया में ले रखा है जिससे वहां की ढाई लाख पोपुलेशन को गल्ला नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि जमानिया स्टेशन को कारिडर एरिया से निकाल दिया जाय।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

पिछली दफा जब आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दे देने की बात कही, तो हमने फौरन उसको पावर दे दिया। बाकी और बातें जो आप कहते हैं उसको हम देख लेंगे।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि इधर दो तीन महीने के जी० आई० को उन्होंने पढ़ा नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के जी० आ० को दोबारा पढ़ लेने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष---

अब यह प्रश्न समाप्त।

सदस्यों की उपस्थिति पंजिका की रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा मांग

श्री अध्यक्ष---

एक निवेदन करना था कि सदन से रेलवे मैजिस्ट्रेट लखनऊ ने १७ फरवरी से २९ फरवरी तक की उपस्थिति पंजिका, जो हमारे यहां रखी रही, उसको किसी मुकदमे में तलब किया है। तो क्या सदन की अनुज्ञा है कि उसे भेज दिया जाय ?

अनेक सदस्य---

भेज दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह जान सकता हूं कि किस संबंध में यह है ?

श्री अध्यक्ष---

शायद किसी माननीय सदस्य ने कोई इस्तगासा दायर किया है। अभियुक्त यह सिद्ध करना चाहता है कि वे वहां नहीं थे, लखनऊ की असेम्बली में बैठे हुये थे। ऐसा मालूम पड़ता है पत्र से।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस पर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में लोगों की कोई ऐसी चीज जिसे हम दूसरों के सामने न रखना चाहते हों उनके लिये रास्ता खुल जाय और जो भी चाहे यहां से रजिस्टर तलब करा ले। तो इस पर आप विचार करलें क्योंकि पहले भी जब ऐसा प्रश्न आया है तो यही तय पाया कि हमारा कोई कागज किसी अदालत के सामने नहीं जा सकता। अगर कोई चाहे तो उसकी कापी ले सकता है।

श्री अध्यक्ष—

केवल सदन की आज्ञा से ही वह कागज जा सकता है। वैसे प्रश्न केवल इतना ही है कि वे माननीय सदस्य यहां थे या अपने गांव में थे।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

यदि यही प्रश्न है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना रजिस्टर न भेजिये बल्कि उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उनके पास भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वह यों होगा कि हमारा कोई कर्मचारी रजिस्टर लेकर जायगा और उसमें से देख कर वह भाग उनको बतला देगा जो संबंधित सदस्य से ताल्लुक रखता है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इस तरह की आप कोई परम्परा न डालें। इस सदन की यह सर्वमान्य परम्परा कायम रही है तथा हाउस आफ कामंस और लोक सभा में भी यह व्यवस्था है कि इस तरह का कोई भी रेकर्ड जो लेजिस्लेचर का है कहीं पर किसी अदालत में नहीं जा सकता। इसलिये आप यह रजिस्टर न भेजें वरना यह समझा जायगा कि जुडिशियरी ने जान बूझ कर इंटरफियर किया। फलां दिन माननीय सदस्य सदन में मौजूद थे या नहीं थे, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैजिस्ट्रेट महोदय पत्र लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई रजिस्टर विधान सभा के किसी कर्मचारी के साथ वहां भेजा तो फौरन हमारे जुरिस्डिक्शन में मैजिस्ट्रेट का इंटरफियरेंस हो जाता है। इस लिये इस पर अच्छी तरह से आप सोच विचार कर कोई निर्णय करें जिससे इस सदन की मर्यादा कायम रहे। एक पत्र द्वारा वे माननीय सदस्य के संबंध में पूछ सकते हैं कि वे फलां दिन थे या नहीं थे। वरना इस तरह से जो भी जब चाहेगा माननीय सदस्यों के संबंध में कोई कागज तलब करा लेगा। इसलिय मेरा निवेदन है कि किसी तरह के कागजात यहां से इस सदन के बाहर किसी लेजिस्लेचर के संबंध में आप न भेजें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अगर यह तरीका अपनाया गया तो इसमें आगे चल कर बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं। न जाने क्या क्या कागजात आगे चल कर मंगाये जायं और तलब किये जायं। दूसरे न्याय का प्रश्न भी हमारे सामने है। मेरा मत यह है कि यदि आवश्यक आप समझें तो कानूनी तरीके से कोई बात उनके सामने आप रख दें अन्यथा अपने पत्र से उनको सूचना दे दें लेकिन कागजात वहां न भेजें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह है कि हमें किसी भी प्रकार के न्याय के देने में बाधक नहीं होना चाहिये और यह भी ठीक है कि हमारे यहां के डाक्यूमेंट किसी अदालत के सामने नहीं जाने चाहिये। जो अन्य साधन हो सकें कि वे यहां रहें अथवा नहीं रहें, उन वैध साधनों को अपनाया जाय। लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि हमारा रजिस्टर वहां जाय। इससे कम्प्लीकेशन पैदा हो सकते हैं और कठिनाई हो सकती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

लोक सभा में संसद सदस्यों के कक्ष में गिरफ्तार करने के संबंध में माननीय हुकुमसिंह जी की कल व्यवस्था हुई है कि ऐसी गिरफ्तारियां न हों। इसी प्रकार यहां हमारे अधिकारों की रक्षा के लिये आप जिम्मेदार हैं कि हम यहां रहें या नहीं रहें, कहीं भी रहें, हमारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब एक एम० एल० ए० गिरफ्तार हो गया। अगर आप उसके बारे में चिट्ठी लिखते हैं कि वह यहां मौजूद था तो कल को आपको उस चिट्ठी के तस्दीक करने के लिये बुलाया जायगा। और मामला फंस जायगा। कानून की मंशा तो यह है कि एक बेगुनाह सजा न पा जाय चाहे ९९

गुनहगार छूट जायं। आप चाहें तो इस विषय में कानून विभाग से राय ले लें या श्री कन्हैया लाल मिश्र को बुला लिया जाय। वे यहां आकर अपनी राय हाउस के सामने दे दें। फिर ऐसी कोई गलती न होने पाये जो पहले हो गयी।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सदन का मत यह है कि मैं इसमें अन्वेषण कर लूं और अगर उसमें मर्यादा का अतिक्रमण न होता हो तो न भेजूं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

कमीशन वाली बात पर भी आप विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। उसको भी देख लूंगा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा होगी। माननीया मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल के लिये कोई समय की सीमा नहीं होगी दलों के नेताओं को २०-२० मिनट और अन्य सदस्यों को १०-१० मिनट का समय दिया जायगा।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय तो बहुत थोड़ा बोलूंगी। माननीय सदस्यों के पश्चात् विस्तीर्ण उत्तर दूंगी। माननीय सदस्यों के सम्मुख हमने ड्राफ्ट प्लान रख दिया है। हमारा प्लान तो पहले से ही बन गया था चूंकि उत्तर प्रदेश को पिछले प्लानों में बहुत कम पैसा मिला था

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुये।)

इसलिये उसकी उन्नति बहुत कम हुई। इसलिये हमने चौथे प्लान को बहुत बड़ा बनाने पर विचार किया था और १४ सौ करोड़ रुपये की प्लान बनायी गयी थी। चूंकि पिछले प्लानों में यू० पी० में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ और उसकी प्रगति कम हुई इसलिये इस प्लान में हम उसकी चौथी प्लान को डबल बनाना चाहते थे। प्लान पिछले साल ही बन गया था लेकिन इसी बीच केन्द्रीय सरकार आर्थिक संकट में पड़ गयी। और केन्द्रीय सरकार ने कहा कि प्लान छोटा हो, उस पर कई बार सोच विचार किया गया और १४०० करोड़ का काटकर उसको १०५५ करोड़ का कर दिया गया। हमें इस कमी करने से दुख जरूर हुआ लेकिन हमारी कोशिश के बावजूद मजबूरी थी। फिर प्लानिंग कमीशन से बातचीत हुई और वह १००० करोड़ का रखा गया, हम उस में २५ करोड़ अधिक चाहते थे, ६ करोड़ पहाड़ी जिलों के लिये और २० करोड़ पूर्वी जिलों के लिये जहां कि केन्द्र की स्टडी टीम ने अपना काम शुरू किया था। वहां के लिये हम सहायता चाहते थे लेकिन बातचीत के बाद यह नतीजा निकला कि हमें केन्द्र केवल ४३० करोड़ देगा और ४१० करोड़ हम निकालें। इस तरह से ८४० करोड़ की प्लान बनती थी। लेकिन यह हमें पसन्द नहीं था और इस पर बहस हुई और आखिर में टैनटिवली ९०३ करोड़ का वह मंजूर हुआ और यह बातचीत १७ से १९ अक्तूबर के बीच में हमारी चली। इस पर हम ने यहां भी विचार किया और हमारी तरफ से एक बड़ी प्लान का आग्रह था, हम चाहते थे कि अगली प्लान में हमारे यहां बड़े पैमाने पर काम हो और बहुत सोच विचार के बाद हमने रिसोर्सेज बढ़ाने की बात सोची। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन से यहां २८ नवम्बर को बातचीत हुई और यह तय हुआ कि ४९५ करोड़ रुपया केन्द्र से जुटाया जायगा और हम ४३१ करोड़ दें। इस तरह से कुल ९२६ करोड़ की प्लान बनी। अभी मुझे ९ तारीख को दिल्ली फिर जाना है और इस संबंध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बातचीत करना है। केन्द्रीय सरकार ने अभी १००० करोड़ रुपया सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स के लिये बचा रखा है जो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पावर और सिंचाई, आदि पर खर्च करेंगे, वह महत्वपूर्ण जहां समझेंगे अपनी स्कीम्स उसके लिये बनायेंगे, हम से सलाह करेंगे और अलग वे उस पैसे को लगायेंगे। हमारा तर्क उन से यह है कि इतना अधिक रुपया कमीशन न रखे क्योंकि पिछली प्लान में उन्होंने इसके लिये केवल ३०० करोड़ रुपया ही रखा था जो अब १००० करोड़ कर दिया है। हम चाहते हैं कि उस पैसे में से हमारा एलाटमेंट बढ़ा दिया जाय। अभी वह माने नहीं हैं लेकिन आशा है कि कुछ रुपया हमें सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स के नाम से भी मिल जायगा। ऐसी उम्मीद है कि शायद ४०–४५ करोड़ और मिल जायगा। इस तरह से हमारी प्लान ९७०–९८० करोड़ के करीब हो जायगी। हमने प्लान १०५५ करोड़ की बनाई थी लेकिन हम १००० करोड़ के लिये तैयार हो गये थे। ऐसी स्थिति में जो हमें मिला है उसी में हमें तसल्ली करनी होगी।

इस प्लान में हम पावर में ज्यादा प्रगति करना चाहते थे और उसके लिये मैंने काफी बड़ी रकम रखी थी। हम समझते हैं कि तीसरी प्लान के बाद चौथी प्लान के आरम्भ में अगर हम पावर में कुछ प्रगति कर लेते तो बहुत अच्छा था क्योंकि वह हमारी सारी आर्थिक प्रगति की एक लाइफ वेन है, हमारी आर्थिक प्रगति की ही खास जीवन धारायें हैं सिंचाई, बिजली और सड़कें। यह तीन चीजें हो जायं तो काफी प्रगति हो सकती है। पावर के मामले में हम सारे प्रदेश में पीछे हैं और इसीलिये चाहते थे कि बिजली में प्रगति अधिक हो। जब पिछले २ साल में बहुत प्रयास किया तब हम सिंचाई का कुछ कार्य कर सके लेकिन फिर भी बहुत मांग बिजली की है, जब हम पूछते हैं तो मालूम होता है कि पावर के लिये दस बारह हजार दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। हम चाहते हैं कि मार्च तक हमारे यहां १७०० नलकूप एनरजाइज हो जायं। बिजली में ही ७६ करोड़ की कटौती की गई है और चौथी प्लान में कई स्कीम्स तोड़ दी गई हैं, जेनरेशन का तो प्रबन्ध कर लिया जायगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कमी होगी। चौथी प्लान में ७० हजार पम्प और नलकूपों को एनरजाइज करने का इरादा है।

शिक्षा में हमें काफी कटौती करनी पड़ी है क्योंकि हम इन तीनों चीजों को अधिक जरूरी समझते हैं। लेकिन माननीय अशोक मेहता के आने पर जब हमको और रुपया मिलेगा तो हम कुछ और रुपया बेसिक, माध्यमिक और युनिवर्सिटी एजूकेशन को दे देंगे। इस प्लान में हमने काफी तवज्जह इरीगेशन, पावर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को दी है। हम चाहते हैं कि अगर ये चीजें बहुत अच्छी तरह से हो सकें तो चौथी प्लान के अन्त में खाद्य समस्या में बहुत हद तक छुट्टी पा जायेंगे। अभी मैंने आपको रफली बताया है। हमने कुछ एक्सट्रा एमाउंट अपने पूर्वी जिलों और पहाड़ी जिलों के लिये मांगा था लेकिन वे हमें इस समय नहीं दे रहे हैं। वे ७४ करोड़ दे रहे हैं जबकि हमने १०५ करोड़ रुपया मांगा था। इस समय वे कह रहे हैं कि वे प्लान के अन्दर अगर हमको मंजूर करेंगे तो यहां भी वैसे ही पहुंच पायेंगे। इन जिलों के लिये यहां पर पार्लियामेंट की तरफ से एक स्टडी टीम आयी थी। उनके कहने के अनुसार हमने ४ जिलों में स्कीम शुरू की थी और २ और जिलों में श्री टी० टी० कृष्णमचारी के कहने पर, बलिया और बस्ती में कुछ करना चाहा लेकिन पैसा मंजूर न होने के कारण इन दो जिलों में कुछ नहीं कर पाये हैं। बाद में जब कुछ और पैसा प्राप्त होगा तो इनमें भी स्पेशली करके हम कुछ करेंगे। अब इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और बाद में आप लोगों की राय सुनकर इस पर पुनः जवाब दूंगी।

†श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीया मुख्य मंत्री का वक्तव्य सुनकर, मुझे जो पहले निराशा थी वह अब दूनी हो गयी। यह जो इन्होंने पुस्तिका, "चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप" हमारे सामने रखी है, उसको मैं आपके समक्ष पढ़ कर सुनाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक विचित्र स्थिति है। इस

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्यूमेंट पर, इस योजना पर जब हमने विचार किया था कि सरकार का मस्तिष्क स्वयं स्थिर नहीं है कि कौन सा कार्य ये हाथ में लेगें और कौनसा कार्य नहीं लेंगे। अभी माननीया मुख्य मंत्री के कथनानुसार प्रारम्भ से ही अनिश्चितता इसकी आधार बन गयी है। पहले १०५० करोड़ से हमने प्रारम्भ किया था और अब इस वक्त तीसरी बार यह ९२६ करोड़ रुपये पर पहुंच गयी है। समझ में नहीं आता कि क्या कोई सरकार, जहां पर सारे भारतवर्ष के १/६ लोग रहते है, प्रदेश के जन जीवन के साथ इस प्रकार का खेल कर सकती है, विशेषतया जब कि इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था एक एक इंच इस प्लानिंग के अनुसार चलती है? यह बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का डाक्यूमेंट, एक निराशा का डाक्यूमेंट है। अच्छा होता यदि इस पर बहस न हुई होती। मैं समझता हूं कि सिर्फ बहस इसलिये हो रही है कि हमनेकहा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर बहस होनी चाहिये इसलिये यह डाक्यूमेंट हमारे सामने आया है। मैं आंकड़ों के बारे में बिल्कुल बहस नहीं करूंगा। जितनी चीजें इस पुस्तिका में दी हुई हैं मुझे संदेह है कि उतनी ये कार्यान्वित भी कर पायेंगे। ये सब कल्पना पर आधारित हैं। कहते हैं कि अगर रुपया मिलेगा तो हम यह कार्य करेंगे। उद्योग और एग्रीकल्चर आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन जिस दशा में उन्होंने इस प्रारूप को रखा है उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

मैं यह चुनौती देकर कहता हूं कि विश्व में जहां कहीं भी प्लानिंग हुई है क्या एक भी देश ऐसा मिल सकता है जिसमें सरकार प्लानिंग करते समय ऐसा करती हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। इसमें जो रेलेवेन्ट पोर्शन है उसको मैं पढ़े देता हूं। आपने लिखा कि योजना आयोग ने चौथी योजना के लिये जितनी केन्द्रीय सहायता का सुझाव दिया है उस से चौथी योजना में अधिक प्रगति की कोई आशा नहीं। औद्योगिक विनिधान भी बहुत कम फोर्थ प्लान में किया गया है। प्रगति की बिल्कुल आशा इन को नहीं है, निराशा की पिक्चर माननीय मुख्य मंत्री ने दी है। दूसरी इनकी भाषा यह है कि कृषि आवश्यक है और कृषि के लिये बिजली भी आवश्यक है। बिजली लगाने के लिये १०० करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। इस रुपये की पूर्ति असंभव है। इसका मतलब यह है कि इन्हीं के कहने के मुताबिक खेती और बिजली, दोनों में जो कुछ आशा की थी वह बिल्कुल धराशायी हो गई। तीसरी बात कही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐनर्जाइज करने का लक्ष्य अखिल भारतीय लक्ष्य से नगण्य के बराबर होगा। दरअसल कस्बे की ओर इनका झुकाव न हो बल्कि गांवों की ओर हो ताकि कुछ उन का जीवन स्तर और सुधरे जो सड़क बनाने और बिजली के जाने से हो सकता था। आपने स्वीकार किया कि नगण्य प्रतिशत के बराबर होगा।

खाद्य उत्पादन के बारे में आपने लिखा है कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा १७.८ से घट कर १६.८ हो जायगा। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का परिणाम होगा। पांचवी बात आपने यह लिखी है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि ३६५ करोड़ रु० की योजना से यह राज्य कृषि और उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पायेगा। अन्त में आपने कहा कि, छोटे उद्योगों को नहीं, बड़े उद्योगों को कुल परिव्यय का ज्यादा अंश दिया जा रहा है। शिक्षा के बारे में जो योजना अपनायी जा रही है उस का जिक्र आगे करूंगा। प्राथमिक शिक्षा में छात्रों की संख्या की १९६५-६६ की स्थिति भी १९७०-७१ में कहीं बुरी हो जायगी। आवास समस्या अधिक गंभीर हो जायगी। यह चौथी योजना समाप्त होने के बाद की स्थिति का वर्णन है। पूर्वी जिलों में १५० करोड़ रु० की आवश्यकता है परन्तु केवल ७५ करोड़ रु० की व्यवस्था की जा सकी है। यह भी दुखद बात है यदि मैं अपना विचार बिल्कुल समाप्त कर दूं तो सारी जनता के लिये, सारे प्रदेश के लिये सरकार ने जो कुछ आज तक किया और जो अब ५ वर्ष में करने जा रही उस लिये यह भाषा क्या पर्याप्त है? इस से भी ज्यादा कोई असफलता सरकार की हो सकती है? कोई भी योजना रखी जाती है तो मनुष्य के हृदय में आशा उत्पन्न होती है, वह उसे करने के लिये प्रेरित होता है। लेकिन जब प्रारम्भ से ही निराशा है हमारे लिये कोई जीने की आशा नहीं है तो क्या कभी भी कोई जनता इस के आधार पर जीवित रह सकती है? मैं समझता हूं कि कभी नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के मस्तिष्क में आज दिवालियापन हो गया है। कभी भी नहीं सोचती कि उतना ही काम लें जितना रुपया मिल सकता है बजाय इसके कि सारा काम उठा

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

करके एक काम भी पूरा न करें और जो तृतीय योजना की गति हुई वही चौथी योजना की गति हो। यह इनकी स्वीकारोक्ति है।

आज हम खड़े हुये हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार करने के लिये। पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ से ही जीवन की हर आर्थिक गति को कंट्रोल करती है, नियमित करती है, नियंत्रण करती है इस प्रदेश में और देश में। सही है, मैं इसको मानता हूं, मैं योजना का विरोधी नहीं हूं। कोई चीज सुनियोजित हो तो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जो इस सरकार की योजना की गति है जरा उसको देखें। १५ वर्ष इस योजना को बीत गये। हम जब कोई कार्य करने जाते हैं तो यह अनुभव करने लगते हैं कि उसने अच्छा परिणाम दिया या बुरा। अगर अच्छा परिणाम दिया तो उसी पर हम चलते हैं और अगर खराब परिणाम दिया तो उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। इस प्रारूप पर और पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं पर जो हमने मनन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह चौथा अंग है बाकी तीन योजनायें जो बीत चुकीं, उनका। उनमें और इस योजना में कोई अन्तर नहीं है। अभी यह चतुर्थ योजना पर डिस्कशन नहीं है बल्कि एक मखौल है।

आखिर इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, जैसा कि आपने प्रारम्भ में लिखा, यह था कि एक कल्याणकारी राज हो, असमानता दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, गरीब अमीर सबको समान अवसर मिले, इत्यादि। जीवन स्तर की जितने बातें है सब इसी में आ जाती हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ? ये पंचवर्षीय योजनायें बिलकुल चुनाव से संबंधित रहती हैं। ये कहते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो जो पंचवर्षीय योजनायें हमने प्रारम्भ कीं ये धराशायी हो जायंगी और जो कुछ रुपया हमने अब तक खर्च किया है वह सब नष्ट हो जायगा। पहली बात तो यह है कि हम इसके विरोधी हैं कि योजना में कोई समय निर्धारित हो। कोई समय निर्धारित नहीं होना चाहिये क्यों कि अगर हम कोई काम ले कर चलते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता है तो हमें निराशा होती है और फिर या तो हम उसको छोड़ देते हैं या दूसरे सिरे से उठाते हैं। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं कि पांच वर्ष की अवधि रखी जाय बल्कि हर वर्ष योजना बनती रहे जैसी हमारी सामर्थ्य हो। अगर कोई बहुत लम्बा काम है तो २० वर्ष से कम अवधि न रखी जाय। लेकिन यह सब होते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं से समाज को लाभ क्या हुआ? हमारे मंत्रीगण जब देहात में या और कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हमने बिजली लगा दी, सड़क बना दी, अनेक स्कूल बनवा दिये, नहर ला दी, ट्यूबवेल बनवा दिये। लेकिन यह सारी दलील खोखली हो जाती है यदि कोई आदमी खड़े हो कर उनसे पूछे कि इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम यही हुआ कि कल्याणकारी राज्य बनाने में कितने कांस्टीट्युएंस हैं—मैंने समाजवाद का नाम इसलिये नहीं लिया क्योंकि मैं किसी वाद से बाध्य नहीं हूं, मैं भी इसका हामी हूं कि सबको समान अवसर मिले, असमानता दूर हो आदि, लेकिन जो इन्होंने किया उसका परिणाम यह हुआ कि धनी और धनी हो गया और गरीब और गरीब हो गया। नौकरी की हालत यह हो गयी कि अगर सीधे भोजन नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसको रोजगार दें और भगवान ने जो जनशक्ति दी है वह बेकार न हो। लेकिन इसका उल्टा हुआ। बेरोजगारी बहुत बढ़ी। मेरे पास इसके आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन बेकारी इन योजनाओं के कारण दूसरी प्लान में ८० लाख, तीसरी में १२५ लाख और चौथी में १५६ लाख होने की सम्भावना है। इसके अलावा भुखमरी बढ़ी। और भुखमरी की स्थिति यह है कि मैं समझता कि सचमुच अगर कोई हयादार सरकार होती तो वह हया से गड़ जाती कि आज १५ वर्ष हो गये लेकिन भोजन का भी प्रबन्ध यह सरकार नहीं कर पायी। आज दुनियां के जितने देश हैं उनसे हमको भीख मांगनी पड़ती है। जो दासता हमने हटायी थी वह ऐसा लगता है कि यदि इनकी यह नीति जारी रही तो कुछ दिनों में वह आर्थिक दासता फिर हमारे ऊपर आ जायेगी।

चाहे आस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमरीका हो, कहीं पर इनकी चावल की और कहीं पर इनकी गेहूं की मांग पड़ी रहती है। मुझे दुख होता है एक फारेनर ने मुझसे कहा था कि आपका यह कैसा कंगाल देश है। आज स्वतंत्रता होने के इतने दिन के बाद भी तुम लोग अपने देश की जनता के लिये भोजन का प्रबन्ध नहीं कर पाये। बहुत से ऐसे देश हैं जो लड़ाई में समाप्त हो गये थे। फिर भी उन्होंने अपने यहां ऐसी योजनायें बनाईं कि युद्ध के पहले जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उससे भी कहीं आगे वे बढ़ गये। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। बनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगना इन्होंने देश को सिखाया है और देश के अभिमान को नष्ट कर दिया है। आज इनके कारण हमारा देश कंगाल हो गया है।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा के स्तर का हाल यह है कि आज आप किसी बी० ए० पास युवक से कहिये तो वह एक दरख्वास्त नहीं लिखा सकता है। इतना होते हुये भी इनको धन्यवाद देना चाहिये कि इनकी जनता ने जिसके ऊपर इतना कर भार लगा रखा है उसको उसने वहन किया है और दूसरे देश के लोग तो कहते कि जितना हमने करभार सहन किया है उसके बदले में तुमने हमें क्या सुख सुविधा दी। उन्होंने तो केवल जनता के सामने कल्याणकारी राज्य की कल्पना रख दी और देश को उस अधोगति पर पहुंचा दिया। आज जीवन दुर्लभ हो गया है और पूंजी के निर्माण में भी संकोच है। जीवन के जिस भी पहलू पर देखिये इन्होंने मनुष्य को दुखद स्थिति पर पहुंचा दिया है। आज क्या कोई मंत्री कह सकता है कि समाज में जितने गरीब हैं और वे किसी रोग से पीड़ित हैं तो क्या उन तक दवा पहुंचा दी है? हम कहते हैं कि प्लानिंग के विषय में इनको आत्म प्रवंचना नहीं करनी चाहिये। आज गरीबों के लिये आपके अस्पताल नहीं हैं। एक-आध इन्होंने अस्पताल बना दिया डींग हांकते हैं कि हमने मेडीकल कालेज कानपुर, मेरठ वगैरह में बनवा दिया।

इनकी योजनायें इस तरह की हैं कि उनसे गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। क्या आज कोई मंत्री कह सकता है कि गरीबों को सस्ता न्याय मिलता है? नहीं मिलता। गरीबों के लिये न्याय नहीं बना है। बड़े आदमी ही न्याय पा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को भी इन्होंने कमर्शियलाइज कर दिया है। आज बिना पैसा दिये न्याय नहीं पाया जा सकता है। ये भोजन देश को नहीं दे सकते हैं, वस्त्र नहीं सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इस स्थिति पर इन्होंने देश को पहुंचा दिया है।

एक बात हमें बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये। इसका निदान करना चाहिये। या तो इनकी योजनाओं में कोई दोष है या फिर उनके कार्यान्वियन में कोई दोष है। इस पर हमें विचार करना चाहिये। श्रीमन, दुनिया का नियम है कि अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है या कोई योजना बनाता है तो उतने ही लम्बे पैर पसारता है जितनी लम्बी उसकी सौर होती है। वह अपनी सामर्थ्य देख कर काम करता है। कर्जा लेता है तो यही सोच कर लेता है कि उसको वह अदा कर सकता है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने देश को दुनिया के परदे पर सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया। केन्द्रीय सरकार ने देश को कर्जदार बना दिया है। मैं इसलिये केन्द्रीय सरकार का नाम ले रहा हूं कि प्रदेशीय सरकार उसका ही एक टुकड़ा है। प्रदेश की भी कर्जा बहुत बढ़ गया है। आज सरकार समझती है कि हमने ज्यादा रुपया खर्च कर दिया तो उसी से सफलता आंकनी चाहिये। हमारा इससे मौलिक मतभेद है। मैंने गांधी जी की स्माल स्केल तथा काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में एक किताब पढ़ी थी। उसमें कहा है कि यदि हम अपने देश को उठाना चाहते हैं तो भारतवर्ष का हृदय देहात है, हम उस हृदय को ऊपर उठायें। दूसरे छोटे उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास करें और विकेन्द्रीकरण के आधार पर हम औद्योगीकरण करें। बड़े बड़े तो केवल वही व्यवसाय हो सकते हैं जो देश के लिये आवश्यक हैं और जिन्हें छोटे आदमी अपने सीमित साधनों से नहीं कर सकते। आपने क्या किया? आपने देश में विदेशी पूंजी मंगवाई, आपने बहुत बड़ा कर्जा बाहर से लिया और अधिकाधिक बड़े बड़े उद्योगों में उसे खर्च करना आरम्भ किया। किन्हीं खास उद्योगों में तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं, जो

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

हमारे बेसिक उद्योग हैं या जो डिफेन्स से सम्बन्धित हैं, लेकिन हम ऐसी इंडस्ट्रीज न चलाएं जिसमें विदेशी पूंजी लगे या बाहर के लोगों को अपने देश में बुला कर चलाना पड़े। विदेशी धन देश की अर्थव्यवस्था का शोषण करता है और विदेशी लोग देश के श्रम और बुद्धि का नुकसान करते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? इन्होंने अपनी स्कीम अर्थ प्रधान रखी, मेरा कहना है कि स्कीम अर्थ प्रधान नहीं, श्रम प्रधान होनी चाहिये। यह योजना बनाते समय भली भांति ध्यान रखना चाहिये कि किस प्रकार की योजना बनाई जाय जिससे देश की कोटि कोटि जनता के करोड़ों हाथों का पूर्ण सदुपयोग हो जाय और वे बेकार न रहें, काम पर लग जा।य इनको यह चाहिये था कि विकेन्द्रीकरण के आधार पर मशीन पर चलने वाले उद्योगों का प्रदेश में एक जाल बिछा देते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया। मैं दुर्भाग्य से बस्ती जिले की बात कहना चाहता हूं, बस्ती जिले की नहीं पूरे पूर्वी जिलों की बात कहना चाहता हूं। बस्ती जिले के बारे में इसलिये कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी बस्ती जिले की चुनी हुई सदस्या हैं और मैं भी वहीं का सदस्य हूं। मैं बस्ती जिले की ही नहीं पूरे पूर्वी जिलों की बात बताता हूं, मैं केवल एक विशिष्ट जिले से इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं, मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान करना है। लेकिन मैं बस्ती जिले की बात इसलिये कहता हूं कि वहां पर इन्हें बार बार जाने का अवसर मिला करता है। वहां की दशा यह भलीभांति जानती होंगी। दो वर्ष पूर्व मैंने आपका ध्यान भी दिलाया था लेकिन आपने क्या पग उठाये यह मैं जानना चाहता हूं। आपने उन जिलों में छोटे उद्योगों की स्थापना करने की दिशा में कोई भी सक्रिय कदम नहीं उठाये। यदि आपने रूपये दिये तो आपके भ्रष्ट प्रशासन ने वे रूपये खा लिये। आंकड़े बताते हैं कि ७५ प्रतिशत लोगों ने रुपया खा लिया या प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग किया है। आपने बड़े बड़े लोगों को प्रोत्साहन दिया जिसका परिणाम यह है कि छोटे छोटे उद्योग मौत के मुंह में चले गये, उद्योग नष्ट हो गये और लोगों की आर्थिक दशा जर्जर हो गयी। इसका कारण यही था कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया और उनकी मदद की। मेरी धारणा यह है कि छोटे मोटे उद्योगों की शृंखला पूरे प्रदेश भर में फैले, छोटे छोटे उद्योगों की योजना हो, बड़े बड़े उद्योगों की योजना हम नहीं चाहते। छोटे उद्योगों की योजना के अपनाने से आपको विदेशी साधनों यानी मशीनरियां आदि की भी जरूरत नहीं होगी, उससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। मैंने उत्तर प्रदेश की कुंठित अर्थ व्यवस्था पुस्तक पढ़ी, जिसमें यह बताया गया था कि शायद सारे हिन्दस्तान में ऐसी अर्थ व्यवस्था कहीं नहीं है, कहीं ऐसी घटी हुई इंडस्ट्रीज नहीं हैं, जितना कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में देश के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हुआ है। इतनी कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दुनिया में कहीं नहीं है जितना हमारे उत्तर प्रदेश का है। हमारे सामने एक योजना आयी, उसी से अन्दाजा लगाना चाहता हूं। यह योजना हजार से घट कर ९२६ करोड़ आयी। ९२६ करोड़ यदि १९६२ के मूल्यों पर लगाया जाय तो ७५० करोड़ होगा। तीसरे प्लान में जो ५५० करोड़ की बनी उसमें खेती क्षेत्र में १.५ परसेंट बढ़ोत्तरी हुई लेकिन १९६५–६६ का उत्पादन यदि लिया जाय तो बढ़ोत्तरी के बजाय घटौती हो गयी। अगर उस हिसाब से लगाया जाय कि ९२६ करोड़ की कीमत ७५० करोड़ हो गयी तो बिल्कुल स्टैगनैंट इकानामी हो जायगी। दूसरे, क्या कारण है कि यह प्रदेश केन्द्र द्वारा इतना उपेक्षित है ? पुराने आंकड़े देखता हूं तो इंडस्ट्रियल प्राजेक्टस के लिये बिहार को ७५० करोड़ दिया गया, बंगाल को ५८५ करोड़ और यू० पी० को १२५ करोड़ रुपया दिया गया। क्या कारण है ? यही कारण है कि उन्होंने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कभी सफल नहीं हो सकती। जब कि सभी जानते हैं कि चाहे फ्रीडम आफ मूवमेंट हो या किसी भी स्थिति में ले लिया जाय, उत्तर प्रदेश का सर्वोपरि स्थान रहा है, फिर भी जब से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई हर वर्ष केन्द्र ने उपेक्षा की। ऐग्रीकल्चर में भी की और इंडस्ट्रियल प्राजेक्ट्स में भी की। मिलियन हेक्टर्स में पढ़ रहा हूं। यू० पी० में कल्टीवेटेड एरिया १७.३ यानी सारे देश का १३ परसेंट और इर्रीगेटेड एरिया है ५.३ और फर्टिलाइजर मिला है ९९००० टन। आंध्र

का ११.६ कल्टीवेटेड एरिया है ३.२ इर्रीगेटेड एरिया है। इसको मिला है १ लाख ७२ हजार टन उर्वरक ? क्या कारण है कि हमारे मंत्रिगण केन्द्र के सामने उचित ढंग से मांग नहीं रख पाते ? जनता का सामर्थ्य समाप्त हो चुका है, वह और टैक्स नहीं दे सकती। क्या कारण है कि इस प्रदेश को सबसे कम सहायता मिलती है ?

खाद्य की समस्या बहुत बड़ी है। देश भर में यह सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें केवल खेती ही आधार है। लेकिन क्या कारण है कि अन्नपूर्णा भिखारी हो गया ? कारण केवल यह काले हाथ हैं सरकार के। रामायण में लिखा है और जिनका नाम लेकर ये कांग्रेसी महन्त वोट मांगते हैं उन्होंने भी उस रामराज्य का स्वप्न देखा था जिसमें यह लिखा है कि 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी'। लेकिन इन्हें नरक वरक से क्या मतलब ? ये तो आधुनिकता के पुजारी हैं। लेकिन इन्होंने देश को कंगाल बना दिया, मृत्यु के कगार पर लाकर बसा दिया। लेकिन इन्हें रामायण से क्या मतलब है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पांडेय)--

श्री ब्रजविहारी मिश्र जी तो रोज पूजा करते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप उनकी भी नहीं सुनेंगे। इनका तो ऐसा भानुमती का पिटारा है जिससे हम समझ ही नहीं पाते कि कौन क्या है। एक ओर पूजा करते हैं दूसरी ओर गोहत्या चलती रहे यह भी चाहते हैं और उस महान नेता की बात नहीं मानते हैं जिसने कहा था कि अगर एक हाथ में स्वराज्य हो और दूसरे हाथ में गोवधबन्दी, तो मैं स्वराज्य को ठुकरा दूंगा; जिसने यह कहा कि देश का बटवारा नहीं हो सकता लेकिन इन्होंने देश का बटवारा कराकर छोड़ा। जिसके बल पर आज यहां बैठे हो उस महात्मा गांधी का हम आपसे ज्यादा आदर करते हैं। आप उनको वोट की मुहरें बनाते हो, हम वोट की मुहरें नहीं बनाते हम उन्हें अति उच्च स्थान पर रखते हैं, पवित्र स्थान पर उनका स्थान रखते हैं। हम केवल यह याद दिलाते हैं कि कथनी और करनी में, आदर्श और कृत्य में कितना अन्तर है।

हमारी पार्टी ने प्रारम्भ में ही कहा था दो बातें, पहली सघन खेती की और दूसरी माइनर इर्रीगेशन की योजनाओं का जाल बिछाना। हमने कहा था कि बड़ी बड़ी नहरें, बड़े बड़े कुयें हमारे लिये काम नहीं देंगे और लोग भूखों न मरने पावें इसके लिये उपाय यही है कि छोटी छोटी योजनाओं का जाल बिछा दिया जाय। लेकिन ३ पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं, आप योजनाओं का जाल बिछा नहीं पाये और आज १५ वर्ष के बाद भी इस कृषि प्रधान प्रदेश में आज हम भी भगवान के भरोसे चातक की तरह बादल की ओर मुंह उठाये हुये ताकते रहते हैं। आज इस प्रदेश में यह हालत क्यों है ? इसका जिम्मेदार कौन है ? अगर प्रदेश का किसान इसके लिये कांग्रेस की जिम्मेदारी समझ पाता और यह समझ पाता कि कांग्रेस की गवर्नमेंट की वजह से यह नहीं हो पाया तो एक क्षण के लिये भी यह गवर्नमेंट नहीं रह पाती। आपने काश्तकार के लिये किया क्या ? बोलने के लिये नारा देते हैं जय जवान, जय किसान, लेकिन आपने किसानों की हमदर्दी के लिये किया क्या जो छोटी-छोटी योजनायें सिंचाई की थीं वह भी आपने समाप्त कर दीं। जो कच्चे कुयें थे, जो गड्ढे थे, जो तालाब थे जिनमें पानी भरा रहता था आपने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, बड़ी बड़ी योजनाओं में वह आपके कुयें कट गये और आज जब सूखा सर पर आ गया तब आज उन छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करने चले। "का वर्षा जब कृषी सुखानी"। यह तो पानी हुआ।

कृषि के लिये बीज क्या आपने खूब बांटा ? उर्वरक की स्थिति बताऊं कि आज तक उसका वितरण समुचित रीति से नहीं हो पाया। आडिट रिपोर्ट में, ठीक संख्या तो मैं नहीं कह सकता लेकिन करोड़ों रुपया इसके लिये था, लेकिन उर्वरक लाया नहीं गया और जो उर्वरक था उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ।

कृषि मंत्री (श्री गेंदा सिंह)

यह बात तो सही नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं तो ६४–६५ की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं । नरसिंह नारायण पांडेय जी इसे अच्छी तरह से जानते हैं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो टेनेंसी राइट्स किसान के हैं उनको भी अनिश्चित कर दिया है । वह आज अनुभव नहीं कर पाता कि वह उसी खेत पर रह जायगा या नहीं । आपने सहकारी खेती चला दी । पिछले वर्ष सहकारी खेती का नारा लगाया । हर एक आदमी अनिश्चित हो गया और सोचने लगा कि हमारे खेत हमारे हाथ से निकल जायेंगे । आज टेनेन्सी राइट के बारे में लोगों के अन्दर सन्तोष नहीं है । इसलिये कृषि उत्पादन के लिये जो प्राथमिकता इनको देनी चाहिये थी वह नहीं दी । पिछली तीन योजनाओं में उत्पादन को इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी बल्कि प्राथमिकता अब दी है जबकि इन्होंने देखा कि खाने बिना लोग मर रहे हैं । इसी विषय में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बहुत बनी, कृषि के बारे में लेकिन किसी से सन्तोष नहीं है । काश्तकारों को कर्जा देने की जो इनकी नीति है वह भी सन्तोषजनक नहीं है । काश्तकार के पास पैसा नहीं है । अगर वह बीज खरीदना चाहता है तो पैसा देने का साधन निकाला जाय लेकिन उससे सूद ज्यादा लिया जाता है । आप पूंजीपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा देते हैं तो उससे कम सूद लेते हैं और किसान को देते हैं तो उससे ज्यादा सूद लिया है । उनके ऊपर ऐडीशनल कर भी लगाया है । छोटी पूंजी रखने वाले उससे उत्पादन नहीं कर सकते हैं । आपने अनेक कर लगाये है चाहे वह लगान का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे पंचायत कर हो और चाहे दूसरा कर हो उनको कम करना चाहिये था । लेकिन उनको कम नहीं किया गया बल्कि बढ़ाया गया है । खुद माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को कहती हैं कि चाहे इंडस्ट्री हो और चाहे खेती हो वह पावर से आगे बढ़ेगी । पावर के बारे में इन्होंने कह दिया कि उसकी प्रगति हमारे बस के बाहर की बात है । जो छोटे-छोटे कार्य थे वह भी इनसे नहीं हो सके । आज बहुत बड़ी अशान्ति है ।

आज १५ वर्ष से विद्यार्थियों के अन्दर दोष निकालना, अध्यापकों के अन्दर दोष निकालना या राजनैतिक दलों में दोष निकालना मामूली बात है लेकिन आपने एजूकेशन का कौन सा प्लान किया । आज १५ वर्ष से स्वतंत्र सरकार के राज्य में रहते हुये बजाय इसके कि वह नेशनलिस्ट बनता और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होता और वह चरित्रवान बनता वह देश के लिये कुछ कारणों से उलटा हो गया है । वह अपने को क्लर्क समझ कर रहता है और अपने मन में एक निराशा अनुभव करता है । दूसरी बात यह कि विद्यालयों की स्थिति आप ने क्या की ? पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो स्थिति होने जा रही है वह १९७०–७१ में प्रारम्भिक स्कूलों की आप बताते हैं, कि बढ़ेगी । अगर आप इस बात को ध्यान में रखते कि उन योजनाओं को कौन इम्पलीमेंट करता है और पिछले ३, ४ साल की आडिट रिपोर्ट को पढ़ते तो कदाचित उससे भी लाभ होता । जिस काम के लिये रुपया दिया गया है वह उस काम पर खर्च नहीं होता है । इसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । ऐग्रीकल्चर में यह १९६४–६५ में ६.४९ करोड़ रुपया बच गया जिसको उन्नति के लिये खर्च किया जा सकता था । सड़कों के लिये १.३७ करोड़ रुपया बच गया । इंडस्ट्री में १.२९ करोड़ रुपया बच गया । यह ८९ अनुदानों में ३९.९९ करोड़ रुपया बच गया जो खर्च नहीं किया गया । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले ये राज्याधिकारी हैं । हजारों डिफाल्ट केसेज हैं । जो रुपया जाता है वह गरीब की जेब में नहीं जा पाता । नतीजा यह होता है कि मूल्य बढ़ते जाते हैं । जीवन दुर्लभ हो गया है जिसको सम्भालने में ये असमर्थ हैं । इन योजनाओं के विषय में सरकार को यह सोचना चाहिये कि कौन सी मूलभूत गलती है जिसके कारण यह उन्नति नहीं हो रही है ।

अपने विचार के अनुसार हम सरकार के सामने सुझाव रखना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि इन योजनाओं का ऐसा रूप होना चाहिये जिसमें हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। रोजगार की स्वतंत्रता हो। यह मेरा सुझाव है कि इसमें यह होना चाहिये जो इसमें नहीं है। कृषि की वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय, यह इसमें प्रयास किया, लेकिन इन्होंने कह दिया पिछले ३ वर्षों में नहीं किया। लेकिन अब कुछ प्रवृत्ति बदली है, वह तो केवल जनता को धोखा देने के लिये आंकड़े दे दिये। दूसरी बात यह है कि किसान और मजदूर को उचित मूल्य और पारिश्रमिक की आश्वस्ति हो, उनकी योजना ऐसी हो कि उनका माल अच्छी जगह पहुंचे और उसका मूल्य अच्छा मिले। छोटे यंत्रचालित उद्योगों पर बल दिया जाना चाहिये और सिद्धांत छोड़ कर व्यावहारिक दृष्टि से उनका विस्तार करना चाहिये। शिक्षा के बारे मैंने कह ही दिया।

चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आ गया, लेकिन सरकार अनिश्चित है कि इसका प्रारूप क्या होगा और कितना रुपया केंद्र से मिलेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना भी मैं समझता हूं कि ३०० करोड़ की हद तक स्पिल-ओवर होगा और ९२५ में से खर्च करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सब योजनायें ढकेली जा रही हैं। जो अत्यन्त आवश्यक सामग्री है और आवश्यक चीजें हैं वह मिल नहीं पाती हैं और न इंडस्ट्री ही ऐसी चली कि जहां से साधारण मनुष्य के लाभ की चीजें मिल सकें। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर भी ध्यान दिया जाय और इस योजना को बदल कर उन चीजों को प्राथमिकता दी जाय जो जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक और महत्व की हैं और जो सारे समाज म जो काम करने लायक हैं उसको बल दे सके और ऋण की जो स्थिति आ चुकी है उसको घटा सकें।

†श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, दुनिया के सब मुल्कों में ऐसा मुल्क कि जो बहुत बड़ा हो, जहां गणतंत्र राज्य हो और जहां की सरकार योजनाबद्ध विकास में सहयोग देती रही हो भारत-वर्ष के मुकाबले का और कोई नहीं है।

मान्यवर, योजना की आवश्यकता ही इस बात से पड़ती है कि जहां समस्यायें ज्यादा और साधन सीमित हों। जहां समस्यायें कम हैं और साधनों की कमी नहीं है वहां योजना की आवश्यकता नहीं है, वे वैसे ही संपन्न होते हैं थोड़े साधन होने पर जरूरत पड़ती है कि सीमित साधन में उनको किस आर्डर में खर्च किया जाय। नेता विरोधी दल जिस बात की शिकायत कर रहे थे वह योजना की बुनियाद है। इसका उद्देश्य एक और भी है आमदनी का जो अन्तर है उसको कम करना, बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा अमीर लोग न हों। उत्तर प्रदेश क्या तमाम भारतवर्ष में यह बात तो माननी पड़ेगी कि यह अन्तर कम नहीं हुआ है लेकिन यह कहना कि गरीब-गरीब हो गया, जैसा नेता विरोधी दल कहते थे, यह सही नहीं है। मैं केवल दो उदाहरण लेता हूं। एक तो इनकम टैक्स के आंकड़े ले लें। पिछले ५-१० साल में पहले तो ५००० से कम आमदनी वाले असेसीज की तादाद ४.५ प्रतिशत थी, फिर १९५९-६० में यह संख्या १७.७२ और ६१-६२ में १८.५७ हुई। यानी ५००० से कम आमदनी वालों की संख्या काफी बढ़ी है।

इसके साथ ही जो ऊंची आमदनी वाले हैं २० हजार से ५० हजार तक की इनकम वाले, उनकी संख्या घटी है। १९५५-५६ में इनकी संख्या ५.७ थी, १९५९-६० में इनकी संख्या ३.३५ हो गयी, १९६०-६१ में ३.२ रह गयी। यह इस बात का सूचक है कि कम आमदनी वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि गरीब और अमीर का जो अन्तर है वह काफी बना हुआ है, इसमें विशेष परिवर्तन नहीं आया है। उन मुल्कों के मुकाबले में भी जहां प्राइवेट उद्योग हैं, हमारे यहां अन्तर ज्यादा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूल सिंह]

मैं नेशनल इनकम के भी कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। १९४१ से १९४५ तक नेशनल इनकम २ प्रतिशत घटी है। हर साल पर कैपिटा इनकम घटी है। १९४५ से १९५१ तक १० प्रतिशत की घटौती हुई है। जब कि शुरू से ही नेशनल इनकम गिरती जा रही है, उस बैकग्राउन्ड में आपको देखना होगा कि आज क्या स्थिति है। आज हमने उस खतरे को रोक दिया है। आज नेशनल इनकम बढ़ने लगी है। लेकिन जितनी बढ़नी चाहिये उतनी नहीं बढ़ी है, यह बात सही है।

मान्यवर, इस चौथी योजना को तीसरी योजना के बैकग्राउन्ड में देखना चाहिये। तीसरी योजना में सरकार ने जितना रुपया था उससे ज्यादा खर्च किया, लेकिन वह ज्यादा रुपया आखिरी समय में किया। अगर वह रुपया शुरू से खर्च किया जाता तो उसका अधिक लाभ हो सकता था।

मान्यवर, इस योजना में कृषि पर काफी रुपया रखा है। छोटी सिंचाई योजना पर पहले से दुगना है, स्वायल कनजरवेशन पर तिगुना है, यह बहुत संतोषजनक है, लेकिन सहकारिता की मद में बहुत कम रुपया रखा गया है। अभी तक सहकारिता से जो कर्जा मिलता है वह करीब ५० करोड़ के है, जब कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता ४०० करोड़ की है। यह इसमें कमी है, इस त्रुटि की तरफ ध्यान जाना चाहिये।

कम्युनिटी डेवलपमेंट पर इस योजना में कम खर्च करने की बात है, मेरे खयाल से इस योजना से सही फायदा नहीं हो रहा है, अच्छा हो इसे खत्म ही कर दिया जाय। लेकिन जब तक यह योजना है, तब तक इसमें काम करने वाले कर्मचारियों से काम लिया जाय, यह न हो कि वे खाली बैठे रहें। अभी २०० ब्लाकों को तोड़ने की बात कही गयी थी, उनके करीब २ हजार कर्मचारी खाली बैठे हैं, उनसे पूरा काम लेना चाहिये। यह कृषि के संबंध में मुझे लगता है योजना में अच्छा रुख है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आपने खर्चा ज्यादा किया। आपने पैदावार बढ़ाई यह प्रश्न नहीं है। योजना का यह उद्देश्य होना चाहिये कि पांच साल के अन्त में हमारी आवश्यकता क्या होगी। उस आवश्यकता को हम कहां तक पूरा करेंगे। पर-स्पेक्टिव प्लानिंग योजना का उद्देश्य होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में यह नजर नहीं आती है। दो किताबें इस विषय की जो छपी हैं उनमें से एक में लिखा है कि सन् ७५ तक हमारे अन्न की आवश्यकता में (मोटे अनाज की आवश्यकता में) ८० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जावेगी और जो छोटे अनाज हैं (माईनर मिलेट्स जिन्हें बोलते हैं) उनमें ३३ प्रतिशत की बढोत्तरी हो जावेगी और दालों की आवश्यकता में सौ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जावेगी। कोई योजना बनाइये उस योजला में....

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप पांच मिनट और बोलिये। आपका समय तो हो चुका है।

श्री फूल सिंह—

मैं कह रहा था कि ऐसी योजना होनी चाहिये थी जिसमें यह आवश्यकता पूरी होती। एक और भी स्कीम है उसमें उन्होंने कहा कि इस प्लान में ३३ प्रतिशत रुपया खेती के लिये सुरक्षित होना चाहिये। मुझे खेद है कि १२५ करोड़ पया के करीब खेती के लिये रक्खा गया जब कि प्लान नौ सौ कुछ रुपये का है। इस दृष्टि से जो रुपया हमने खेती के लिए रक्खा वह अपर्याप्त साबित होगा। एक दृष्टि से और देखना चाहिये। पर कैपिटा नेशनल इन्कम क्या है उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखें तो इस वक्त पर कैपिटा नेशनल इन्कम २८७ रुपये के करीब होगी और चौथी पांचसाला योजना में भारतवर्ष में नेशनल इन्कम ४२५ रुपये के करीब

हो जावेगी। तो जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि अगर चौथी पांच साला योजना में और पांचवीं योजना में सात हजार करोड़ रुपया खर्च करें तब उत्तर प्रदेश बाकी प्रांतों के साथ चल सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि चौथी पांच साला योजना में उत्तर प्रदेश को २३०० और २४०० करोड़ पये के बीच में खर्च करना चाहिये। इस दृष्टि से अभी तो हमारा प्रदेश बाकी प्रदेशों से एक ही योजना पीछे है। इस दृष्टि से हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबिले में कई योजनायें पीछे हो जायेगा। मान्यवर, जब यह प्रश्न उठता है कि कम से कम आमदनी वाले और ज्यादा से ज्यादा आमदनी वाले में डिस्टेन्स कम होना चाहिये तब यह प्रश्न रैलिवेंट है कि प्रदेशों की प्रगति में भी कुछ समन्वय होना चाहिये। इस दृष्टि से यह योजना बहुत ही डिफैक्टिव मालूम होती है। यह तो संतोष की बात है कि जो उद्योगों के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में रुपया रक्खा गया है वह १६० और १८० करोड़ रुपये के बीच है जब कि पिछली पंचवर्षीय योजना में केवल ९० करोड़ रुपया रक्खा था लेकिन उस दृष्टि से अगर आप देखें कि और प्रदेशों के मुकाबिले में हमें क्या मिलने जा रहा है तब हम और पीछे रह जाते हैं। सारे प्रदेशों में सेंट्रली स्पांसर्ड इन्डस्ट्रीज के संबंध में २३ सौ करोड़ रुपया लगेगा जिसमें आधा बंगाल और बिहार को चला जायेगा और उत्तर प्रदेश को १२२ करोड़ के करीब रुपया मिलेगा जिससे हम पिछड़ जाते हैं। इसलिये जो हमारा हक था वह नहीं मिलता। हर योजना में उत्तर प्रदेश को उसके हक के अनुसार सैन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम के रुपये नहीं मिलते हैं। इस प्लान में स्टेट की मदद के लिये केंद्र से ३६ सौ करोड़ के करीब रुपया रक्खा गया है। यह बड़े खेद की बात है कि ४३० करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को इस तरह से मिलता है। इस दृष्टि से भी हम सारे प्रदेशों से पिछड़ गये हैं और इस योजना द्वारा मैं जानता नहीं, हमारा कहां इंसाफ होने जा रहा है, हमें और पीछे ले जायेगा इस दृष्टि से क्योंकि सरकार यह भी सोचती है कि कायदे से जो हमें मिलना चाहिये वह तो मिले। उन्होंने कहा कि ७० प्रतिशत रुपया बांट दिया आबादी के हिसाब से और ३० प्रतिशत पिछड़ेपन के आधार पर बांट दिया। हम भी काफी पिछड़े हुये हैं लेकिन इस पिछड़ेपन का भी कोई फायदा हमें नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से इस योजना में काफी डिफेक्टिव बातें हैं। योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि वह समाज में मशक्कत करने की भावना को उत्तेजित करे, और उस काम के लिये संस्थायें खड़ी करे। इस प्लान में संस्थायें बहुत बनी हैं, लेकिन सारी संस्थायें केवल कागज पर हैं, वे बहुत मामूली काम करती हैं। जैसे यूथ लीग ही है जो कागज पर बनी है जिसके दो चार मेम्बर हैं। ऐसी संस्थायें कुछ काम नहीं कर पायी हैं। समस्यायें हमारे सामने बहुत हैं। जितनी समस्यायें आज हमारे सामने हैं शायद ही इतनी किसी समय में किसी मुल्क के सामने रही हों। लोग उतावले हैं, अधीर हैं, काफी परेशान हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिये। अगर यह उतावलापन नहीं रहा तो इस तरह से देश बहुत पिछड़ जायगा और एक तरह से मिट जायगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, यह एक बार नहीं बल्कि जब जब इस सदन में योजना पर बहस हुई है मैंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि योजना संबंधी जो किताब हम लोगों को बंटी है, उसको पढ़ने के बाद कोई भी आदमी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि आया यह सरकार योजना के माने नहीं समझती है या इस सरकार में जो काम करने वाले आफिसर हैं वे योजना के माने नहीं समझते हैं, या समझ बूझ कर कुछ ऐसा षड़यंत्र करना चाहते हैं जिससे सारे अधिकारियों की बुराइयों पर वर्षों से जो पर्दा पड़ा हुआ है वह पड़ा रहे और इधर उधर के नमूने वे दिखलाते रहें। कोई भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी इस योजना के प्रारूप को देखता है तो इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह योजना की कोई किताब है नहीं, यह तो एलेक्शन आफ फंड है डिफरेंट हेड्स का। यानी भिन्न भिन्न विभागों के लिये कितना रुपया एलाट हुआ है उसका एक ब्यौरा बना कर दे दिया गया है। जैसे ९२६ करोड़ रुपया खर्च होगा और कहां कहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

खर्च होगा, इसी तरह से अललटप्पू दे दिया गया है। आपकी योजना क्या है? माननीय फूल सिंह जी ने बहुत सही कहा कि जब आपके साधन सीमित हैं तो योजना का उद्देश्य यह होना चाहिये कि किस काम को कितनी वरीयता दी जाय। क्या इस किताब को पढ़ने से मालूम होता है कि किस काम के लिये आपने कितना प्रिफरेंस दिया है? कोई भी अर्थशास्त्री अगर सिंचाई के प्रकरण को खोल कर देखे तो सबसे पहले उसका दिमाग जायगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने एकड़ जमीन में सिंचाई करनी है और अब तक पहली, दूसरी व तीसरी योजना में कितने एकड़ जमीन में सिंचाई की जा चुकी है और अब कितनी सिंचाई होनी चाहिये। इसी तरह से शिक्षा के प्रकरण को आप खोल कर पढ़ें तो किसी भी आदमी का दिमाग पहले इस तरफ जायगा कि अब तक कितने लोगों को

(इस समय २ बज कर ४३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

हम शिक्षित कर चुके। कहा गया है कि ६ से १४ वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिये तीसरी योजना में जो लक्ष्य निर्धारित था उससे हम काफी अधिक रहे हैं। एक से ५ वर्ष तक के ९२.१४२ लाख बच्चों के लिए सरकार का लक्ष्य था और इसी तरह से अललटप्पू हिसाब से योजना बना दी गयी है। आज आपके किसी भी अधिकारी से या मुख्य मंत्री से पूछा जाय कि चौथी योजना में ६ साल से १२ साल के कितने बच्चे स्कूल जाने लायक होंगे, कितने अध्यापकों को आपकी जरूरत होगी और कितने स्कूलों के खोलने की आवश्यकता होगी, तो कोई नहीं बता सकता है। इसका कोई विवरण इस पुस्तिका में नहीं है। इसी तरह से सिंचाई के लिये कोई साफ तस्वीर प्रदेश के सामने सरकार ने पेश नहीं की है। मुख्य मंत्री जी ने बिजली के लिये कहा। बंशीधर पांडेय योजना की बहुत तारीफ करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास चौथी पंचवर्षीय योजना में कौनसा प्रारूप सिंचाई का है। गेंदासिंह जी ने कहा कि ३ करोड़ एकड़ जमीन सिंचाई चाहती है। मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन सरकार की क्या इसके लिये योजना है कि कितना किस माध्यम से सींचा जायगा? कितना आप नहरों से, लघु योजनाओं से, पक्के कुओं से, कच्चे कुंवों से सींचेंगे? इसका नतीजा यह है कि सारा पैसा गड़बड़ घोटाले में जाता है। ९२६ करोड़ की योजना में आधा रुपया ४०० करोड़ से ऊपर, अफसरों और ठेकेदारों और बड़े बड़े लोगों की पाकेट में चला जायगा और आधे में से आधा फरजी कामों पर चला जायगा। हमारे जिले में रहट ४०० पये में अच्छा बनता है लेकिन विकास अधिकारी ने ५०० रुपये रखे और हर किसान से २०० पया फी रहट ले लिया। इस काम में कैसे चोरी होती है, इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर सरकार सही मानों में योजना चलाना चाहती है तो सिंचाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, और सभी बातों के लिये उसे साफ तस्वीर रखना चाहिये। जैसा फल सिंह जी ने कहा, प्रारम्भिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान होना चाहिये। अमीरों के लिये अलग स्कूलों को खत्म करना चाहिये, जैसे लारेटी कानवेंट इत्यादि हैं। इनमें एक बच्चे पर १०० से ३०० रुपये माहवार तक खर्च होते हैं जब कि साधारण आदमी के बच्चे के लिये स्कूल में बिछाने के लिये टाट भी नहीं है। स्कूल की छत चूती है और अगर उसका अध्यापक रोटी के लिये कहता हूं तो यह सरकार उसे जेल में रखने के लिये तैयार है। सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि पिछले १५ साल में नैशनल इनकम को ९० प्रतिशत केवल १० प्रतिशत आदमियों के पास गया है और १० प्रतिशत ९० प्रतिशत आदमियों के पास गया है। इससे अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब हुआ है। इनकी योजनाओं से बड़े लोगों को और बड़ी जोतवालों को लाभ होता है। छोटे किसान और मजदूर को कोई लाभ नहीं है। यह योजना रद्दी की टोकरी में फेंक देने लायक है।

*डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चौथी योजना का प्रारूप रखकर सरकार ने हमारे सामने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सच्चा ढांचा रखा है। अगले ५ वर्षों में इस आर्थिक ढांचे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को और सुदृढ़ करने के लिये आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिये, सरकार नियोजित ढंग से जो कदम उठाना चाहती है उसकी रूपरेखा हमारे सामने उपस्थित की है। यह सही है कि हमारी मुख्य मंत्री ने बहुत ही मेहनत करके इस चौथी योजना के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार से जो अनुदान मिलना चाहिये था उसमें वृद्धि करने की कोशिश की है। जैसा कि आंकड़े से पता चलता है, पहली योजना में केंद्रीय सरकार ने ७ प्रतिशत पूरे एलोकेशन का हमें दिया और फिर तीसरी में १० प्रतिशत और अब १४ प्रतिशत तक आया है। जनसंख्या के हिसाब से हमें १७ प्रतिशत मिलना चाहिये, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। मुझे खुशी होगी यदि हमारे मुख्य मंत्री के प्रयास से केंद्रीय सरकार इसे बढ़ाकर १७ प्रतिशत कर दे। मैं इसलिये इस बात को बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का ५७ प्रतिशत कृषि उत्पादन करता है। और करीब करीब ५० प्रतिशत गन्ने की उपज उत्तर प्रदेश में होती है। आज हमारे देश में खाद्य की बड़ी भारी समस्या है और अमेरिका आदि अनेक बाहर के देशों से काफी अन्न मंगाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है, इसमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की बातों को मान ले और उत्तर प्रदेश को सिंचाई और विद्युत दो मदों के लिये अधिक रुपया दे तो यह निश्चित है कि ५ वर्षों में बहुत तरक्की हो सकती है और अन्न की समस्वा हल हो सकती है। पिछली तीन योजनाओं में उत्तर प्रदेश को बहुत कम मदद मिली। मैं समझती हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमें दृढ़ता के साथ केन्द्र के सामने अपना केस रखना चाहिये। यह वह स्टेज है जब कि हमें अभी आगे और अनुदान केंद्र से मिल सकता है। इसलिये दोनों पक्षों के सदस्यों के लिये यह उचित होगा कि जोरों के साथ अपने प्रदेश की वास्तविक स्थिति को सदन के सामने रखें और केंद्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें ताकि माननीय मुख्य मंत्री को केंद्र से अधिक रुपया लाने में मदद मिल सके। हमारी योजना १४ सौ करोड़ से आरम्भ होने वाली थी, वह घटते घटते १०५५ करोड़ की ही रह गयी और अब जाकर ९२६ करोड़ की है। न्याय की बात तो यह है कि केंद्र को कम से कम ५५० करोड़ रुपये की मदद देनी चाहिये। बिना इसके हमारी बहुत सी योजनायें अधूरी रह जायेंगी।

इसके अलावा हिन्दुस्तान के जो ५८ पिछड़े हुये जिले हैं उनमें से २२ जिले उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें भी ११ पूर्वी और बुन्देलखंड के जिले हैं। इन जिलों में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहां इलाहाबाद में मेजा और करछना दो तहसीलों में लोगों को पीने के पानी की भी बहुत तकलीफ है। यदि हम अपने प्रदेश के लिये सिंचाई की व्यवस्था और लोगों के पानी पीने की व्यवस्था इस चौथी पंचवर्षीय योजना में करा सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि इसके लिये केंद्र के पास १ करोड़ रुपया अतिरिक्त रखा हुआ है उसको उन्हें हमें दे देना चाहिये। जिससे हमारी सरकार उस रुपये को पिछड़े हुए जिलों की तरक्की के लिये लगा सके। पटेल आयोग ने पूर्वी अंचल के जिलों के लिये जिन बातों पर प्रकाश डाला है, हम समझते हैं कि उन बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जायगा। पूंजी की कमी के कारण पिछली योजनाओं में हमारे प्रदेश की आय नहीं बढ़ पायी है। ५०–५१ में जब योजना आरम्भ हुयी थी तो हिन्दुस्तान के प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हमारे प्रदेश के आंकड़ों से १२ रुपया ज्यादा थे जब कि अब १० साल के बाद २५ रुपया ज्यादा हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हमारे प्रदेश के लोगों की आय तेजी से बढ़े। हमारे प्रदेश के टैक्स देने की स्थिति ठीक नहीं है और अधिक टैक्स नहीं लगाये जा सकते इसलिये केंद्र को अधिक रुपया हमें देना चाहिये और अधिक उद्योग धंधे हमारे प्रदेश को देने चाहिये। पिछले वर्षों में हमने जो कर लगाये हैं वही भार जनता पर काफी है इसलिए जरूरी है कि आज पब्लिक सेक्टर में उद्योग खुलें, उनमें मुनाफा हो जैसे चुर्क सीमेंट फेक्ट्री है या रोडवेज का काम है, इन में हम केवल १ प्रतिशत ही मुनाफा कर पाते हैं, लेकिन वह अगर हम ५–६ प्रतिशत बढ़ा सकें तो हमें काफी पैसा मिल सकता है। इसी तरह से सन् ५८ में श्री अशोक मेहता ने अनाज में स्टेट ट्रेडिंग की बाबत कही थी वह विशेष रूप से यू० पी० में आवश्यक है, इस से यहां करीब-करीब २०० करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इसी तरह से बहुत से काम हैं

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

जिन को सरकार पंचवर्षीय योजनाओं में कर सकती है और सामाजिक व्यवस्था जो सरकार लाना चाहती है उस को ला सकती है ।

अन्त में मैं एक सुझाव और दूंगी कि चौथी योजना के अन्तर्गत मास्टरों का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिये सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिये । प्राइमरी टीचर का वेतन इस समय १०० रुपया और सेकिंडरी टीचर्स के वेतन में जो आज डिसपेरिटी है उस को खत्म करना चाहिये और सरकार को इस के लिये कहीं न कहीं से पैसा जुटाना चाहिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पिछले ५ साल में लगातार हम अध्यक्षपीठ का ध्यान खींच रहे हैं कि अध्यक्ष पीठ इतना निकम्मा हो गया है कि ४३० सदस्यों में से आम विषयों पर लगातार कुछ खास ५० आदमियों को ही बुलवाया जाता है । जो लोग अभी सूखे पर बोल चुके हैं वही आज भी बुलाये जा रहे हैं । इस तरह का निकम्मापन अध्यक्षपीठ से बराबर हो रहा है, इस की मैं निन्दा करता हूं ।

*श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, हम ने भी यह साढे नौ सौ करोड़ की योजना देखी और सन भी रहे हैं लेकिन कल मैं सिंचाई के दफ्तर गया था चीफ इंजीनियर आफिस तो वहां भी प्रवेशपत्र लेना पड़ा । पहले कभी नहीं ऐसा था लेकिन अब अगर सिंचाई के साधन के लिये किसान को वहां जाना हो तो पहले प्रवेश पत्र लेना पड़ता है । इस तरह की चीज सेंटर के भी किसी विभाग के दफ्तर में नहीं है । प्रदेश में एक विजिलेंस विभाग कायम हुआ है वहां अभी प्रवेशपत्र की जरूरत नहीं होती, कोई भी वहां जा सकता है लेकिन कृषकों की असुविधा के लिये चीफ इंजीनियर इरिगेशन के यहां प्रवेशपत्र की आवश्यकता होती है तब आप वहां चीफ इंजीनियर या किसी विभागीय अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तीन चीजें सिंचाई, बिजली और सड़क हो जाय तो काफी प्रगति हो सकती है । पिछली जो योजना आई उन की हम ने आडिट रिपोर्ट देखी कि विभागों ने जिस वक्त १ करोड़ ९८ लाख रुपया हुआ तो एकदम स्कीम खत्म, सारे पेपर खत्म, दफ्तर खत्म और अफसर खत्म । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम कोई अंकुश योजनाओं के कार्यान्वयन पर रहना चाहिये । यह जो तीन चौथाई कर्मचारियों और अफसरों की जेब में जा रहा है और केवल एक चौथाई व्यय हो रहा है यह चीज रोकना चाहिये । अब तो प्रदेश में नन्दा जी का विजिलेंस कमीशन बना है उससे इस खराबी को भी ठीक करवाये और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने लाई जाय । अगर किसी की इन्क्वायरी होती थी तो रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में रख दी तो वह क्या करें । ६८ नम्बर गेहूं का बीज मिलना चाहिये उस में मिला दिया ६७ और नतीजा यह हुआ कि ६७ जमा नहीं और थोड़ा बहुत केवल ६८ बीज जमा, ५ परसेंट जरमिनेशन हुआ किसान का तो भट्टा बैठ गया और बाद में उस के दाम ६४ रुपया प्रतिमन के हिसाब से देने पड़े । तो सारी तरफ योजनायें इस कदर जोरों पर हैं पर उन पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है । हमारी योजनायें हैं कि इस प्रदेश में खाद्य उत्पादन बढ़े, कृषि बढ़े पर ऐसा होता नहीं है । अभी अभी हमारी बहिन जी ने कहा कि प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है । क्या उन्होंने देखा कि जो हमारी लकड़ी का भाव है वह तो ४ रुपये प्रति मन है लेकिन हमारे गन्ने का भाव केवल १ रुपया १२ आना है । एक समय था जब कि गन्ने के खेत हरे हरे लहराते हुये दिखायी देते थे और किसान भी उन्हें देखकर खुश होता था परन्तु गन्ने का भाव ही इतना अधिक गिर गया है कि बड़ा अफसोस होता है । मैं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

केवल यह कहूंगा कि आपने जो ९३६ करोड़ की जो स्कीम बनायी है उस पर आप अंकुश लगाइये। आज होता क्या है कि जो रुपया किसी स्कीम के लिये होता है उसका १/४ तो काम में लगता है और बाकी का या तो ठेकेदारों की जेबों में जाता है या अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। यहां पर कहा जाता है कि सिंचाई की बहुत प्रगति हुयी है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ इंजीनियर के दफ्तर में गेट पास के प्रचलन से हमारी सिंचाई बढ़ जाती है ? अगर आपको सिंचाई बढ़ानी है तो कोआपरेटिव में, और ट्यूबवैल के जरिये से आप हमारे किसानों की मदद कीजिये। रुपया जो उनको दिया जाय वह उनको सीधा मिले। उनकी पास बुक खुलवा दीजिये जिसके आधार पर वैल्यूएशन हो जाया करे और वे वहां से आसानी से रुपया प्राप्त कर सकें। आज हर जगह कृषक को लूटा जा रहा है।

जहां तक बिजली का संबंध है मेरी जानकारी है कि जो रुपया सब-स्टेशनों, तारों और ट्रांसमीशन लाइनों के लिए प्रयोग में लाना चाहिये वह धन एक्जीक्युटिव इंजीनियर के बंगलों में ५० हजार के हिसाब से ओवरसियर के बंगले में २५ हजार के हिसाब से और एस० डी० ओ० के बंगले में ३० हजार के खर्च हो जाता है।

जहां तक सड़क बनाने का सवाल है, आप यहां पर ले आउट कर रहे हैं लेकिन वहां पर जो सड़क एक-एक साल में बन जानी चाहिये वह ९–९ साल में बनायी जाती है।

जहां तक रुपये के दुरुपयोग का संबंध है वह २९ मार्च को ही बिल बनता है, २९ मार्च को ही साइट पर माल जाता है और २९ तारीख को ही सारा भुगतान होता है और सारे वाउचर भी आ जाते हैं। इन सब योजनाओं पर अंकुश होना चाहिये। यह जो हमारे टैक्सेशन और रेवेन्यू की कमाई है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये। एक स्कीम आयी हमारी कृषि की कि फिजिकल फिट किया जाय। तो क्या हुआ ? ३ विभाग इसमें आये, एक कुक्कुट, एक वैटिरीनरी और एक कृषि। कहीं पर मुर्गियों के पालन का काम आरम्भ किया गया और कहीं पर मछलियों के पालन का काम किया गया। मुर्गियां एक न रहीं। इस सब काम में १ करोड़ ९८ लाख रुपया खर्चा हुआ। बाद में कहा गया कि यह प्रदेश तो शाकाहारी है इसलिये यह स्कीम खत्म की जाय। फिर बाद में देखा गया कि न कोई दफ्तर न कोई कर्मचारी और ये तीनों अपने-अपने बंगलों में चले गये। तो मैं अपनी बात इस आशय से समाप्त करता हूं कि हमारी जब यह ९३६ करोड़ की योजना है उसमें लगे धन का सही-सही उपयोग हो, अन्यथा इस योजना से हमारे प्रदेश को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

*श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। श्रीमन्, यह प्रदेश जो है इसमें देश की सब से बड़ी १७ फीसदी आबादी रहती है और इस प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, इसको देखते हुए यहां पर पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहां पर पूर्वी प्रदेश के पिछड़े हुए जिले हैं, बीच के जिले हैं उनकी कुछ अलग अलग समस्यायें हैं, पश्चिमी प्रदेश की अलग समस्यायें हैं। सारे प्रदेश को अगर देखा जाय तो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग समस्यायें हैं और कोई भी नियोजन जो प्रदेश का बने मैं महसूस करता हूं कि वहां की समस्याओं के देखते हुए भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश की योजना बननी चाहिये। और जब मैं इस उद्देश्य से इस प्रारूप को देखता हूं तो पाता हूं कि इसकी नितांत कमी है और सरकार को इस ओर कुशाग्र दृष्टि से विचार करना चाहिये जिससे हमारा प्रदेश अन्य सूबों के मुकाबले में आगे बढ़ सके। तीन योजनायें बनीं। मेरे पास एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के विचार हैं जिन्होंने १५ साल की इस प्रदेश की हमारी डेमोक्रेटिक प्लानिंग के बारे में अपने विचार रखे हैं, श्री केशव आयंगार उनका नाम है। मैं महसूस करता हूं कि विकास के इस युग में हमने जब अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

योजनाओं को बनाया है उस समय न तो हमने रेडिकल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा जिसमें कहा गया था कि इस प्रदेश को अगर विकास की तरफ ले जाना है तो २७ परसेन्ट उन लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जो कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि के उत्पादन के लिये जितने अंगों की जरूरत है, पावर सिंचाई के विभिन्न साधन जैसे कच्चे, पक्के कुएं, टयूबवैल, मसोनरी वैल्स इन तमाम चीजों की तरफ एक सुनियोजित हमारा प्लान बनना चाहिये था और २० परसेन्ट कृषक जो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं उनकी आर्थिक दशा सुधारने की तरफ योजना में प्राथमिकता देनी चाहिये थी। मुझे अफसोस होता है कि हमारे कृषि मंत्री जब से हुए हैं, मैं कोई तारीफ की बात नहीं करता, यह बात सही है कि उन्होंने उस ओर ध्यान दिया है, लेकिन जितना देना चाहिये था उतना नहीं दे सके, हो सकता है कि उनके पास पैसा न रहा हो, उनको सेन्ट्रल असिस्टेंस आबादी के हिसाब से न मिली हो। जब तृतीय प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आयी तो उसमें भी कहा गया कि स्टेट ने जो कुछ अपना हिस्सा केन्द्र को दिया है, उस केन्द्र के हिस्से में उसका जो स्थान है, जो प्रोपोर्शन हैं वह निश्चित होना चाहिये और ऐसा प्रोपर्शन देना चाहिये जिससे कि वहां आर्थिक विकास हो सके। मैं थर्ड प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को देख रहा था जिसमें इसका रेफरेंस भी आया है, आयंगार साहब की वौल्यूम है १५ साल विकास की योजनाओं पर लिखा गया है, उसमें भी इस बात का रेफरेंस दिया गया है कि हमारे प्रदेश में जितनी सेन्ट्रल असिस्टेन्स है वह आबादी के आधार पर नहीं दी गई। हमारी योजनाओं को बनाते समय केन्द्रीय सरकार ने और प्रदेशों के मुकाबले हमारे साथ पक्षपात का व्यवहार किया। यही कारण है कि हमारी आमदनी अगर देखा जाय तो तीन पंचवर्षीय योजनाओं में बढ़ी जरुर लेकिन प्रति व्यक्ति आमदनी घटती चली गयी। इस स्थिति को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। आज एग्रीकल्चर के ऊपर इस ड्राफ्ट प्लान में जितनी हम उम्मीद करते थे उतना पैसा उसके अंगों के विकास के लिये नहीं रखा गया। इसी तरह से अगर बिजली को देखा जाय तो इस प्रदेश में २३ किलोवाट प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग होता है जब कि आल-इंडिया फीगर ५५ किलोवाट प्रति व्यक्ति की है। अगर आपको प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, छोटे-छोटे, उद्योगों को पनपाना है तो हमें बिजली देनी पड़ेगी। आज हालत यह है कि जिस सेक्टर में बिजली देनी चाहियें वहां न देकर बड़े-बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्टस को जो मुफ्त बिजली दी जाती है इसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट की नीति नहीं कहा जा सकता। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिये।

तीसरी चीज जिससे हमारे असेटस बढ़ते हैं वह है हमारे कम्युनिकेशन के साधन। आज देहाती क्षेत्र में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। हम बाजार में अपने सामान को ला नहीं पाते। नतीजा यह होता है कि बड़े-बड़े लोग देहातों में जाकर सामान खरीदते हैं और जिस वक्त जनता को उपभोग की चीजों की जरुरत होती है उनको वह हम दे नहीं पाते हैं।

इसके साथ ही साथ आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ११, १२ जिले बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, वहां की जो सारी नदियां उनकी खुशहाली के रास्ते में बाधक बनी हुई हैं उनके लिये एक सुनियोजित योजना बननी चाहिये। राप्ती योजना बननी चाहिये और नदियों को पहाड़ों पर ट्रेन करना चाहिये जिससे ये पूर्वी जिले जो आज हमारे लिये अभिशाप बने हुए हैं ये सुखदायी हो सकें। इसके लिये इस ड्राफ्ट प्लान में जितनी उम्मीद थी वह नहीं हो सका।

मैं मुख्य मंत्री का आभार इसलिये प्रकट करता हूं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सेन्ट्रल असिस्टेन्स हमारी आबादी के हिसाब से मिलनी चाहिये। इसके अलावा उनके काल में इस प्रदेश की जो कुछ तरक्की हुई उसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, यह चौथी योजना का रूप जो हम लोगों के हाथ में हैं, जिस पर हम लोग बहस करने के लिये तैयार हुए हैं, इसके लिये अगर यह कहा जाय कि यह कल्पना ही तथ्य-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हीन, निराशाजनक और समाज विरोधी है तो कुछ गलत नहीं होगा। आप देखिये और बताया भी गया है कि पूरे देश में जो प्रति व्यक्ति आमदनी है उसकी बराबरी पर अगर चौथी योजना हमारे प्रदेश में बनायी जाय तो २३, २४ सौ करोड़ रुपये की जरुरत पड़ेगी। इसलिये मैंने कहा कि यह तथ्यहीन है। निराशाजनक इसलिये है कि चीफ मिनिस्टर ने इस पर सफाई देते हुए क्या बताया? कोई रूप ही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम सोये हुए थे, सोते सोते सपना देखा कि हमारी चौथी प्लान १४ सौ करोड़ रुपये की होनी चाहिये। जब जागे तो महसूस किया कि ठीक नहीं बना। यह तो एक हजार २५ करोड़ का होना चाहिये। केन्द्र ने कहा कि ४३० करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो ८४० करोड़ का बना। इसके बाद केन्द्र ने कहा कि ४९५ करोड़ देंगे तो ९२६ करोड़ का प्लान बनाना पड़ा। अब हम आकाश की तरफ ताक रहे हैं और समझते हैं कि ९७० और ९८० करोड़ के बीच में प्लान होगा। पहले १४०० करोड़ का, फिर ८४० करोड़ का, फिर ९२६ करोड़ का और फिर ९७० से ९८० करोड़ के बीच का होगा। इस तरीके से सरकार ४–५ तरीके का प्लान पेश करके योजना पेश करे तो इसके माने हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद घपले में हैं। उन्हें अभी पता नहीं हैं कि वे यहां रहेंगी या दिल्ली में जायंगी। यह समाजवाद के विरुद्ध प्राक्य है। हर एक आदमी को काम और उसके मुताबिक दाम मिलना चाहिये।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८०लाख बेकार थे, तीसरी में १२५ लाख हुए और अब चौथी में १५६ लाख बेकार हैं। हर आदमी को काम के मुताबिक दाम नहीं मिलता। अध्यापक मार खा रहे हैं और राज्य कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो आमदनी बढ़ी है उसका ९० परसेन्ट हिस्सा मुट्ठी भर पूंजीपति के पास जा रहा है और ९० परसेन्ट जनता कराह रही है परेशान हो रही है। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि चतुर्थ योजना का प्रारूप है, उसमें पूर्वी प्रदेश के बारे में देखना है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे हैं वे गाजीपुर गये थे। यह क्या मजाक है? पूरे सूबे की जनता को घपले में डालने वाली बात है। इसके पृष्ठ १० पर लिखा हुआ है कि "संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार चौथी योजना की अवधि में ७४.६४ करोड़ रुपये का परिव्यय अपेक्षित है। अवमूल्यन और कीमतों में वृद्धि के कारण, उन्हीं कार्यक्रमों के लिये वास्तविक परिव्यय और अधिक होगा। बलिया और बस्ती को सम्मिलित करने से कुल आवश्यकता १०५ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। एक हजार करोड़ रुपये की राज्य योजना में इन जिलों के लिये अधिक से अधिक ७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार यदि संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिश कार्यान्वित की जाती है तो ३० करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के पिछड़ेपन और इस क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता से पूरी तरह परिचित है। जनता को कुछ आश्वासन दिये गये हैं और संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये वचन दिया जा चुका है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि राज्य सरकार को केन्द्र की सहायता के अभाव में इस क्षेत्र के लिये अतिरिक्त स्कीमें छोड़ देनी पड़ें।" अब सरकार खुद घपले में है कि इन पूर्वी ६ जिलों का क्या हश्र होगा। ये स्कीमें लागू होंगी या नहीं। हमारा कटु अनुभव है कि गाजीपुर में ८१ मील पक्की सड़कें बनने का सवाल था लेकिन केवल ५ मील बन सकी है। कहा गया कि यहां की आबादी के घनत्व के दबाव को कम करने के लिये यहां उद्योग धन्धे कायम किये जायेंगे। लेकिन एक भी बुनियादी उद्योग यहां कायम नहीं हुआ अध्ययन टीम ने कहा कि गाजीपुर में गंगा पर पुल बनाया जाय। लेकिन नहीं बना सके जब कि आगरा में जमुना पर ३, बनारस में ३ पुल बन चुके हैं और मिर्जापुर में बन रहा है। गाजीपुर का मामला खटाई में पड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छः जिले जिनको अध्ययन टीम के आधार पर रखा गया है उनको कुछ नहीं दिया। सिंचाई और बिजली के बारे में देख लीजिये। बिजली के बारे में कहा गया है "चौथी योजना में ४२४ मेगावाट कृषि भार के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन यूनिटों में बिजली लगाने के लिये १०० करोड़ रुपये की आवश्यकता प्रतीत होगी। इस मांग के ५० प्रतिशत से अधिक की पूर्ति करना असंभव प्रतीत

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

होता है। उद्योगों के विकास में भी वृद्धि हुई है और बढ़े औद्योगिक भारों के लिये कुल ५३३ मेगावाट बिजली देने का बचन दे दिया गया है।" जब ५० प्रतिशत की पूर्ति होगी और टयूववेल नहीं चलेंगे तो कौन सी चौथी योजना हम लोगों के सामने पेश करना चाहते है? इस किस्म का अंधेरे में रखने वाला प्रारूप हम लोगों के सामने न पेश कीजिये। शिक्षा के बारे में जो अनारकी है उसकी बुनियाद यही है कि शिक्षा हमारी विचारहीन हो गयी है। जो लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसको यह पता नहीं कि उसको एम्प्लायमेन्ट मिलेगा या नहीं। वह सोचता है कि पढ़कर निकलन के बाद क्या लक्ष्य होगा। कुछ नहीं होगा।] वह देश के निर्माण में सहायक हो सकता है लेकिन आप भ्रष्ट हो गये हैं। आपने बहराइच का मामला देखा। हरिजन खेत पर झोपड़ी लगाये हुए थे। मंत्री लोगों के रिश्तेदार हैं, झोपड़ी लगाये हुए किसानों को उजाड़ दिया गया। नौकरशाही और पुलिस मिल कर पूरी जनता को तबाह कर रही है। इस प्रारुप में संशोधन होना चाहिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये उसमें समुचित व्यवस्था होनी चाहिये, और नया प्रारुप सारे प्रदेश के लिये आना चाहिये।

श्री गेंदासिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामसुन्दर जी से निवेदन करूंगा कि नियोजन बनाते समय किसी ने सपना नहीं देखा था। जागरुक हो कर सोचा गया था।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह---

मैं यह कह रहा था श्रीमन् कि बहुत सोच समझ कर कहा गया था कि १४ सौ करोड़ से अधिक रुपये का प्लान बनाएं। पिछली तीन प्लानों में उत्तर प्रदेश को एक प्रकार से उसका सही हिस्सा नहीं मिल पाया था, परन्तु जब केन्द्रीय सरकार ने अपनी मजबूरी जाहिर की कि बहुत से बाहर के मुल्कों से कर्जा मिलने की सुविधा क्षीण मालूम होती है और केन्द्रीय सरकार ने कहा कि अपनी प्लान काटो तो फिर समझ बूझकर १ हजार करोड़ की बात हुई। एक हजार करोड़ जिस वक्त २२८ करोड़ कुछ लाख का आयोजन था वह ९२६ करोड़ होने के बाद भी २३३ करोड़ कुछ लाख का हुआ। इसलिये वस्तुस्थिति की तरफ ध्यान है और इस बात को सोचा जा रहा है कि जिस तरह से भी हो निचले श्रेणी के लोगों की जितनी मदद की जा सके उनकी मदद की जाए। मैं दो तीन बातों की तरफ माननीय मित्रों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। भाई काशीनाथ जी इस वक्त नहीं हैं माइनर इरीगेशन पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५७ करोड़ रुपये का खर्चा हुआ था। माइनर इरीगेशन के लिये यह कहना पड़ेगा कि उससे मध्यम वर्गीय और छोटे किसान का लाभ बहुत हुआ, वह उससे टयूव वेल्स लगवाये, पम्पिंग सेट लगवायें अथवा पक्के कुवें बनवाये या रहट लगवायें। श्रीमन् १२२ करोड़ रुपये का आयोजन इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में है, उसमें किसी के लिये रुकावट नहीं है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा और इससे एक आशा की जाती है कि इससे एक काफी बड़े क्षेत्र को पानी दिया जा सकेगा। इसके अलावा मेजर और मीडियम ईर्रीगेशन का जो प्रोग्राम है वह अलग है। श्रीमन्, श्री राम सुन्दर जी से तो इतना ही कहना था कि हमारी भी मजबूरी है। इस प्लान को तो बहुत बड़ा किया जा सकता है, जिससे सभी लोगों का कुछ लाभ हो सके, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार देने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार से भी जो हमें मिलता है वह भी कोई मुफ्त में तो मिलता नहीं है, उसका हमें कर्जा चुकाना पड़ता है और कर्जा चुकाने के लिये टैक्सेशल करना पड़ता है। इसलिये हमें अपने साधनों को देखते हुए ही आगे काम करना पड़ता है। श्रीमन्, नेता विरोधी दल भी इस समय नहीं हैं मैं उनसे यह उम्मीद जरूर करता था कि इस प्लान पर

उनसे और अधिक रोशनी मिलेगी, पर बहुत मुझे तो निराशा हुई उनसे। असल में शायद उनको फुरसत नहीं मिली इस वक्त बैठकर प्लान पढ़ने की और उस पर विचार करने की। इसके अतिरिक्त हर चीज का कुछ आइडियालाजिकल बेस भी होता है, वह भी उन्हें ऐसी बातें कहने को मजबूर करता है। उन्होंने कहा बड़े प्लान नहीं होने चाहिये, बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। श्रीमन्, बड़ा प्लान न हो तो इस प्रदेश में और देश में गरीबी की जड़े जमी रहेगीं। वे ऐसा यदि उस कुर्सी पर बैठकर कहेंगे तो उसका बड़ा असर होगा, क्योंकि उनके कहने की बड़ी हैसियत है। दूसरे लोग भी उनको सुनेंगे और यदि भारत सरकार उनकी बात को माने तो उत्तर प्रदेश की सरकार का काम बहुत मुश्किल हो जायगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार तो रोज केन्द्र से झगड़ा करती है कि हमारा बड़ा प्लान किया जाय और हमको बड़े-बड़े उद्योग दिए जाएं और असलियत भी यही है कि सारे झगड़ों के बाद भी हमें बड़े उद्योगों का हिस्सा नहीं मिल पाया है। इस लिए मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि वे कम से कम इन बड़े उद्योगों का विरोध न करें। गांधी जी भी बड़े उद्योगों का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वह चलाना ही नहीं चाहिए। वे तो यह कहते थे कि बड़े और छोटे उद्योग मिलकर काम करें और बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के सहायक के रूप में काम करें। तो हम इसलिए बड़े कारखानों के लिए यत्न करें कि बड़े कारखाने लगाए जाएं।

मैं अन्न की कमी की तरफ खास कर इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल और स्वतन्त्र पार्टी यह दोनों जमीन को इकट्ठा करके खेती करने के विरोधी हैं। हम भी किसी की जमीन नहीं इकट्ठा करना चाहते। उसको इकट्ठा करने में और आज उपज कराने में दिक्कत होगी। अगर शामिल होने वाले लोग खुद से शामिल हो कर बड़ी खती बनायेंगे तो सरकार उसमें मदद करेगी। तो जब छोटे टुकड़ों की खेती रहे तो फिर कच्चे कुएं का विरोध क्यों? लेकिन वैसे तो छोटे टुकड़ों की खेती रहे उस अनाज की समस्या हल नहीं होगी। बड़े काश्तकार जितनी मुल्क की सेवा कर सकते हैं उतने छोटे किसान नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ हाथ है, उसकी हाथ की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। वैज्ञानिक सुविधाओं को किसान तक पहुंचाना पड़ेगा। सबसे पहला काम यह है कि जमीन के नीचे जो पानी है वह उनके खेतों तक पहुंचाया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

कच्चे कुएं साल भर बाद बेकार हो जायेंगे।

श्री गेंदासिंह—

जी नहीं, कच्चे कुएं बीस-बीस साल तक चलते हैं। लेकिन राधेश्याम जी जो मेरे साथ अपने जिले गांव में घूमने से घबराते हैं वह क्या जानें कि कच्चे कुएं से कितना लाभ है। खैर कच्चे कुएं, पक्के कुएं, माइनर पम्पिंग सेट्स, ट्यूबवेल्स और रहट आदि चीजों से सारे प्रदेश को सैचुरेट करना चाहिए। बड़ी सिंचाई की योजनाओं से छोटे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। खेती से ताल्लुक रखने वाले माननीय सदस्यों को मालूम होगा। फिर उस हालत में हमारा फर्ज हो जाता है कि हम छोटी सिंचाई योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें और अपने अनाज की उपज को बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सवाल पानी का है। अगर वह दे सके वह हाई ईल्डिंग वेराइटी से, केमिकल फर्टिलाइजर या दूसरे फर्टिलाइजर्स देकर छोटे किसानों को ऊपर उठा सकते हैं।

नेता विरोधी दल ने कहा कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि इसके लिए तो हमारे अपने वकील भाइयों को सोचना पड़ेगा कि कहीं वे तो नहीं न्याय को महंगा बना रहे हैं।

यह सही है कि हमारी राष्ट्रीय आय सारे देश की जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की नहीं बढ़ी है और इसमें भी मैं मानता हूं कि गांव में जो बसता है उसकी नहीं बढ़ी

[श्री गेंदासिंह]

है। गांव में बसने वालों को अगर उठाना है तो मैं समझता हूं कि अगर खेती की उपज न बढ़ सकी तो कोई तरीका नहीं है कि उनको उठाया जा सके। जो लड़के आज पढ़ रहे हैं, वे जिस दिन से पढ़ना आरम्भ करते हैं उसी दिन से यह सोच लेते हैं कि वे खेती छोड़कर और कामों में जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस धारा को बदलने की जरूरत है क्योंकि इसके अलावा और कोई कारखाना नहीं है जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। अगर कोई तरीका है तो वह यही है कि पढ़े लिखे आदमी खेती में लगें और श्रीमन्, ऐसे तरीके हमारे हाथ में हैं। १२ मन प्रति एकड़ एक फसल में काटते हैं और ५० मन तक एक फसल में काट सकते हैं। अजीब बात है कि एक तरफ भयानक सूखा है और सूखे से बरबादी हमारे सूबे में हो रही है लेकिन उसी सूखे के इलाके में अगर किसी ने पानी की व्यवस्था कर ली तो उन्होंने ५० मन प्रति एकड़ तक एक फसल में काट लेने की आशा की है। लेकिन वह रकबा इतना कम है जो बहुत ही कम असर सारे सूबे में अपनी पैदावार का डाल सकता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जहां पर इन्तजाम नहीं हुआ है उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है?

श्री गेंदासिंह—

चन्द्रबली सिंह जी खूबसूरत होते हुए भी कभी-कभी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि वह बदसूरत लगने लगते हैं। जाहिर बात है कि सूखे से कठिनाई पैदा हुई लेकिन थोड़े ही रकबे में ऐसा काम हुआ है। अच्छा यह है कि जिनकी वकालत चन्द्रबली सिंह जी करते हैं उन सब को उससे फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह २ करोड़ रुपया आज कच्चे कुओं के लिए निकाला गया है। यह बेरोजगारी का इतना बड़ा सवाल है कि इसमें एक आदमी को गौर से सोचना चाहिए। हमारी बेरोजगारी का बैक लाग पिछली योजनाओं से चला आ रहा है और आगे भी वह बढ़ जायगा। तो इस प्रश्न को गम्भीरता से सोचना है और इसका हल निकालने का प्रयत्न करना है। यह बड़ा प्रश्न है कि किस प्रकार उनको काम दिया जाय। मेरी एक अपील है और बहुत नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि हम यह सोचकर चलें कि स्कूल जाने वाले लड़के हैं उनको गोबर उठवाकर स्कूल भेजें क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी जमीन पर जाना है और अपनी गाय बैल के पास जाना है। जिनके पास जमीन नहीं है या थोड़ी जमीन है वह एक नेशनल प्राबलेम है। मैं समझता हूं कि रामसुन्दर जी शास्त्री को यह बात सोचनी पड़ेगी कि जिनके पास जमीन नहीं है, एक एकड़ है या दो एकड़ है उनको किस तरह से दूसरे साधन दिए जायं जिससे वह गुजारा कर सकें। सब को जमीन नहीं दी जा सकती है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज सूबे में भूमि की तादाद क्या उतनी है जो सबको दी जा सके? पूरी जमीन पहाड़, नदी और मैदान में ७ करोड़ एकड़ के लगभग है। अगर उस ७ करोड़ को बांट दें तो यह देखना पड़ेगा कि नदी किस तरह से बांटें। आपको जंगल भी रखने पड़ेंगे, पहाड़ हैं। तो हमारे २७–२८ लाख एकड़ में खेती हो सकती है। इस जमीन को बांटें एक-एक हिस्से में तब भी आधा एकड़ हर आदमी को पड़ता है। फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसी आबादी को दूसरे कामों में लगाकर दूसरी तरफ ले जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा काम खेती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

५ आदमी के हिसाब से कितने परिवार हुए। डाक्टरों और वकीलों की जमीन छीन लीजिए और उनको दे दीजिए, लेकिन आपकी नीयत नहीं है।

श्री गेंदासिंह—

यह तो इस प्लानिंग की बहस में है नहीं। इसको बड़े समर्थवान कर सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि इस वक्त जो हमारे पास साधन हैं उनसे कैसे हम आगे की कमी को पूरा कर सकेंगे और अगर हम नए कामों में रोजगार नहीं दे सकते तो जो सबसे ताकत बड़ी है हमारे

पास---श्रम, वह बेकार जायगी और हम सब नाकामयाब होंगे। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि आज जो सारी जन संख्या है अगर उसको खेती की ओर नहीं ले जाया जायगा तो इस देश की खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है। चाहे कितना ही हम पढ़ावें लेकिन लड़कों को पढ़ाने के बाद गाय और बैल के पास जाने के लिए प्रेरित करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मन्त्री जी ने आदेश जारी किया है कि प्रान्त के अन्दर जितने पम्पिंग सेट्स दिए जायं वह कोआपरेटिव फेडरेशन यानी डी० सी० डी० एफ० के मातहत दिए जायं और सरकार ५० परसेन्ट और साढ़े सैंतीस परसेन्ट छूट किसानों को देगी। आपका कहना यह है कि आपने प्राइस कन्ट्रोल उसका किया है और फिक्सेशन कम्पनी के साथ मिलकर किया है। कम्पनी वालों ने जितने भी पम्पिंग सेट्स बनाने वाले हैं हर जिले के अन्दर उनके अपने-अपने एजेन्ट्स मौजूद हैं। उन्हीं से आपने पम्पिंग सेट्स खरीदना स्वीकार किया है। इस आदेश से पहले जो पम्पिंग सेट्स २,४०० के बिक रहे थे अब उनका दाम ३२-३३ सौ हो गया है। किसानों को छूट दी जाय तो १८-१९ सौ में पड़ेगा, लेकिन अगर किसान डायरेक्टली बाजार से खरीदें तो उसे ज्यादा बचत होगी, क्योंकि उसे ३२-३३ सौ के बजाय २,४०० का मिलेगा और उस पर छूट मिलेगी। गवर्नमेंट ने जो डी० सी० डी० एफ० वालों के थ्रू खरीदने को कहा है वहां से सस्ता नहीं मिलेगा। तो क्या सरकार इन आदेशों को वापस लेने की कृपा करेगी?

श्री गेंदासिंह---

मैं समझता हूं कि बहुत उपयोगी बात माननीय मायर साहब ने कही इस पर मिलकर बात कर लें तो अच्छा होगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर बहस हो रही है। जहां तक योजना बनाने का सवाल है, सचमुच जो पिछड़े हुए हैं उनको ध्यान में रखकर और यह बनायी गयी होती तो माननीय मुख्य मन्त्री जी केन्द्र में जाकर प्रार्थना और अर्जी नहीं देतीं बल्कि हिन्दुस्तान की पूरी पंचवर्षीय योजना की दिशा बदल देतीं। लेकिन वह जाकर भीख मांगती हैं और हम उनसे भीख मांगते हैं पूर्वी जिलों के नाम पर। नतीजा यह होता है कि मिश्रा जी हरदोई जिले के नाम पर चौंक जाते हैं। सचमुच, चौंकना सही है, क्योंकि कोई एक जिला इस प्रदेश में नहीं पिछड़ा है, पश्चिमी जिले भी और पूर्वी जिले भी, सभी जिलों में इलाके पिछड़े हुए हैं। अगर सारे हिन्दुस्तान के पिछड़ेपन को देखते हुए उसी हिसाब से योजना बनायी गयी होती तो आज स्थिति बहुत सुधरी हुई होती। मैं कहता हूं कि जब तक पिछड़ों को विशेष अवसर के इस हिसाब से योजना नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश रोता रहेगा।

श्रीमन्, आज भारत में ४ तरह की सड़कें हैं---एक सीमेंट की, दूसरी तारकोल की, तीसरी कंकरीट की, चौथी बालू की। इन सभी सड़कों पर योजना व्यय का ४-४ बूंद पानी बराबर-बराबर गिर रहा है, जब सीमेंट की सड़क पर गिरता है तो वह चलता है, तारकोल पर गिरता है तो सड़क चहटा हो जाती है, कंकरीट की सड़क पर गिरता है तो वह सिमसिमा जाती है, और बालू की सड़क पर गिरता है तो उसका तो पता ही नहीं चलता। यह स्थिति है आज योजना की। आपकी पंचवर्षीय योजना की बारिश का पिछड़े हुए इलाकों में पता तक नहीं चलता है। जब तक पिछड़े हुए इलाकों को विशेष अवसर के आधार आप नहीं उठायेंगे, उत्तर प्रदेश उठ नहीं सकेगा। जितने पिछड़े हुए इलाके हैं वहां एक भी सड़क नहीं बनी है। जिस तरह से सावन के अंधे को जेठ में भी हरा ही हरा दीखता है, वैसे इस सरकार को सदैव हरा ही दीखता है। मैं पूछता हूं कि बाढ़ को रोकने के लिए, पानी की निकासी के लिए, आपने क्या योजना बनायी? आज एक करोड़ एकड़ भूमि में बाढ़ आती है, ५० लाख एकड़ भूमि में पानी जमा होता है जिसकी निकासी की कोई योजना सरकार के पास नहीं है।

[श्री चन्द्रबली सिंह]

आज प्रदेश दो रोगों से ग्रसित है—एक सूखा और दूसरा जलोदर। जब तक आप इन दोनों रोगों से कृषि को नहीं बचायेंगे आप जनता को भर पेट अनाज नहीं दे पायेंगे। आपकी तो नीति वही है कि पैदा हुआ बच्चा मर-मर जाय, भ्रूणके लिए ओझाई हो। माननीय कृषि मन्त्री और माननीया मुख्य मन्त्री, यह अच्छी बात है कि दोनों ही बाढ़ के इलाकों से चुन कर आए हैं। उनका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिए तथा जो पानी जमा हो जाता है उसकी निकासी के लिए आपको एक सुदृढ़ योजना बनानी होगी। जो भी आपकी नदियां हैं, इनको आप बांधिए, इनसे बिजली पैदा कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तभी प्रदेश में खुशहाली आएगी।

श्रीमन, वह सरकार भूमि उनको नहीं देती जो खेतों को जोतते हैं। उत्तर प्रदेश में जो खेत जोतने वाले लोग हैं, जब तक सरकार भूमि उनको नहीं देगी, तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी। आप बड़े-बड़े लोगों के स्वार्थों की रक्षा के लिए खेती की योजना बनाते हैं। जो भी बड़े-बड़े काश्तकार हैं वह तो सिंचाई के साधन एकत्र कर पा रहे हैं आप कहते हैं कि छोटे किसानों से पैदावार नहीं होती है। मैं कहता हूं कि उसी के खेत में पैदावार होती है। उसी का नतीजा है कि जो पैदावार है वह आपको दिखाई दे रही है। जो अपने हाथों से खेती करते हैं उनकी खेती बढ़ जाती है, जो दूसरे हाथों से करायेंगे उन की निश्चित घट जाएगी। जो छोटे व्यक्ति हैं उनके यहां १५–२०–२५ मन तक पैदावार होती है। आप अच्छे खाद और अच्छे बीज का बहाना देकर बड़े काश्तकारों को फायदा देते जा रहे हैं। इसके अलावा जो पचास साठ मन पैदावार की गई है वह निश्चित तौर पर एकाध खेत में की गई है। उन्हें सारे खेतों में करने को कहा जाय तो उनकी हिम्मत नहीं है। आप सबसे पहले इस बात को खत्म कीजिए। आप तीन चार एकड़ के किसान को पक्के कुएं मुफ्त में देने की व्यवस्था कीजिए। पिछले पन्द्रह वर्षों में आपने बड़े काश्तकारों को मुफ्त में इतना रुपया दिया है कि सरकारी पैसे से उन्होंने अपनी खेती सुधार ली है। जो विकसित हैं उनके विकास के लिए पैसा देना बन्द कीजिए। लखनऊ में नलकूप लगाने के लिए आप पैसा देना बन्द कीजिए। जो देवरिया और अन्य जिलों में पिछड़ा इलाका है, बाढ़ग्रस्त है उन की भावनाओं को समझिए तभी केन्द्रीय सरकार से आप पैसा पा सकते हैं। जब आप पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि पैसा दीजिए तो महाराष्ट्र का पिछड़ा इलाका समझता है कि ये हमारा पैसा लिए जा रहे हैं। जब हम पूर्वी जिलों का नाम लेते हैं तो माननीय मिश्र जी हरदोई नाराज हो जाते हैं। इस नाराजगी के कारण हैं। पिछड़ा इलाका चाहे वह हरदोई, देवरिया, आजमगढ़ या मेरठ का हो सभी पिछड़े हैं जिनका पिछड़ा इलाका है आज भी पिछड़ा है। उसके लिए आपकी योजना नहीं है। आपकी योजना देवरिया के विकसित इलाके के लिए, लाहाबाद के विकसित इलाके के लिए है परन्तु आपकी योजना दिल्ली, लखनऊ, और महाराष्ट्र के पिछड़े इलाके के लिए नहीं है। योजना की दिशा को बदलिए। आपकी योजना तो है ही नहीं सही माने में। जब माननीय गेंदासिंह जी सोशलिस्ट पार्टी में थे तो उस का गाना गाया जाता था कि "योजना की गोजना गोजाइल बा" सचमुच यह योजना नहीं गोजना है। बच्चों का खिलवाड़ है। इस तरह से योजना सही मानों में नहीं बन पाएगी।

आपने देखा हमारे माध्यमिक स्कूल के मास्टर, प्राइमरी स्कूल के मास्टर, पंचायत सेक्रेटरी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपकी दिशा ऊपर को है वह है विकसित को विकसित करना। आप तो बड़े अफसरों को ऐशो-ईशरत के लिए मंहगाई देते हैं। उनको गेहूं चना, मटर और मामूली कपड़े के लिए नहीं देते हैं। पंचवर्षीय योजना को चलना है निश्चित तौर पर, पैसा भी आपके पास मिल सकता है लेकिन वह कदम जो सही है उठाने की तो हिम्मत आप में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों को अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लेते आपको जो पयों का टोटा पड़ा हुआ है वह रुपया आ सकता था। आप रोना रोयेंगे लेकिन आप में कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। केन्द्रीय सरकार को कहिए कि हमसे प्रधान मन्त्री ले ले। क्यों उत्तर प्रदेश को लगातार प्रधान मन्त्री दे रहे हैं और उसके बदले में हमें आप खाए जा रहे हैं। प्रधान मन्त्री को हटाइए और पिछड़ों के लिए पैसा लीजिए। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि योजना की दिशा को बदलिए।

आपकी योजना की दिशा विकसित इलाकों की ही तरफ है गरीब और पिछड़े इलाकों की तरफ नहीं है। इसको दूसरा रूप दीजिए। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। यह योजना नहीं गोजना है।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी---

अधिष्ठाता जी, मैं बड़े ध्यान से विरोधी दल के नेता साहब के भाषण को सुन रही थी और दूसरों को भी सुन रही थी। मुझे मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता और कुछ विरोधी लोग खुद फ्रस्ट्रेशन से सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्लान का ड्राफ्ट पढ़ने से मालूम होता है कि वह फस्टरेशन का प्लान है क्योंकि सब चीज में उन्हें निराशा ही निराशा दिखलाई पड़ी। एक बात मैं अर्ज कर देना चाहती हूं कि यह जो ड्राफ्ट बनता है वह दो मतलब से बनता है। ऐसे मुझे स चीज को हाउस के सामने नहीं कहना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा सलिए कहना पड़ता है। एक तो हमें आप लोगों के सामने रखना पड़ता है और एक दिल्ली के सामने रखना पड़ता है। अगर दिल्ली वालों के सामने हम अपनी जरूरतों को बढ़ा कर न रखें तो जो आज हमें मिलता है उससे और भी कम मिलेगा। तो दिल्ली वालों के सामने और कमीशन के सामने हम अपना प्लान रखते हैं तो हमें बतलाना पड़ता है कि हमारी इतनी ज्यादा मांग है और उनके लिए हम इतना रुपया मिलना चाहिए। सब जानते हैं कि रिसोर्सेज का अभाव है और सभी स्टेट्स केन्द्र से मांग करते हैं कि हमारी मांग सबसे ज्यादा है और अपनी-अपनी वकालत करके वे रुपया ले जाते हैं। इसलिए मैं उनको एश्योर करती हूं कि इसमें फ्रस्टरेशन की कोई बात नहीं है, और यह फ्रस्टरेशन का प्लान नहीं है। यह बात सही है कि जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हुई है। हम प्रगति के पथ पर अभी बहुत जा सकते हैं।

दूसरी शिकायत यह की गयी कि प्लान का जो एलोकेशन है, वह आप खर्च नहीं कर पाते हैं यानी पूरे पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप नाकारा हैं, आपस में झगड़ते हैं, इसलिए दिल्ली से भी आपको कुछ नहीं मिलता है। और जो कुछ भी मिलता है उसे हम खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इस विषय में मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूं उससे स्थिति साफ हो जायगी कि प्लान में आउट ले क्या था और हमारा ऐचिवमेंट क्या रहा। तीसरी प्लान में एग्रीकल्चर के लिए ८५.८२ करोड़ का आउट ले था और हमने टोटल खर्च किया १०६.२२ करोड़ और इस तरह से ऐचिवमेंट का परसेन्टेज रहा १२३.७ परसेन्ट। इर्रीगेशन में १६५.०७ करोड़ रुपए का आउट ले था और हमने खर्च किया २२०.२२ करोड़ और इस तरह से परसेन्टेज ऐचिवमेंट का १३३.४ रहा। इंडस्ट्रीज व माइनिंग में २०.१७ करोड़ का आउट ले था और ऐक्चुअली हमने खर्च किया २१.९३ करोड़ और इस तरह से ऐचिवमेंट हुआ १०८.७ परसेन्ट। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में ऐचिवमेंट रहा १५७.२२ परसेन्ट। हां कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर में हमारा ऐचिवमेंट टार्गेट से कम रहा, मिसलेनियस में भी कुछ कम रहा। लेकिन जितना रुपया हमने खर्च नहीं किया उसको दूसरे मुहकमे को डाइवर्ट कर दिया। अगर हमें और रुपया मिलता तो बहुत तेजी से काम होता। लेकिन हम अपने मन में कृषि और पावर को प्रायरिटी देते रहे। पावर के लिए हमने प्लान में ५०२.२५ करोड़ का टार्गेट रखा था लेकिन हमने खर्च किया ५६१.४७ करोड़। और इस तरह से ऐचिवमेंट १११.७ परसेन्ट रहा। इस तरह से इसमें फ्रस्ट्रेशन या नान यूटिलाइजेशन की कोई बात नहीं है। अगर हमें कहीं से और पैसा मिलता तो उसको भी हम खर्च कर देते।

एजूकेशन की मिसाल लीजिए। उसके लिए टार्गेट था ६२.११ और ऐचिवमेंट हुआ ६७.८३। टेक्निकल एजूकेशन में जहां हम पिछड़े हुए माने जाते हैं, उसमें फर्स्ट प्लान में इनटेक डिग्री कोर्स में था ५६१ और डिप्लोमा कोर्स में १,०००, सेकंड प्लान में डिग्री कोर्स का इनटेक था ६९० और डिप्लोमा का था २,७०० जो तीसरी योजना में हो गया डिग्री कोर्स का १५१० और डिप्लोमा का ४५३०। और हर साल केन्द्र ने कहा कि अब आपके यहां यह शिक्षा सेचुरेशन पर पहुंच गयी है फिर भी ८०० में से ५०० सीट हमें मिली हैं। यह बहुत बड़ी बात है। हम टैक्नीकल एजूकेशन में बहुत पिछड़े हुए थे, अब हम आगे आये हैं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि हमने प्रगति नहीं की है, बातें ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बातें हैं। यह बात ठीक है कि हम पिछड़े हुए हैं लेकिन काम भी बहुत हुआ है। लेकिन वह काम सब जगह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह बिखरा हुआ होता है। जब मास स्केल पर होता है तो दिखाई देता है।

जहां तक इनकम का सवाल है ५०–५१ में हमारी इनकम १५१८ करोड़ थी जो बढ़ कर २०५५ करोड़ हो गयी है। सन् ५० में हमारी इन्सटाल्ड केपेसिटी १३९ मेघावाट थी जो अब ९१० मेघावाट हो गयी है और गांवों में वहां पहले सिर्फ १० गांवों में बिजली लगी थी अब हो गयी ६९३ गांवों में। यह मैं मानती हूं कि यह संख्या कम है लेकिन इस समय प्राथमिकता हम ट्यूबवेल और पंपिंग सेट्स को बिजली देने के लिये दे रहे हैं और मेरा खयाल है यही आप लोग भी राय दें देंगे। उसके बाद जब वहां बिजली पहुंच जायगी और ज्यादा बिजली हो जायगी तो गावों को भी दें देंगे। जहां तक फुड ग्रेन्स की बात है ११६ लाख टन हामरा उत्पादन था जो सूखा के पड़ जाने पर भी १५० लाख टन तक पहुंच गये हैं। आइल सीड्स में ७·६७ लाख टन उत्पादन था। वह बढ़ कर १५ लाख टन हो गया है। और पिछले साल १७ लाख टन हो गया था। गन्ने का उत्पादन २९ लाख टन था जो ५० लाख टन हो गया है। इर्रीगेशन ७३ लाख एकड़ में होती थी जो अब १२७ लाख एकड़ में होती हैं। स्टेट ट्यूबवेल्स २५०० से कम थे जो ८ हजार से ज्यादा हो गये हैं। प्राइमरी स्कूल २८ लाख थे अब ५२ लाख हो गये हैं। मिडिल स्कूल ५ लाख थे अब ६४·६२ लाख हो गये हैं। हाई स्कूल १·६७ लाख थे अब ७·६७ लाख यानी ७ गुने हो गये हैं। इस प्रकार प्रदेश की प्रगति के और भी बहुत से आंकड़े दिये जा सकते हैं। किसी को १० रोटी की जरूरत हो और उसको चार मिल जायं अब १० और चार में अन्तर तो बहुत है लकिन उनको कुछ मिला है। लेकिन हमारे पास कोई जादू तो है नहीं। उसके लिये हमें परिश्रम करना पड़ता है। खाद्यान्न उत्पादन के बारे में कहा गया कि बाहर से हमको गल्ला मंगाना पड़ता है। उसका हमें भी बड़ा दुख है। हम लोग समझते हैं कि जिस शक्ल में हम काम कर रहे हैं उससे हम ऐसी स्थिति में पहुंच जायंगे कि बाहर से हमको कुछ भी मंगाना नहीं पड़ेगा लेकिन इस साल भयंकर सूखा पड़ जाने के कारण हम दुर्दशाग्रस्त हो गये। एक सलाह श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने दी और उसको मैं मानती भी हूं। मैं तो बहुत कुछ उनकी सलाह पर काम करती हूं। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा केपिटलाइज्ड इन्टेसिव प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिये और हम थोड़े पूंजी में अधिक काम हो यह नीति अपनायें ताकि अच्छे रिजल्टस सामने आयें और पैसा कमलगे। इसी को सामने रखकर हम ने इधर ३ साल से माइनर इर्रिगेशन के प्रोग्राम चलाये, बड़े पैमाने पर कुएं और छोटे-छोटे सिंचाई के साधन पंपिंग सेट्स वगैरह का प्रबन्ध किया गया ताकि छोटे-छोटे किसानों को वह उपलब्ध हों और वह अपनी उपज को बढ़ा सकें। जो काम हमारे अभी तक निष्फल कहे जाते हैं उनकी बात के अगेन्स्ट में थोड़े से आंकड़े दे दूं। पहली और दूसरी प्लान में हमने ७२,७५७ कुएं बनाये, सन् ६१ से ६४ तक ८५,२१० बनाये, ६४–६५ में ६०,७०६ बनाये और ६५–६६ में ७४,८०८ कुएं बनाये। मतलब यह है कि पिछले ३ साल में हम ने २ लाख कुएं बनाये और पहली और तीसरी प्लान भर में कुल २ लाख बने थे। पक्के कुएं पहले और दूसरे प्लान में ४० हजार बनाये गये, ६१–६४ तक ४१ हजार, ६४–६५ तक २५ हजार और ६५–६६ में ३८ हजार बनाये गये। पंपिंग सेट्स पहली और दूसरी योजना में २,७००, ६१–६४ तक ७ हजार से ज्यादा, ६४–६५ में ५ हजार से ज्यादा, और पिछले साल सात हजार से ज्यादा दिये गये। प्राइवेट नलकूप पहली और दूसरी योजना में २६००, ६१–६४ तक ६ हजार से ज्यादा, ६४–६५ तक ५ हजार से ज्यादा और पिछले साल दस हजार से ज्यादा बने सिंचाई कार्यों के लिए दर्ज किसानों को दिया गया वह पहली और दूसरी प्लान में २·२६ करोड़ दिया, ६१–६४ तक ७·७३ करोड़ दिया गया, और पिछले दो साल में ४० करोड़ रु० दिया गया। इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रगति नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि काम हुआ है जैसे हमारे साधन होते हैं हम तेजी से आगे चलते हैं जितना हो सकता है काम हो रहा है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि तृतीय योजना के अन्त तक पूर्वी पिछड़े इलाकें में आपका कितना पैसा लगा कितने कुएं कहां-कहां खोदे गये।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं। वह बोल लें बाद में आप पूछ लें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

पिछड़े इलाके में आपका पैसा नहीं पहुंचता इसका उत्तर आप दें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर मैं दूंगी आप घबरायें नहीं। आप इसलिये घबरा रहे हैं कि गलत बातों का सही उत्तर जो मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

चन्द्रबली जी आप बैठें अभी उनकी बात सुन लें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

यही भाषण तो अभी सूखे की बहस में हो चुका है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

यह जो कुओं की बात कर रही हैं वह तो कागज पर हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कहा गया कि प्रदेश में उद्योगों का समुचित विकास नहीं हुआ सही है, जितना होना चाहिये था नहीं हुआ। प्रदेश उद्योगों में बहुत पिछड़ा है और हमें पहली और दूसरी योजना में उद्योगों के लिये बहुत कम पैसा मिला। यह कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिये उसी ओर ध्यान अधिक दिया गया। दूसरी बात यह है कि उद्योगों की उन्नति के लिये जो कुछ बुनियादी चीजें होना चाहिये वह यहां नहीं हैं। कहा गया कि बिहार को और बंगाल को बहुत सी सेन्ट्रलाइज्ड उद्योग दिये गये, बिहार को ७०० और बंगाल को २५० और हम को केवल १२६ ही उद्योग मिले। हम २०० की अब आशा रखते हैं कि इतना मिलेगा। लेकिन इस का कारण मूल यह है कि बिहार में मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं और बंगाल में पहले से स्टैंडिंग स्टील इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। यहां मिनरल वेल्थ न होने से भी हम पीछे उनसे रहे हैं और न पहले से ही यहां बड़ा उद्योग था। अब जब हमने आवाज उठायी है कि उत्तर प्रदेश को नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए तब कई उद्योग हमें केन्द्रीय सरकार से मिले हैं। ९ बड़े प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के लिए मिले हैं। यदि मैं उनके नाम पढ़ कर सुनाऊंगी तो आप फिर नाराज होंगे। फिर यहां पर कहा गया कि उद्योग की प्रगति के बारे में कुछ नहीं हुआ। सेन्ट्रला ज्ड उद्योग का सवाल उठाया लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमारे जैसे प्रान्त में हमें तरक्की लानी है तो छोटे उद्योगों का हमें जाल बिछाना चाहिए लेकिन यह एक साल का काम नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया कि इस ओर भी हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ायें। आप देखेंगे कि इन्डस्ट्रियल जो युनिट्स रजिस्टर हुए वे दूसरी प्लान के अन्त में ३,१०७ थे लेकिन थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्त में ८,५०० युनिटस रजिस्टर्ड हुए। मैं मानती हूं कि यह संख्या ८५०० की जो है वह भी अधिक नहीं है लेकिन जहां पर ३ हजार थे वहां पर ३ हजार के ऊपर ८,५०० और हो गये तो यह कोई छोटी चीज नहीं है। वास्तव में उद्योग में जो दिक्कत हुयी वह रा मैटीरियल न मिलने की वजह से और फारेन एक्सचेन्ज के कारण हुयी। यदि ये दिक्कत हमारे सामने न होती तो मैं उम्मीद करती हूं कि इससे अधिक और २,००० युनिट हमारे प्रदेश में रजिस्टर्ड हो जाते।

इनके अतिरिक्त हमने छोटे छोटे ग्रामीण उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया। मेरी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि हमारी ३ कमिश्नरियों में, हमारे कमिश्नरों ने बहुत दिलचस्पी ली है और उन्होंने कुछ काम किया है। ये ३ कमिश्नरियां, इलाहाबाद, झांसी और लखनऊ हैं। इन तीनों जगहों में काफी प्रगति हुयी है। हमारे इलाहाबाद में ही सोफिस्टिकेटेड ३ या ४ हजार

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पये की पूजी लगा कर, २ हजार के करीब यूनिटस खुल गये हैं जो ट्रान्जिस्टर और मीटरों के पार्टस बनाने लगे हैं। वहां पर केवल शहरों में नहीं गांवों में भी और कमिश्नरियों में भी यह काम हो रहा है।

यहां पर यह कहा गया कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली हैं। जहां तक मेडिकल फैसिलिटी का सम्बन्ध में प्रथम पंच वर्षीय योजना में ४७० लाख रुपया खर्च हुआ है मेडिकल के सम्बन्ध है, सेकंड फाइव ईयर प्लान में ९८३ लाख रुपया खर्च हुआ और थर्ड फाइव ईयर प्लान में लगभग २४०० लाख रुपया खर्च हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस पर भी लगभग डबल के खर्चा हुआ है। यह भी मैं समझती हूं नाकाफी है।

आपने यह भी देखा होगा कि प्रदेश से मलेरिया का उन्मूलन हो गया है। अब स्माल पैक्स और कालेरा के मृत्यु के केसेज में बहुत कमी हो गयी है बावजूद इसके कि हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है। डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए हमने मेडिकल कालेज में डाक्टरों को संख्या बढ़ा दी है और नये मेडिकल कालेज भी खोल दिए है ताकि इनकी कमी दूर हो सके।

यहां पर यह कहा गया कि वह प्लान फ्रस्टेशन की है और वहां पर कुछ काम नहीं होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फूड के लिए हमने ४८.५ लाख रुपये रखे हैं। उसमें कुछ कटौती नहीं हुयी है। पूर्वी जिलों के लिए यहां पर कहा गया कि १५० करोड़ मांगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमने तो केवल १०५ करोड़ ही मांगा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी हमारा साथ दें, हल्ला मचायें, शोर मचायें तो हमको और कुछ जरूर मिल जायगा। यह कहा गया है फर्टिलाइजर का ऐलोकेशन जरूरत के अनुपात में कम है। वह बात सही है। दिल्ली वालों ने कहा कि उत्तर प्रदेश को क्यों दें क्योंकि वह यूटीलाइज नहीं करते। लेकिन पिछले सालों में हमने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है जिससे उनकी दृष्टि बदली है। १९६४-६५ में फर्टीलाइजर ऐलोकेट हुआ २ लाख १६ हजार टन, ऐक्चुअली खर्चा किया ४ लाख ११ हजार टन, यानी पिछला बचा हुआ भी खर्चा किया और जो मिला वह भी खर्चा किया। अब केवल वही बचा है जो आखिरी वक्त आया है और जब फसल बोयेंगे तो उसको काम में लगाया जायगा। इसलिये दिल्ली वाल सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश को देना चाहिये और इसी रियेलाइजेशन के कारण कानपुर म एक फक्ट्री मिल रही है और एक और फर्टीलाइजर फैक्ट्री दूसरे सेक्टर में शायद हमें मिल जायगी जिसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

माननीय चन्दन सिंह ने कहा कि गन्ने का भाव बहुत कम है इसलिये प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने गन्ने का दाम पौने दो रुपया बताया, जब कि ऐक्चुअली भाव २ रु० हो गया है और चाहते हैं कि और बढ़ाया जाय। वह हमने रिकमेन्ड किया है और जोर लगायें, क्योंकि हम जानते हैं कि गन्ने का अधिक दाम न मिला तो प्रोडक्शन घट सकता है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूं कि गन्ने का प्रोडक्शन घटा नहीं है। १९५० में २९ लाख टन था जो अब ५७ लाख टन हो गया।

कहा गया कि पर कैपिटा प्लान हम को नहीं मिला। सही बात है। सेन्टर से प्लान का ऐलोकशन हमारी पापुलेशन के अनुपात पर होना चाहिये। हमारे प्रदेश का पापुलेशन सारे देश का १७ परसेंट है तो इसी हिसाब से प्लान हमको मिलना चाहिये। फर्स्ट और सेकेंड प्लान में केवल ७ परसेंट मिला टोटल ऐलोकशन में। थर्ड प्लान में मैंने काफी झगड़ा किया तब १० परसेंट मिला। इस प्लान में चाहा था कि १७ परसेंट मिले। १४.५ परसेंट हमको मिला है और ९ तारीख को जब बात करेंगे दिल्ली में तो उम्मीद है कि थोड़ा और मिल जायगा जिसके मिलने से १६ परसेंट तक पहुंच जायेगा। इसको सेटिसफैक्टरी नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा कहने से जो हमारा हक है वह नहीं मिलगा। इसलिये आप लोग कहें कि वह अनसेटिसफैक्टरी है। केन्द्र से कोई चीज लेने के लिए हम सब एक हैं क्योंकि हम पिछड़े हुए

प्रदेश के नागरिक हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि प्रगति सब तरफ है, चाहे प्लान ऐलोकेशन हो, यूटिलाइजेशन हो, फिजिकल टार्गेट्स का अचीवमेंट हो, सब में पहले से आगे बढ़े हैं। एक बात और कहना चाहती हूं कि अगर बहुत बड़ा प्लान आप चाहें तो उसके लिये अपनी तरफ से भी पैसे का इन्तजाम करना चाहिये। जितना रुपया हम देते हैं उतना ही सेन्टर देता है। हम ४३१ करोड़ ० इकट्ठा करेंगे और उनसे हमने ज्यादा मांगा। जब हम उनके पास जाकर के अपना कैस रखते हैं तो वे कहते हैं कि रेज मोर रिसोर्सेज। उनके लिये रोज मोर रिसोर्सेज कहना आसान है लेकिन हमारे लिये बहुत मुश्किल है। हमने जितना टैक्स लगाया उसके लिये आप लोग बड़ा विरोध करते हैं। हम तो टैक्स इसलिये लगाते हैं कि बड़ी प्लान बनायी जाय।

श्री उग्रसेन—

जम्मू-कश्मीर की सरकार जमीन से लगान हटाने जा रही है। मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं हटातीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जम्मू-कश्मीर से अपना मुकाबला न करिये। वह एक नाजुक एरिया है, उसके लिये सारा हिन्दुस्तान तकलीफ उठा रहा है। वह बात अलग है। लेकिन अगर हम बड़ी प्लान चाहते हैं तो हमको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिये। तो हमको एक बीच का रास्ता बनाना पड़ता है। किसान की तरफ और दूसरे लोगों की तरफ देखना पड़ता है कि उनके ऊपर अगर बहुत बोझा लाद दिया तो काम नहीं चलेगा। बड़ा रिटर्न लेने के लिये हमें अपने अन्दर शक्ति पैदा करनी चाहिये। शक्ति तो तभी हो जब सारा पैसा युटिलाइज हो। मैंने आपको बता दिया कि थर्ड प्लान में जो एड हमको मिली थी उसका युटिलाइजेशन ११० परसेंट है, ९९ परसेंट नहीं है। जब हमारा इतना युटिलाइजेशन है, जब पहले के मुकाबले में हम ज्यादा फैसिलिटीज पा रहे हैं तो फिर यह फ्रस्ट्रेशन का प्लान नहीं है, यह प्लान आशावादी है और आप सब लोग अगर कदम मिला कर आगे बढ़िये तो आपका प्लान बहुत बढ़िया हो जायगा और प्रदेश का कल्याण होगा।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय गेंदासिंह जी को और माननीया मुख्य मंत्री को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इन दोनों में से किसी ने भी इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को पढ़ा तक नहीं। माननीय गेंदा सिंह अपने मन की बात कह गये। उनके मन में कुछ चीजें थीं जब कि वह इधर बैठते थे लेकिन उन्हें पैरवी उधर जाकर करनी पड़ी। माननीया मुख्य मंत्री को कुछ आंकड़े उनके कर्मचारियों ने दे दिये और उन्होंने सदन में उन्हें पढ़ दिया। इससे ज्यादा मैं समझता हूं दोनों ने उसके प्रारूप को पढ़ा नहीं। अगर वह पढ़ते तो जिस तरह की बातें उन्होंने कहीं, उस तरह की बातें न कह कर कुछ और कहते। मैं उनको अच्छी प्रकार से जानता हूं और उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। इस योजना के प्रारूप के पृष्ठ ७ पर लिखा है:

"वस्तुतः शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई, सड़कों आदि जैसे कुछ सैक्टरों में यह राज्य लक्ष्य के पहले से भी कम काम पर पाएगा।"

इसके आगे लिखा है:

"ग्रामीण स्थानों को ऊंचा दर्जा देने का लक्ष्य अखिल भारतीय लक्ष्य के एक नगण्य प्रतिशत के बराबर होगा।"

उसी के पृष्ठ ९ पर लिखा है:—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"बिजली की कमी के कारण पांचवीं योजना के शुरू के वर्षों मे गम्भीर कठिनाइयां पैदा होने की आशंका है।"

आगे लिखा है :—

"परिणाम यह होगा कि १९७०–७१ में प्राथमिक शिक्षा में छात्रों की स्थिति १९६५–६६ की स्थिति से भी बुरी हो जायगी और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति से पिछड़ जायगा।"

यह सब इस प्रारूप में लिखा हुआ है। फिर भी योजना के निर्माताओं ने इन कठिनाइयों को समझते हुये भी उनके निराकरण की कोशिश नहीं की। वास्तव में अधिष्ठाता महोदय, कारण यह है कि योजना के निर्माताओं का दिमाग जिस तरफ जाता है वह एक मास योजना के लिये ठीक नहीं बैठता, वह एक क्लास योजना के लिये ठीक बैठता है और यह वर्ग है जिसके लिये महलनोबिस कमेटी ने लिखा है कि इन योजनाओं के परिणामस्वरूप विगत वर्षों में जो दौलत इकट्ठी हुई वह हिन्दुस्तान के १२–१४ पूंजीपतियों के घरों में समा गयी। उनका एकाधिकार हुआ और यह वही वर्ग है जिसके हाथ में राजनैतिक सत्ता केंद्रित होती जा रही है। अगर आर्थिक सत्ता कन्द्रित हो जाती है तो फिर जनतंत्र नहीं रह जाता है। योजनाओं के निर्माता जिनसे सांठगांठ करते हैं उनको कांग्रेस के लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनकी भी सांठगांठ है, यह स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिये और मुल्क की प्रगति के लिये योजनाओं की दिशा को बदलना चाहिये। ये योजनायें उस पिछड़े वर्ग के लिये होनी चाहिये, उन पीड़ितों के लिये होनी चाहिये जिनको आज रोटी नहीं मिल पाती है।

अभी माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा कि छोटे उद्योगों में ट्रांजिस्टर बन रहा है। उनका दिमाग उस तरफ नहीं गया, जिसको खाने की जरूरत है। आज उनका दिमाग ट्रांजिस्टर और कार की तरफ जाता है। मुल्क की अन्न की समस्या को हल करने की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता खेती पर लगी हुई है फिर भी हम लोग क्या कारण है कि अमरीका के अन्न पर पलते हैं। हमारी स्वतंत्रता के बाद से हर साल अमरीका से गल्ला मंगाया जाता रहा है। हमने अपने मुल्क को अमरीका के पास गिरवी रख दिया है और हिन्दुस्तान को अमरीका, वाशिंगटन के बाजार में नीलाम कर दिया है। आज कांग्रेसी सरकार अमरीका की बात को नहीं टाल सकती है। अमरीका की छोटी सी बात के, सामने कांग्रेस सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। जब तक अन्न की समस्या हल नहीं की जायगी तब तक हमारा देश दासता से मुक्त नहीं किया जा सकता है। रोटी की समस्या को हल करने के लिये अन्न की आवश्यकता है और अन्न की पैदावार के लिये सिंचाई की आवश्यकता है। इसलिये सिंचाई के साधनों के लिये हमें प्राथमिकता देना चाहिये।

अब यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि प्राथमिकता डैम्स को देनी चाहिये या लघु सिंचाई योजनाओं को देना चाहिये। लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये थी और पक्के कुओं को प्राथमिकता देनी चाहिये। टयूब्वेल्स के लिये तो इतनी बिजली नहीं दी जा सकती है। जितनी बिजली की हमारी खेती के लिये आवश्यकता होगी उसको आधी ही हम दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यहां एक वर्ग है जो बिजली के बांटने में तथा रुपयों को बांटने में भेद रखता है। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि हमें कन्द्र से कितना रुपया मिला है लेकिन मेरा कहना यह है कि जितना रुपया हमें मिला है अगर उसका ठीक प्रयोग करें और आवश्यक मदों में ही रुपया खर्च करें तो २०० करोड़ रुपया उपयोगी मदों में डाल सकते हैं लेकिन हमें अपने दिमाग बदलने की जरूरत है। दूध के लिये यहां पर ८ करोड़ रुपया रखा जाता है, मत्स्य पालन के लिये २ करोड़ रुपया रखा जाता है और मुर्गी पालन के लिये १० करोड़ रुपया रखा जाता है। इस तरह के दिमाग के बदलने की जरूरत है।

[श्री बसन्तसिंह--]

मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह होता है जैसे खाद के गढ़े खोदने की योजना बनाई गई और इतने गढ़े खुद गये कि अगर उनका रकबा लिया जाये तो इतनी जमीन भी नहीं थी जितने कि गढ़े खुद गये। इस तरह के उनके आंकड़े हैं। जितना रकबा है उसका एक तिहाई सिंचित रकबा पड़ता है और उसको कितना पानी दिया जाता है। एक पानी किसी को दे दिया तो उसको दूसरा पानी नहीं मिलता है और फसल खराब हो जाती है। नहरों से जो पानी दिया जाता है तो उसका कमांड एरिया होता है। अगर एक एकड़ को पानी दे दिया जाय और दूसरे को न दिया जाय तो उसे पूरे कमांड एरिया की आबपाशी मान ली जाती है। इससे सिंचाई तो मान ली जाती है लेकिन इससे पैदावार नहीं बढ़ सकती है। इस तरह की चीजें हैं।

दूसरी समस्या है बेरोजगारी की। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जा रही है बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है। उसको किस तरह से हल करें। हमारी तरफ से बड़े उद्योगों का विरोध नहीं किया गया। छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों का सहायक बनना चाहिये। जनसंघ की विचारधारा क्या है माननीय मंत्री को बैठकर सुनना चाहिये। बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को निगलें नहीं उनके सहायक बनें। छोटे उद्योगों में उत्पादन हो इसके लिये बड़े उद्योगों को काम करना चाहिये छोटे उद्योगों को निगलना नहीं चाहिये। एक मिसाल ले लें जो मिलें गन्ना पेलती हैं उनको हर प्रकार की सुविधा मिलती है लेकिन जो कोल्हू उन पर तरह तरह की पाबन्दियां लगायी जाती हैं। छोटे उद्योगों को पनपाने के लिये सरकार को प्रयास करना चाहिये लेकिन सरकार संरक्षण करती है पूंजीपतियों के द्वारा संचालित उद्योगों को। इस मनोवृत्ति को नहीं बदला जायगा तो बेरोजगारी की समस्या नहीं दूर हो सकती। जापान और जर्मनी जो दूसरे महायुद्ध में मर गये, जिनकी भूमि जल गयी आज उन्होंने इतना गल्ला पैदा किया कि जापान हम को चावल दे रहा है और जर्मनी हमको कर्जा दे रहा है। माननीय मुख्य मंत्री कहती हैं कि कोई जादू का डंडा नहीं है। आज कार्यक्षमता की सीमा नहीं है। झूठे आंकड़े पेश करके सदन को गुमराह किया जा सकता है लेकिन कार्यक्षमता की सीमा नहीं है। आज वह मुल्क भी हैं जो चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं जो हमसे बाद में आजाद हुए हैं। उनका लोगों का मुकाबला करें, बजाय इसके कि गुलाम हिन्दुस्तान से आजाद हिन्दुस्तान का मुकाबला करें। उन आजाद मुल्कों से मुकाबला करें कि उन्होंने दस बारह साल में क्या अचीवमेन्ट किये हैं। उन तमाम चीजों को हमारे सामने रखना चाहिये।

मेडिकल के खर्चे के बारे में कहा गया कि हमने उस पर ज्यादा रुपया खर्च किया। देखना यह है कि मेडिकल फैसिलिटी जनता को कितनी मिली। या सारी की सारी दवाइयां डाक्टरों ने बेच दीं तो उससे जनता को क्या लाभ पहुंचा। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारी तरफ से शायद ऐसी बात कही गयी हो। हम छोटी इकाइयों का बड़ा प्लान चाहते हैं तब इस मुल्क की बेकारी दूर हो सकती है, खाद्यान्न की समस्या हल हो सकती है। मैं चाहूंगा कि योजना निर्माता इन बातों को समझें और जो समाज में बेरोजगारी व्याप्त हो गयी है उसको समझ कर योजना निर्माण करें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अपनी माननीय मुख्य मंत्री के बड़े आभारी हैं। उन्होंने द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारी सरकार ने किया है, उसका एक प्रदर्शन संक्षिप्त रूप में दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार उनके भाषण को छपवा कर, हम लोगों को देगी ताकि हम जनता को बतला सकें कि हमारी सरकार ने हमारे लिये क्या किया है। जनता को हमारे लिये जो किया जा रहा है उसकी जानकारी नहीं है। जो लोग विरोधी दल की ओर से बड़े-बड़े भाषण देते हैं और वितंडावाद करते हैं वह छप जाते हैं। परन्तु सरकार जितना जनता के लिये कर रही है उसकी चर्चा कम होती है। चतुर्थ योजना में सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष रूप से याद रखने का वचन है इसके लिये हम सरकार के आभारी हूं, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री

[श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर[—

के आभारी हैं। उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ी जनता की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। उनके खाने के लिये क्या-क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके इम्पलीमेन्टेशन के साधन ज्यादा करना पड़ेंगे। यह इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार और हमारी प्रदेशीय सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि पहाड़ी प्रदेशों पर राज्य विकास का संरक्षण और रक्षा का भार है, इसलिये यह जरुरी है कि पहाड़ी जिलों के उन्नति के लिये विशेष उद्योग करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से सरकार के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि यह जो चतुर्थ योजना केवल संकेत मात्र है, इसके अन्दर जो भी बजट बने, उसमें हमारे पहाड़ी प्रान्तों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान रखा जाय।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहूंगा कि डिगुड्डा रतवाढार, दुर्गादई तक बहुत पुरानी सड़क है, जो सन् ३५ में बनाई गयी थी, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब तक सरकार के द्वारा वह सड़क पक्की नहीं बनाई गयी है। दूसरी सड़क जो हमारे लिये बड़ी जरुरी है वह कोटद्वार से कालागढ तक है। कालागढ़ गढवाल का एक हिस्सा है यह कोशिश की गयी कि कालागढ़ के एक हिस्से को काटकर बिजनोर में मिला दिया जाय, लेकिन हमारी सरकार ने समझदारी से काम लिया और उसने ऐसा नहीं होने दिया, इसके लिये हम सरकार के बड़े आभारी हैं। इसलिये कोटद्वार को कालागढ़ से मिलाना बहुत जरुरी है, इसमें सरकार का भी बहुत ज्यादा रुपया खर्च नहीं होगा क्योंकि उसमें जो रामगंगा की एक बड़ी बाधा थी वह अब दूर हो गयी है क्योंकि रामगंगा पर एक पुल बन गया है।

एक दूसरी सड़क हरद्वार से कोटद्वार, कालागढ़, रामनगर, टनकपुर पहुंचाने की तजवीज है। यह सड़क हमारे देश की रक्षा के लिये बहुत जरुरी सड़क है और इसको भी सरकार को चतुर्थ योजना में पक्का कराना चाहिये। सड़क मौजूद है, और उस पर बस और कारें चल रही हैं। लेकिन उस पर चलने में बरसात में दिक्कत पड़ती है। डेरियाखाल-अदरियाखाड़ बिरीखाड़ सड़क केवल पांच मील बनी है। इस सड़क को चतुर्थ योजना में रिखराणी खालन तक बना दिया जाय। श्रमदान के जरिये जितना हमारे जिले में सड़क निर्माण का कार्य हुआ है उतना और कहीं न नहीं हुआ है। हमारे जिले के लोगों ने ७२ मील लम्बी सड़क श्रमदान से बनाई है जो अब पक्की मोटर रोड हो गई है। मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारी बनाई हुई ७२ मील कच्ची सड़क को सरकार ने पक्का कराने के लिये अपने हाथ में ले लिया है और उसको पक्का बनाया जा रहा है। सतपुली से चौबट तक संतुखाल, नोगाखाल होकर जाती है। और इसमें अब केवल ७ फर्लांग ही पक्का बनना बाकी है। वह पक्की बना दी जाय। और संतुखालसे मांसी होके थली सैंणा जोड़ दिया जाय। यह बड़े फ्रान्टियर महत्व की सड़क है। इस सड़क के बनने से सरकार की ४५ मील की बचत होगी। कोटद्वार से सतपुली संतुधार मूसागली हो के कालीसैंण मिलने पर ४५ मील सड़क की बचत होगी, क्योंकि इससे कर्ण प्रयाग, जोशीमठ का रास्ता ४५ मील कम हो जायगा।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि सब से बड़ा प्रदेश होते हुए भी इसको केन्द्र से सबसे कम सहायता मिल पाती है। उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जो रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया गया वह इस प्रकार है—

		उत्तर प्रदेश में	अन्य राज्यों में
पहली योजना में	..	२४ रुपये प्रति व्यक्ति	४० रुपये प्रति व्यक्ति
दूसरी योजना में	..	३४ ,, ,,	५२ ,, ,,
तीसरी योजना में	..	६८ ,, ,,	९२ ,, ,,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब केन्द्र से जो सहायता मिलती है वह देखिये—

पहली योजना में	..	१४ रुपये प्रति व्यक्ति	२५ रुपये प्रति व्यक्ति
दूसरी योजना में	..	१८ ,,	२७ ,, ,,
तीसरी योजना में	..	४३ ,,	५६ ,, ,,
चौथी योजना में	..	५२.२७ ,,	६० रुपये से ऊपर प्रति व्यक्ति।

कहने का मतलब यह है कि केन्द्र हमको हमारी आबादी के हिसाब से योजनायें चलाने के लिये रुपया नहीं देता और हमारा प्रदेश प्रत्येक साल प्रत्येक योजना में पिछड़ता हुआ चला जाता है ।

इस समय १०५० करोड़ की जो योजना थी वह अब घटकर ९२६ करोड़ रुपये की रह गयी है और उसमें जिन मदों में कटौती की गयी है वह बिजली, बड़े और मध्यम उद्योग हैं। किसी भी राज्य या देश की प्रगति के लिये बिजली, बड़े और मध्यम उद्योगों की नितान्त आवश्यकता है। हमारे राज्य में बिजली और बड़े उद्योगों में कमी होने के कारण यह राज्य पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। पहले जो प्रारुप बनाया गया था उसमें बिजली के लिये ३६ हजार ५ सौ लाख रुपया था उसको अब २५ हजार ९ सौ १६ लाख रुपया कर दिया गया है और इस तरह से ९ हजार ५ सौ ८४ लाख की कमी बिजली की मद में हो गयी। बड़े और छोटे उद्योगों के प्रारुप में ३ हजार ३ सौ २ लाख रुपया था अब वह २ हजार २ सौ लाख की रह गयी है यानी १ हजार ९२ लाख रुपये योजना में कम कर दिये गये हैं और इस तरह से हम इन बातों में पिछड़ते चले जा रहे हैं। जिसमें हम पिछड़े हैं उसी में और पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि बिजली और उद्योगों के मामले में हम जितना पिछड़े हैं उससे और अधिक पिछड़ जायेंगे।

बिजली की खपत प्रति व्यक्ति प्रति घंटे ६३–६४ में २३ किलोवाट थी और नये प्रयोगों में वह ५५ किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति घंटे थी वह अब आगे चल कर चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल ३४ किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति घंटे रह जायगी, अन्य राज्यों में वह ५५ से बढ़कर और ज्यादा हो जायगी। इसका मतलब यह है कि सिंचाई, कृषि और उद्योगों के लिये जितनी बिजली हमको मिलनी चाहिये उतनी बिजली नहीं मिल पायेगी। भारत सरकार ने जो आंकड़े एकड़ किये हैं उसके हिसाब से ७०–७१ में उत्तर प्रदेश में २ हजार ६ सौ ७५ किलोवाट की आवश्यकता है। लेकिन जो हम उत्पादन करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में वह केवल १९ सौ किलोवाट होगी यानी हमारे स्टेट की जो कम से कम आवश्यकता है वह भी हम पूरी नहीं कर पायेंगे। अधिष्ठाता महोदय, इस राज्य में जो बड़े-बड़े उद्योग धंधे पनपाये जा रहे हैं उसके लिये यह सरकार और केन्द्रीय सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है। गोरखपुर में, नैनी में, वाराणसी में, हरिद्वार में बड़े-बड़े उद्योग खुल रहे हैं लेकिन अपने प्रदेश में जो ब्रज का इलाका है यानी आगरा और मेरठ कमिश्नरी है, उसकी उपेक्षा की जा रही है।

श्री वंशीधर पान्डेय—

वह दिल्ली में जायेगा।

श्री बालोजी अग्रवाल—

भेज दीजिये, हम तो मांग करते हैं कि आप प्रदेश का विभाजन करके हमें दिल्ली और हरियाणा में मिला दीजिये जिससे हम अपनी उन्नति कर सकें लेकिन आप मानते कहां हैं। आगरा में हजरतपुर में एक सैनिक खड्डीखाना खोला गया है जिसके लिये तर्क यह दिया गया है कि आगरा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है और यहां पर छोटी लाइन और बड़ी लाइन का जंकशन है इसलिये यहां पर उद्योग खोलने के लिये सब से उपयुक्त स्थान है। खड्डीखाना खोलने के लिये आगरा इसलिये उपयुक्त समझा गया है कि वह मध्य प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर है। और कोई दूसरा उद्योग खोलने के लिये वह स्थान उपयुक्त नहीं है। आज

[श्री बालोजी अग्रवाल]

आगरा में डकैती की समस्या कितनी भयंकर है। यह मांग पहली योजना से उठी हुई है कि चम्बल घाटी विकास योजना को लागू किया जाय और उसके लिये एक आयोग स्थापित किया जाय जिससे उस चम्बल घाटी के पिछले इलाके का विकास हो सके। वहां पर कोई उद्योग नहीं है। वहां पर शिक्षा का प्रचार भी नहीं है। वहां की जनता बहुत गरीब है जिनको डकैत बनने की प्रेरणा मिलती है। उसके उन्नति के लिये एक आयोग स्थापित किया जाय। यह मांग पहली योजना काल से चली आ रही है लेकिन वह आयोग आज तक नहीं बनाया गया है। यही कारण है कि डकैतों की समस्या हल नहीं हो रही है। अन्य प्रकार की योजनाओं पर रुपया खर्च किया जाता है लेकिन जो पुरानी मांग है वह पूरी नहीं की जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आगरा और मेरठ कमिश्नरी के लिये वहां उपयोगिता को देखते हुए बड़े उद्योग स्थापित किये जायं। हम हजरतपुर का खड्डी खाना नहीं चाहते हैं। हम तो उद्योग चाहते हैं। हम तो इस चौथी योजना के प्रारूप में यह चाहते हैं कि चम्बल घाटी विकास योजना को लागू करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय जिससे वहां की डकैती की समस्या हल हो सके। ऐसी योजना बनाई जाय जिससे वहां पर उद्योग धन्धे स्थापित हो सके। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तो वहां पर जो भयंकर डकैतों की समस्या बनी हुई है, वह हल नहीं हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

*श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, चौथी पचवर्षीय योजना के प्रारूप पर अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर आज मिला है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी और आशा बंधी थी जब पटेल आयोग हमारे यहां आया था। हम समझते थे कि जल्दी से काम होगा लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वह योजना बनी और उसको समाप्त कर दिया गया। इस बात को प्रारूप में स्वीकार किया गया है। जो योजना बनी थी उसमें तीसरी योजना के अन्त में २ वर्षों में वह काम होने वाला था लेकिन वह नहीं हो सका है। इसको स्वीकार किया गया है। हमारा पूर्वी अंचल पिछड़ा हुआ है। उसके लिये जो योजना बनी उसको कार्यान्वित नहीं किया गया यह हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि जितनी योजना बनी थी इस प्रारुप के पेज १० पर लिखा है कि ७५ करोड़ अपया व्यय करने का निर्णय था लेकिन इसमें स्वीकार किया है कि ३० करोड़ रुपया देने की जो आशा थी वह नहीं दे सके। आप देखें कि पूर्वी जिलों की जो स्थिति है वह बहुत शोचनीय है। उनमें कितनी दरिद्रता है और जो हालत है उसको हमारे मंत्री महोदय सभी जानते हैं कि वहां के लोगों की क्या हालत है। इस समय जो अकाल पड़ गया था उसकी स्थिति क्या हुई? सिंचाई के साधन नाम-मात्र के हैं, हाहाकार मचा हुआ है। उसके लिये जो कुछ करना चाहते थे वह नहीं कर सके हैं। टयूबवेल के संबंध में कुछ अधिकारी आजमगढ़ में आये थे उन्होंने देखभाल भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, सारी योजनाएं ठप हैं। सड़कों के संबंध में प्रारुप में स्पष्टतया इस बात को स्वीकार किया गया है कि जितना करना चाहिये था मजबूरी के कारण वह नहीं कर सके।

(लाल बत्ती होने पर)

मिश्रा जी को अवसर दे दीजिये, वह बड़े उतावले हो रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

चकबन्दी का जिक्र आया है, आप जितनी जल्दी सूबे में चकबन्दी पूरी करा सकें उतना ही अच्छा होगा। विकास मंत्री बैठे हैं, जन शक्ति उद्योग योजना के अन्दर बहुत सी सड़कें हो गयी हैं और काम हो रहा है, लेकिन इस ओर प्रगति नहीं हो रही है। इस संबंध में पूर्वी जिलों की ओर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय नियोजन मंत्री बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे सरल और सब की बात मानने वाले राममूर्ति साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि ५ साल का आप फैसला करने जा रहे हैं। ९२६ करोड़ रुपये का आपका प्लान है और माननीय पं० वंशीधर पान्डेय के जिले में ३९२ ट्यूववेल इस वक्त हैं और ५०० ट्यूववेल्स और बनने जा रहे हैं, इस तरह से ८९२ ट्यूववेल्स पूरब के नाम पर पटेल कमीशन राममूर्ति कमीशन, सुचेता कृपालानी कमीशन और जितने कमीशन हो सकें उनसे सारी दौलत उस इलाके को बिलकुल मजबूती से ट्रांसफर होती जा रही है तो 'पिछड़ा शब्द इस प्रदेश में हमारे ऐसे पिछड़े जिले के लिये इतना घातक साबित हो रहा है कि हम सख्त शिकायत इस आखरी भाषण में कर रहे हैं। यह आखरी समय और आखरी साल है। हरदोई जिले को तीसरे प्लान मे १० ट्यूववेल्स मिले थे, उनमें ४ बोर किये पड़े हैं। मेहरबानी करके उनको चलवा दीजिये। ६ जो और हैं उनको बनवाकर कम्पलीट करा दीजिये और ज्यादा न दे सकें तो १५–१५, २०–२० ट्यूववेल्स तो हर साल हरदोई जिले को दे दीजिये इस एक जिले को। प्राइवेट ट्यूववेल्स और माइनर इरिगेशन में बिजली के बिना जो कुएं खड़े हैं उनमें बिजली दिला दीजिये, नहर तो बढ़ नहीं सकती। जो हथौड़ा ड्रेन का मंजूर रुपया पिछली पांच साल से चल रही है उसको १५ लाख रुपया हर सानी करके दे दीजिये और संडीला—मंहदीघाट सड़क का पैसा दे दीजिये। सिंचाई, बिजली और सड़क यही किसान चाहता है। अगर पूरब के जिलों को ७० करोड़ और १०४ करोड़ दें तो हमको भी उसी तरह रकम मिलना चाहिये, एक दो करोड़ में हमें निपटा दें यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। इससे आगे नियोजन मंत्री से किस तरह से दरख्वास्त करूं? हम कहते हैं कि हरदोई जिला पूरब और पश्चिम की चक्की में फंसकर बिलकुल चकनाचूर हो गया है। कोई देखने वाला नहीं है। क्यों नहीं हमारी बात श्रीमन्, अध्यक्ष सुनते हैं, क्यों नहीं अधिष्ठाता सुनते हैं, क्यों नहीं मंत्री सुनते हैं, क्यों नहीं सरकारी अधिकारी सुनते हैं, क्यों नहीं विधान सभा के सम्मानित सदस्य सुनते हैं, सख्ती से सुनायेंगे और बताइये हम क्या करें। हमारे यहां केवल ९ फीसदी सिंचाई के साधन हैं, सरकारी हिसाब से १२ फीसदी है। फिर भी इस ४थी योजना में हरदोई जिले को करीब करीब बिलकुल छोड़ा जा रहा है। आप मंत्री जी से सिफारिश करके हरदोई जिला भी उसमें जुड़वा दें हरदोई की जनता आपका बड़ा अहसान मानेगी। और अगर माननीय राममूर्ति जी यह कृपा कर दें तो यकीन जानिये ५० हजार वोटों से वे जीत कर आयेंगे। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्रीपति सहाय

सहायक सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;

६ दिसम्बर, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३—४, ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९४ पर)

संलग्न सूचना

ट्यूबवेल डिवीजन, मुरादाबाद से निम्नलिखित ट्यूबवेल आपरेटरों का स्थानान्तरण उनके सामने अंकित जिलों में किया गया—

१—श्री शिव सिंह	नलकूप खण्ड गाजीपुर, जिला गाजीपुर।
२—श्री अख्तर अली	नलकूप खण्ड, देवरिया, जिला देवरिया।
३—श्री ओम प्रकाश	नलकूप खण्ड, गोरखपुर, जिला गोरखपुर।
४—श्री राम प्रकाश माहेश्वरी	नलकूप खण्ड, जौनपुर, जिला जौनपुर।
५—श्री वसी रसूल	नलकूप खण्ड, गाजीपुर, जिला गाजीपुर।
६—श्री झांजन लाल	नलकूप खण्ड, बस्ती, जिला बस्ती।
७—श्री अशफाक अहमद	नलकूप खण्ड, गोरखपुर, जिला गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९५ पर)

नलकूप खण्ड, मुरादाबाद

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए खरीदे गए सामान का मूल्य
१	२	३
१	मेसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग, मुरादाबाद	१५,९९६.०५
२	,, नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	३,८२५.२१
३	,, जोसिफ इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	८४२.९५
४	,, यूनाइट इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	४,२९५.०३
५	,, नूर इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	२,५४५.००
६	,, मोहम्मद नसीम ऐंड सन्स, मुरादाबाद ..	१०,१३८.१८
७	,, जैन इलेक्ट्रिक्स ऐंड मेकेनिकल स्टोर, मुरादाबाद ..	५१३.३९
८	,, रिलायएबुल ट्रेडर, मुरादाबाद	५,४१४.१०
९	,, आत्मा राम कृपा शंकर ऐंड कं०, कानपुर ..	२,८९.००
१०	,, हिम्मत राम कृपा शंकर ऐंड कं०, कानपुर ..	५७,५१.७५
११	,, गोपाल दास, कानपुर	४,४०८.६०
१२	,, नाथ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऐंड कं०, मुरादाबाद ..	१०,८१४.००
१३	,, नेशनल हिल स्टोर, मेरठ	५००.०००
१४	,, सहगल इलेक्ट्रिक्स वर्क्स, मुरादाबाद	१,२९९.००
१५	,, जनरल बाल बियरिंग, कलकत्ता	३,८४२.००
१६	,, इलेक्ट्रिक्स इंडस्ट्रीज, देहली	१,३६०.००
१७	,, नेशनल इनस्लेशन आफ इंडिया, कलकत्ता ..	२,७७४.५५
१८	,, एशियन इंडस्ट्रीज, मेरठ	..
१९	,, कमल इंजीनियरिंग वर्क्स, चन्दौसी	१,४८८.७५
२०	,, ज्योति इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, मेरठ	१,२५०.००
२१	,, हर भजन सिंह ऐंड सन्स, अलीगढ़	१,३५०.००
२२	,, कमल इलेक्ट्रिक्स कार्पोरेशन, देहली	२,२२०.००
२३	,, कार्शियल इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	४७०.००
२४	,, ईश्वर दास ऐंड सन्स, लखनऊ	१०,९८१.००
२५	,, कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	४,३४५.५८
२६	,, ट्रेडिंग इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	१,८४०.००
२७	,, पुरी इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	३,४७९.१०
	योग ..	१,००,९४५.२८

नलकूप खण्ड, मुरादाबाद

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए खरीदे गए सामान का मूल्य
१	२	३
१	मेसर्स नेशनल इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद.	१५,३०६.००
२	,, पुरी इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	२,९८५.००
३	,, अरविन्द इंजीनियरिंग वर्क्स, धनौरी	५,६३९.००
४	,, जोसेफ इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	६७५.००
५	,, नाथ ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मुरादाबाद	५,२७३.००
६	,, अमरोहा इंजीनियरिंग, अमरोहा	४,२३५.००
७	,, मोहम्मद नसीम ऐंड सन्स, मुरादाबाद	७,३७२.००
८	,, यूनाइटेड इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	१,०४९.००
९	,, कार्मशियल इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	४,१५८.००
१०	,, पपूला इलेक्ट्रिक्स वर्क्स, मुरादाबाद	१,४६०.००
११	,, कृष्ण इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	२,५६७.००
१२	,, नरेन्द्र कुमार, धनौरी	२,२२०.००
१३	,, मोहम्मद इब्राहीम, अमरोहा	१,५८५.००
१४	,, नेशनल इंजीनियरिंग, मुरादाबाद	७४०.००
	योग	५५,२६४.००

विधान सभा सचिवालय

नलकूप खण्ड, मुरादाबाद

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं मरम्मत क लिए खरीदे गए सामना का मूल्य
१	२	३
		रु० पैसे
१	मैसर्स होरीलाल कांट्रेक्टर	९१४.००
२	,, सैयद खान	४,१६३.००
३	,, गांधी इलेक्ट्रिक्स स्टोर, संभल	२४,८२८.०५
४	,, नेशनल इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद	३९,९९७.००
५	,, सरदार एग्रीकल्चर स्टोर, जोया	८९१.७५
६	,, जोसेफ इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	७,७५३.५०
७	,, हंस राज इंजीनियरिंग , संभल	२९,५११.१३
८	,, कृष्णा इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद	३४,८५७.१६
९	,, सूरज इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	३,७२३.१०
१०	,, मोहम्मद नसीम , मुरादाबाद	१७,२५०.००
११	,, पापुलर इलेक्टिक्स वर्क्स, मुरादाबाद	१०,४२६.२३
१२	,, ध्रुव ऐंड सन्स , मुरादाबाद	१,९७१.००
१३	,, ट्रेडिंग इंजीनियरिंग, मुरादाबाद	४,५३२.००
१४	, सुरेश इंजीनियरिंग वर्क्स, मेरठ	२,५९०.६४
१५	,, जैन इलेक्ट्रिक्स स्टोर , मुरादाबाद	१,०६५.७६
१६	,, हिन्द इंजीनियरिंग वर्क्स, संभल	४,७९३.००
१७	,, कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	निल
	योग ..	१,८९,२६८.८८

सत्यमेव जयते

नलकूप खण्ड, मुरादाबाद

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	१९६५-६६ में राजकीय नलकूपों के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना के लिए खरीदे गए सामान का मूल्य	१९६५-६६ में फलीगत बनाने के लिए खरीदे गए सामान का मूल्य
१	२	३	४
		रु० पैसे	रु० पैसे
१	मेसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग, मुरादाबाद ..	४,०००.००	२,०००.००
२	,, मोहम्मद नसीम ऐंड सन्स, मुरादाबाद	३,१००.००	१,०००.००
३	,, नाथ ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मुरादाबाद ..	२,०००.००	..
४	,, नेशनल मिल स्टोर्स, मेरठ, मुरादाबाद	२,०००.००	..
५	,, एशियन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, मेरठ ..	४,६५०.००	..
६	,, ज्योति इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, मेरठ ..	३५०.००	..
७	,, कृष्णा इंडस्ट्रीयल वर्क्स, मुरादाबाद ..	३,०००.००	४,०००.००
८	,, पुरी इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	..	५,०००.००
९	,, कृष्णा वायर नेटिंग कं०, गाजियाबाद	१,०५९.००	..
१०	,, ट्यूबवेल स्ट्रेनर कं०, गाजियाबाद ..	२०,२४५.००	..
११	,, नाथ ट्रेडिंग कं०, मुरादाबाद ..	५,६४७.००	..
१२	,, यूनाइटेड इलेक्ट्रिक्स वर्क्स, मुरादाबाद	१,६९९.००	..
१३	,, कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	६,१८४.००	..
१४	,, मोहम्मद नसीम एन्ड सन्स, मुरादाबाद	७,२८०.००	..
१५	,, नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	३,५२३.००	..
१६	,, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	१,२१०.००	..
१७	,, हबीब उल्ला, अमरोहा ..	४०२.००	..
१८	,, अरविन्द इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद	३७२.००	..
१९	,, नेशनल इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद ..	८५१.००	..
२०	,, शमसीउद्दीन, अमरोहा ..	७१०.००	..
२१	,, कृष्णा इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद ..	७,९४४.००	..
२२	,, हंस राज इंजीनियरिंग वर्क्स, संभल ..	९०१.००	..
	योग ..	७८,०२७.१२	१२,०००.००

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर)

तालिका।

प्रश्नगत ७ प्रार्थना-पत्रों तथा उनकी जांच जिस अधिकारी ने की उनके बारे में विवरण निम्नलिखित है—

(१) ग्राम बहरीपुर, जिला आजमगढ़ के पश्चिम से पताछ ताल नाला निकालने तथा उस पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम वासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक ७-११-६५।

नाले की खुदाई के लिए ग्राम वासियों की सहमति प्राप्त करने के लिए अधिशासी अभियन्ता ग्राम जन शक्ति प्रखंड, वाराणसी से कहा गया था और उन्होंने सूचित किया कि कोई भी ग्राम वासी अनुमति देने को तैयार नहीं है।

(२) २,२०० रुपए ईटों की कीमत के भुगतान के बारे में श्री अमीर चन्द सिंह बिल्थरा रोड, जिला बलिया का प्रार्थना-पत्र दिनांक ७-१-१९६६।

इसकी जांच अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बलिया ने प्रार्थी को बुलाकर की।

(३) एग्रीमेंट सं० ४ ई० ई० बलिया १९६०-६१ के अन्तर्गत बेला ड्रेन का निर्माण कार्य का भुगतान करने के सम्बन्ध में श्री सरजू सिंह, ग्राम मानपुर पोस्ट दुबारी, जिला आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र दिनांक ६-१-६६।

इस मामले की जांच अधीक्षक, अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी द्वारा की गई। प्रार्थी के बयान आदि लेना आवश्यक नहीं समझा गया।

(४) एग्रीमेंट सं० ३ ई०ई० बलिया, १९६०-६१ के अन्तर्गत फरही ड्रेन पर किए गए कार्य का भुगतान करने के सम्बन्ध में श्री राधे प्रसाद ग्राम व पोस्ट दुबारी जिला आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र दिनांक ८-१-६।

इस मामले की जांच अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल वाराणसी ने की। मौके का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता ने प्रार्थी के साथ किया और १२-१-६३ को प्रार्थी को मेजरमेन्ट बुक भी दिखाई गई।

(५) एग्रीमेंट सं० ई० ई० ६३-६३ नलकूप विभाग आजमगढ़ के अन्तर्गत ताल-पताछ ड्रेन के निर्माण कार्य में भुगतान न करने के सम्बन्ध में श्री विक्रम सिंह ठेकेदार ग्राम मानपुर, पो० दुबारी, जिला आजमगढ़ का शिकायती पत्र दिनांक ७-१-६६।

इस मामले की जांच प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई विभाग लखनऊ द्वारा करायी गयी। जांच अधिकारी ने प्रार्थी ठेकेदार श्री विक्रम सिंह व उसके सहायक से बयान व साक्ष्य भी लिए।

(६) एग्रीमेंट २ ई०ई०, बलिया सन् १९६१–६२ के सम्बन्ध में गलत लगाए जुर्माने की माफी के लिए श्री अमीर चन्द विल्थरा रोड, बलिया का प्रार्थना-पत्र दिनांक ७–१–६६।

इस मामले की जांच अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड बलिया द्वारा की गयी प्रार्थी के बयान आदि लेना आवश्यक नहीं समझा गया।

(७) अखोपा माइनर पर १,९६,००० ईटों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री सूरज सिंह अधुबन, आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र दिनांक ६–१–६६।

इसकी जांच अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड बलिया द्वारा की गयी। अधिशासी अभियन्ता ने जांच की और अमीर चन्द सिंह ठेकेदार को बुलाकर की और उन्हीं से श्री सरजू सिंह के केस के बारे में पूछ तांछ की जो उनके भाई हैं क्योंकि उस तिथि को श्री सरजू सिंह ठेकेदार उपलब्ध न हो सके।

विधान सभा दर्शन

नत्थी "घ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

गाजीपुर जनपद के सादात विकास खण्ड में लालगंज, राजबहे का कमाण्डेंट क्षेत्र ४,६१२ एकड़ है। इस विकास खण्ड में इस नहर के प्रस्तावित क्षेत्र तथा उसमें की गई सिंचाई के आंकड़ों इस प्रकार हैं :—

फसल	प्रस्तावित क्षेत्र	अधिकतम वास्तविक सिंचाई
	(एकड़)	(एकड़)
खरीफ	४२१	शून्य
रबी	८४१	२७ (१३७२ फसली)

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०१ पर)

कर्मचारियों की मांगें

१—यू० पी० रोडवेज के सभी कर्मचारियों को बोनस की सुविधा दी जाय।

२—१९६० में जबरिया लादी गई नौकरी के काले कानून को समाप्त कर उचित स्थाई आदेश शीघ्र बनवा कर लागू किया जाय।

३—टी० सी० सेक्शन, वर्कचार्ज्ड तथा टेम्पोरेरी रेगुलर के उन सभी श्रमिकों को स्थाई बनाया जाय जिनकी सेवायें ६ मास से अधिक की हों।

४—यू० पी० रोडवेज को एक आटोनामस कार्पोरेशन शीघ्र बनाया जाय।

५—रोडवेज के कर्मचारियों को देश के श्रम कानूनों से लाभान्वित कराने के लिए श्रमिक विधि का उचित प्रतिपादन कराया जाय।

६—ट्राफिक और वर्कशाप के सभी कर्मचारियों को मौसम के अनुसार वर्दी दी जाय।

७—दुर्घटना के समय ड्राइवर को उचित विभागीय सहयोग, कानूनी व आर्थिक सहायता दी जाय।

८—केवल एक माह पर नौकरी से अलग किए जाने की प्रथा को समाप्त कर कैजुअल मेडिकल, अर्नड लीव की सुविधा की पूर्व भांति दी जाय।

९—प्रतिवर्ष ड्राइवरों से आंख की डाक्टरी परीक्षा सिविल सर्जन से कराए जाने की परम्परा को समाप्त किया जाय।

१०—वेतन अभिनवीकरण के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर महंगाई के भत्ते में किए जाने वाली बढ़ोत्तरी के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई के भत्ते में वृद्धि की जायगी। अतः अगस्त, १९६५ के बाद केन्द्र द्वारा किए गए महंगाई के भत्ते में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए महंगाई का भत्ता बढ़ाया जाय तथा अनामली कमेटी द्वारा कन्डक्टर, फिटर, पेन्टर आदि श्रेणी के मजदूरों के वेतन क्रम में जो कटौती की गई है उसे सुधारा जाय।

नत्थी "च"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

फतेहपुर डिवीजन,लोअर गंगा नहर फतेहपुर

समस्त रकबा नुकसान शुदा व मुआवजा खादी मील ३२ फर्लांग २ पटरी दाई फतेहपुर ब्रांच----

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		रकबा नुकसान शुदा खादी से				रुपया मुआवजा जो मंजूर हुआ			
			गेहूं	चना	दीगर रबी	योग	गेहूं	चना	दीगर रबी	योग
			रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे
१	पधारा	..	४.५४	१०२.७५	६०.०३	१६७.५२	१४७.९७	३,३२४.६६	१,३१९.५६	४७९.२९
२	नामामऊ	..	२८.५१	१३६.२७	६१.५३	२२६.५१	९४५.१४	४,६४३.१५	१,३९७.४६	६९८५.७५
३	अकबराबाद	..	७.७७	११४.०१	५६.७३	१३८.५४	३५८.५९	३,७२७.६४	१,६०७.००	५,६९३.२३
४	जौनपुर	..	६.२९	३६.२८	३६.७५	७९.५२	१५२.८६	१,२१९.६३	१,१३९.२२	२,५११.७१
५	बरेठा खुर्द	..	३.२९	१२३.५१	५५.०४	१८२.०४	१९२.२३	३,८९७.६७	१,५७१.४७	५,६६१.३७
६	चककाजी मालवी	..	..	२८.७७	१.२७	३०.०४	..	८३२.९२	२४.८२	८५७.७४
७	हाफिजपुर	..	१.५०	४३.०२	७.२९	५२.०१	७.७३	१,३३०.२०	१७०.५९	१,५०८.५२
८	लखना खेड़ा	..	..	३०.२७	१५.७५	४६.०२	..	९०४.६७	३३४.१७	१,२३८.८४
९	चक कशमीरी	..	.२६	५.०४	८.५४	१४.०४	१.४४	१५४.७८	१४४.२४	३००.५६
१०	बाग बादशाही	..	७.७९	.७५	३.५१	१२.२५	३०२.६८	२५.०३	१२७.२६	४५४.९७
११	अरइपुर	..	.७६	४.७७	४.२५	९.७८	३३.००	१५१.०२	१४१.८५	३२५.८७
१२	हूसेपुर	..	..	५.००	५.२६	१०१.२६	..	१५९.३७	८८.०१	२४७.३८
१३	सराय हवास्वाह	..	..	२.००	..	२.००	..	६६.७५	..	६६.७५
१४	बहौली	..	..	८.५४	.७९	९.५३	..	२४४.४९	११.८९	२५६.३६
१५	नन्दापुर	..	..	११.५१	३०.७९	४२.५०	..	३५१.३०	७१६.५७	१,०६७.८७
	योग	..	३९	४०८	२१८	६६५	२,१४१.७४	२१०,३३.२६	८,७९४.११	
			६१.५१	६५३.२९	३४८.७६	१,०६३.७६				३१,९६९.११
१	बरेठा खुर्द	..	३७ हजार	..	..	..	..	..	..	२२२.००
२	पधारा	..	८० हजार	..	..	..	..	..	..	४८०.००
										७०२.००
								कुल योग	..	३२,६७१.११

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १६२ एल० ए०--१९६७-८४६